[2019] 1 एस. सी. आर 589

आर. मुथुकृष्णन

वी.

का पंजीयक सामान्य

मद्रास में न्यायपालिका का उच्च न्यायालय

(2016 की रिट याचिका (सी) संख्या 612)

28 जनवरी, 2019

[अरुण मिश्रा और वाइन सरन, जे. जे.]

मद्रास उच्च न्यायालय के नियम, 1970:

आरआर। 14 ए, 14 बी, 14 सी और 14 डी (जैसा कि 2016 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया था)-उच्च न्यायालय का एक वकील को इस अधिकार से वंचित करने का अधिकार

अभ्यास की वैधता-आयोजितः उच्च न्यायालय के नियम यू/एस को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं। 34 अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 किसी वकील को पेशेवर कदाचार के लिए प्रतिबंधित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान नहीं करती है-अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधानों और योजना से यह स्पष्ट है कि अधिनियम का उद्देश्य कभी भी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को अनुशासनात्मक शक्तियां प्रदान करना नहीं था, सिवाय इसके कि एक अपील यू/एस से निपटने की सीमा तक। 38 अधिवक्ता अधिनियम-यह बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स और बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैं जिनके पास वकीलों को अनुशासित करने और वकीलों की कुलीनता बनाए रखने की शक्ति है।

अधिवक्ता अधिनियम के तहत व्यवसाय-उच्च न्यायालय के पास अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत अधिवक्ता को प्रतिबंधित करने की शक्ति है-भले ही बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति उतनी प्रभावी न हो जितनी होनी चाहिए, बार काउंसिल द्वारा अनुशासनात्मक नियंत्रण के उद्देश्य को निराश होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है-बार काउंसिल की ओर से ऐसी विफलता की निगरानी अदालत द्वारा की जा सकती है-इसलिए, विवादित नियम यू/एस के तहत तैयार नहीं किए जा सकते थे। 34 अधिवक्ता अधिनियम-विवादित नियम स्पष्ट रूप से बार की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं-उच्च न्यायालय द्वारा अनुशासनात्मक नियंत्रण का प्रयोग, विवादित नियमों को शामिल करके अधिवक्ता अधिनियम-अधिवक्ताओं के तहत प्रदत्त बार काउंसिल की शक्तियों को हड़पने के बराबर होगा।

अधिनियम, 1961 - धारा 34-भारत का संविधान-कला। 14 और 19.

याचिका को मंजूरी देते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 कानूनी व्यवसायियों से संबंधित कानून में संशोधन और समेकन के लिए अधिनियमित किया गया है।

और बार काउंसिल और एक अखिल भारतीय बार के गठन का प्रावधान करना। बार की स्वतंत्रता और बार काउंसिल की स्वायत्तता को सांविधिक रूप से सुनिश्चित किया गया है ताकि स्वयं लोकतंत्र और यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायपालिका मजबूत रहे। स्वतंत्र बार के बिना एक मजबूत न्यायिक प्रणाली का अस्तित्व नहीं हो सकता है। [पैरा 13,14] [604-सी, डी, ई]

2. यह मूल रूप से वकील हैं जो अदालत में मुद्दा लाते हैं, उन्हें संवैधानिक रूप से परिकल्पित समानता और स्वतंत्रता के व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश कानून के शासन द्वारा शासित है। इसे ध्यान में रखते हुए

कानून के शासन को बनाए रखने, समान व्यवहार के अधिकार और विभिन्न अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन में बार का महत्व और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न संस्थान अपने मापदंडों के भीतर काम करते हैं, इसकी स्वतंत्रता अनिवार्य हो जाती है और इससे समझौता नहीं किया जा सकता है। [पैरा 16] [604-जी-एच; 605-ए]

3. बार न्यायिक प्रशासन का एक अभिन्न अंग है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायपालिका एक प्रभावी उपकरण बनी रहे, यह बिल्कुल आवश्यक है कि बार और बेंच एक-दूसरे की गरिमा और गरिमा बनाए रखें। आपसी सम्मान नितांत आवश्यक है। यह बार और बेंच की संयुक्त जिम्मेदारी है।

यह सुनिश्चित करना कि सभी को समान न्याय दिया जाए। स्वतंत्र बार और स्वतंत्र पीठ लोकतंत्र की रीढ़ हैं। समान और समान रूप से दिया गया न्याय न्यायिक प्रणाली की पहचान है। संविधान और अधिकारों की मूल संरचना का संरक्षण बार और बेंच की दृढ़ता और अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के उचित निर्वहन से संभव है। [पारस 18,19 और 21] [605-डी-एफ, एच; 606-बी]

4. मूल्य-संचालित ढांचे के लिए, यह आवश्यक है कि

दृष्टिकोण को नैतिक और नैतिक रूप से सही परिप्रेक्ष्य में सही किया जाता है। एम्बुलेंस का पीछा करने वालों, पैसे की हेराफेरी करने वालों और काली भेड़ों की धारणा अनुमानित नहीं होनी चाहिए। वकीलों के बारे में इस तरह की सार्वजनिक धारणा कानूनी पेशे की विश्वसनीयता को कम करती है, व्यवस्था की सभी बुराइयों को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। [पैरा 27] [607-ई-एफ]

5. विधायिका ने अधिवक्ता अधिनियम को लागू करते समय बार की स्वायत्तता में विश्वास व्यक्त किया है और यह स्वायत्तता प्रदान करता है राज्य और केंद्रीय स्तर पर बार काउंसिल। कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा का नैतिक मानक आर. मुथुकृष्णन बनाम को सौंपा गया है।

मद्रास में उच्च न्यायालय का सामान्य पंजीकरण

बार काउंसिल। इसे कानूनी गरिमा बनाए रखनी होगी।

बार का पेशा और स्वतंत्रता। अनुशासनात्मक नियंत्रण विभिन्न राज्यों की बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समितियों को सौंपा गया है और अधिनियम की धारा 38 के तहत इस न्यायालय में एक अपील की गई है। बार एसोसिएशन को स्व-शासित होना चाहिए जिसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। [पैरा 31,32] [608 ई-जी]

6. एक बार एसोसिएशन को आम तौर पर स्वतंत्र माना जाता है जब यह ज्यादातर बाहरी प्रभाव से मुक्त होता है और इसका सामना कर सकता है। पेशे के विनियमन, बर्खास्तगी की कार्यवाही और वकीलों के संघ में शामिल होने के अधिकार जैसे मामलों पर बाहरी स्रोतों से दबाव। न्यायिक स्वतंत्रता यह सुनिश्चित करती है कि

वकील स्वतंत्र और सुरक्षित वातावरण में अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम होते हैं और एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी एक नियंत्रण के रूप में कार्य करती है। वकीलों की स्वतंत्रता पर और इसके विपरीत। [पैरा 36] [616 बी-सी]

7. बार काउंसिल के पास वकीलों को अनुशासित करने और पेशे की कुलीनता बनाए रखने की शक्ति है और यह शक्ति बहुत अधिक लागू होती है

समर्थनीयता। न्यायालय के पास अवमानना की शक्ति है और यह घातक शक्ति भी अधिक जिम्मेदारी के साथ आती है।

अवमानना ब्रह्मास्त्र जैसा एक हथियार है जिसका उपयोग प्रभावी बने रहने के लिए संयम से किया जाना चाहिए। उसी समय, एक न्यायाधीश को सुरक्षा करनी होती है

न्यायालय की गरिमा और अवमानना में कार्रवाई करना और आवश्यकता पड़ने पर उचित अनुकरणीय दंड भी देना। एक वकील को पेशेवर नैतिकता, पेशेवर शिष्टाचार और पेशेवर लोकाचार द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए जो आचरण का एक आदतन तरीका है। उसे भव्यता, गरिमा और शालीनता के साथ अपना प्रदर्शन करना होता है। उसे हर समय खुद को सहन करना पड़ता है और

न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में उचित तरीके से अपना निरीक्षण करें। वे समुदाय के एक विशेषाधिकार प्राप्त सदस्य और एक सज्जन व्यक्ति हैं। उसे ईमानदार, साहसी, वाक्पटु, मेहनती, मजाकिया और निर्णय लेने वाला होना चाहिए। [पैरा 40] [618-जी-एच; 619-ए-बी]

8. यह प्रावधानों और योजना से स्पष्ट है

अधिवक्ता अधिनियम कि अधिनियम का कभी भी उच्च न्यायालय या इस न्यायालय को अनुशासनात्मक शक्तियां प्रदान करने का इरादा नहीं रहा है अधिवक्ता अधिनियम की धारा 38 के तहत अपील से निपटने की सीमा को छोड़कर। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालयों को वकालत करने के लिए शर्तें निर्धारित करने में सक्षम बनाती है।

9] 1 एस. सी. आर. हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अभ्यास करने और एक मामले में पेश होने के अधिकार पर कुछ शर्तें जो उच्च न्यायालय द्वारा धारा 34 के तहत अधिरोपित किया जा सकता है जैसे कि नया वकालतनामा दाखिल करना, उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार किए जाने वाले पिछले वकालतनामा का स्थान लेना, यदि उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कोई प्रावधान किया गया है। अधिनियम के अध्याय IV में निहित धारा 34 का उद्देश्य उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में अधिवक्ता के व्यवहार को विनियमित करना है। यह इसे सशक्त नहीं करता है

अनुशासनात्मक नियंत्रण के लिए नियम बनाएँ। अधिनियम की धारा 34 के दायरे में, न्यायालय में उपस्थिति के लिए एक पोशाक भी निर्धारित की जा सकती है। उच्च न्यायालय तैयार करने के लिए स्वतंत्र है

वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए नियम और इस न्यायालय द्वारा अधिवक्ताओं के लिए बनाए गए समान पैटर्न पर नियम रिकॉर्ड करें। [पैरा 44,45 और 51] [627-जी; 622-एफ-एच; 623-ए-बी]

9. अदालत परिसर में जुलूस निकालने, अदालतों में नारे लगाने, उपयोग करने के लिए कोई जगह नहीं है

लाउडस्पीकर, न्यायाधीशों के साथ असंयमित भाषा का उपयोग या न्यायालय के शांतिपूर्ण, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण कामकाज में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पैदा करना। नीचता के उदाहरण मद्रास उच्च न्यायालय के परिसर में अधिवक्ताओं के दुर्व्यवहार के परिणामस्वरूप न्यायालय और कानून के शासन की सुरक्षा और महिमा बनाए रखने के लिए सी. आई. एस. एफ. की मांग की गई। जिन कृत्यों की शिकायत की गई है, वे न केवल अवमाननापूर्ण हैं, बल्कि घोर भी हैं

पेशेवर दुर्व्यवहार। यदि ऐसी स्थिति बनी रहती है और बार काउंसिल कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहती हैं तो न्यायालय को अपने कामकाज की निगरानी करनी होगी और उचित अनुमेय पारित करना होगा।

आदेश देते हैं। बार और बेंच दोनों की स्वतंत्रता सर्वोच्च है, वहाँ आपस में संतुलन होना चाहिए। [पैरा 28,29] [608-ए-बी, सी-डी, ई-जी]

10. मद्रास उच्च न्यायालय के साथ-साथ इसकी मदुरै पीठ में भी गंभीर स्थिति पैदा हो गई, जिसने उच्च न्यायालय को मजबूर कर दिया

सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक पक्ष पर कार्रवाई करना। उच्च न्यायालय को सी. आई. एस. एफ. द्वारा न्यायालय की सुरक्षा करने का आदेश देना पड़ा। इस संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सुओ मोटो रिट याचिका में आदेश पारित किए गए थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बताई गई घटनाएं गंभीर थीं और गलती करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता थी क्योंकि उन्होंने वकील के पेशे की पूरी कुलीनता को झुठलाया था। उच्च न्यायालय न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई कर सकता था

उपरोक्त दुराचार। [पारस 66,70] [664-एफ-जी; 666-एफ; 665-बी] आर. मुथुकृष्णन बनाम।

न्यायाधीशों के व्यवहार के बारे में अधिकारी सही हो सकते हैं तो भी उन्हें अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करके दंडित किया जा सकता है जैसा कि विवादित नियम 14 ए से डी में करने की अनुमति दी गई है जो बार को बहुत चापलूसी और भयभीत बना देगा जो न्याय के निष्पक्ष प्रशासन के लिए अनुकूल नहीं होगा। उचित आलोचना निर्णय और उसका विश्लेषण अनुमेय है। अदालत में वकीलों की निडरता, स्वतंत्रता, ईमानदारी, ईमानदारी, समानता ऐसे गुण हैं जिनका त्याग नहीं किया जा सकता है। [पैरा 77] [669-एच; 670-ए-सी]

12. यह भी सच है कि बार काउंसिल की अनुशासन समिति अच्छा काम करने में विफल रही है। यह देखा गया है कि

बार काउंसिल का अनुशासनात्मक नियंत्रण उतना प्रभावी नहीं है जितना होना चाहिए। यह सही समय है कि बार काउंसिल के साथ-साथ विभिन्न राज्य बार काउंसिलों को स्थिति का जायजा लेना चाहिए और सुधार करना चाहिए अनुशासनात्मक पक्ष की कार्यप्रणाली। बार की स्वतंत्रता बनाए रखना नितांत आवश्यक है और यदि सफाई प्रक्रिया स्वयं बार द्वारा नहीं की जाती है, तो इसकी स्वतंत्रता खतरे में है। भ्रष्ट, अवांछित, अनैतिक तत्व का बार में कोई स्थान नहीं है। यदि पेशे की कुलीनता नष्ट हो जाती है, तो बार कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकता है। स्वतंत्रता का गठन कुछ आदर्शों के पालन से होता है और यदि वे आदर्श खो जाते हैं, तो स्वतंत्रता होगी

13. यदि बार में विश्वास का भंडार अपने वैधानिक कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में विफल रहता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय द्वारा पर्यवेक्षण किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। बार काउंसिल के अनिवार्य कर्तव्यों में वैधानिक अभिव्यक्ति पाई गई है

अधिवक्ता अधिनियम और [2019] 1 एस. सी. आर. के संबंध में उसके तहत बनाए गए नियम।

अनुशासनात्मक नियंत्रण और वैधानिक उपहास बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, इस तरह के गैर-प्रदर्शन या ऐसे कर्तव्यों के विलंबित प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। बार काउंसिल रक्षा करने के लिए कर्तव्यबद्ध है काले भेड़ों के खिलाफ कदम उठाकर खुद को रोकें और सामान्य रूप से बार से उम्मीद न करें और इसकी छवि खराब न करें। बहुत ही।

बार काउंसिल द्वारा अनुशासनात्मक नियंत्रण के उद्देश्य को निराश होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसी अनिवार्यता में, ऐसे मामले में जहां बार काउंसिल अधिवक्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं कर रही है, उच्च न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह रिट याचिका पर विचार करे और बार काउंसिल को कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए उचित निर्देश जारी करे। लेकिन साथ ही, उच्च न्यायालय और यहां तक कि यह न्यायालय भी अपने ऊपर अनुशासनात्मक नियंत्रण नहीं ले सकता है।

अधिवक्ता अधिनियम के तहत परिकल्पित। [पैरा 72] [667-सी-ई] 14. अदालत की अवमानना एक ऐसा हथियार है जिसका उपयोग संयम से किया जाना चाहिए क्योंकि शक्ति अधिक है, उसी के लिए अधिक जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत को कार्रवाई करने और उसके नतीजों का डर है। न्यायालय की विशिष्टता समान और समान रूप से न्याय प्रदान करना और प्रत्येक प्रणाली को यह सुनिश्चित करने का अवसर देना है कि इसमें सुधार हो। दुर्भाग्य से, कुछ अधिवक्ताओं को लगता है कि वे इसके कारण बार काउंसिल से ऊपर हैं

शिष्टाचार और नैतिकता जो एक संकीर्ण दिशा-निर्देश में परिभाषित होने में सक्षम नहीं हैं। [पैरा 74] [668-सी-डी] 15. बार के सदस्यों के लिए यह बहुत आम हो गया है कि वे व्यक्तिगत रूप से न्यायाधीशों की आलोचना करने के लिए प्रेस/मीडिया में जाते हैं और

फैसलों को राजनीतिक रंग देकर सरासर अवमानना करना। यह सबसे गंभीर रूप की अवमानना के कार्य से कम नहीं है। जब भी कोई राजनीतिक मामला न्यायालय में आता है और निर्णय लिया जाता है, तो किसी भी तरह से, राजनीतिक आक्षेपों को बेईमान व्यक्तियों/अधिवक्ताओं द्वारा जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस तरह के कृत्य और कुछ नहीं हैं, बल्कि न्यायपालिका को ही बदनाम करने और आम आदमी के उस विश्वास को नष्ट करने का कार्य है जो वह न्यायिक प्रणाली में दोहराता है। किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ वास्तविक शिकायत के मामले में, उचित प्रक्रिया संबंधित उच्च अधिकारियों को शिकायत दर्ज करना है जो आर. मुथुकृष्णन बनाम।

स्थिति का ध्यान रखें और राजनीतिक उद्देश्यों को जिम्मेदार ठहराकर और न्यायिक प्रणाली और उसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर व्यवस्था को ही बदनाम करना अस्वीकार्य है।

जिन न्यायाधीशों पर हमला किया जाता है, उन्हें अपनी बात रखने के लिए प्रेस या मीडिया के पास नहीं जाना चाहिए। [पैरा 73] [667-जी-एच; 668-ए-बी]

16. वैधानिक नियम अधिवक्ताओं को विज्ञापन देने से रोकते हैं और वास्तव में प्रेस/मीडिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अदालती कार्यवाही के विकृत संस्करण सरासर कदाचार और अदालत की अवमानना है जो बहुत आम हो गया है। यह निष्पक्ष, निष्पक्ष और निडर तरीके से न्याय प्रदान करना और अधिक कठिन बना रहा है, हालांकि स्थिति निराशाजनक है कि बार की छवि को सुधारने के लिए सभी संबंधितों द्वारा कुछ किया जाना चाहिए। यह धोने के लिए खुला नहीं है।

सार्वजनिक रूप से गंदे लिनन और आरोप/बहस में प्रवेश करें, जो अनैतिक तत्वों द्वारा प्रभावित करने के लिए रणनीति अपनाई जा रही है

निर्णय लेना और यहाँ तक कि गलत उद्देश्यों के साथ न्याय से इनकार करना। यह है। बार काउंसिल और बार के वरिष्ठ सदस्यों के लिए जो इस अवसर पर खड़े होने की अपनी जिम्मेदारी को कभी नहीं भूले हैं

बार की स्वतंत्रता को बनाए रखना जो इतना सर्वोच्च है और इस देश और जीवंत समाज के कल्याण के लिए बिल्कुल आवश्यक है

लोकतंत्र। [पैरा 74] [668-ई-जी]

17. संविधान बनाने वाले पूर्वजों द्वारा बनाई गई शक्तियों के पृथक्करण ने स्वतंत्र कार्यप्रणाली को सुनिश्चित किया। अगर अनैतिक साधनों का सहारा लेकर चीजों को निपटाने की अनुमति दी जाती है और किसी भी प्रकार का दबाव बनाकर संस्था को बदनाम किया जाता है, व्यवस्था की स्वतंत्रता ही होगी

खतरे में पड़ जाते हैं। मामलों का फैसला मीडिया ट्रायल द्वारा नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बार और बेंच का अपना स्वयं का अंतर्निर्मित है

शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र यदि कोई हो और वे अपेक्षित हैं

केवल उसी के अनुसार उनकी शिकायतों का निपटारा करना। बाहरी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है। कुलीनता, स्वतंत्रता, गरिमा को ध्यान में रखते हुए जो आदेश दिया गया है और जो विश्वास है

न्यायपालिका में देश के आम आदमी द्वारा प्रस्तुत, यह बिल्कुल आवश्यक है कि व्यवस्था की कोई बदनामी न हो। आपसी सम्मान और श्रद्धा ही एकमात्र रास्ता है। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में कानून का शासन कायम रहे, किसी को भी व्यवस्था की स्वतंत्रता को भीतर से या बाहर से नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। [पैरा 75] [668-जी-एच; 669-ए-सी] [2019] 1 एस. सी. आर.

18. आत्मा की खोज बिल्कुल आवश्यक है और दोषारोपण और बदनाम करने का खेल तुरंत बंद होना चाहिए। विश्वास और

श्रद्धा और सकारात्मक सोच ही एकमात्र रास्ता है। यह पवित्र आशा है कि बार काउंसिल अपनी अनुशासनात्मक समितियों के कार्य में सुधार करेगी ताकि व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाया जा सके।

उत्तरदायी, विभिन्न बार परिषदों के अनुशासनात्मक पक्ष पर प्रदर्शन लेखा परीक्षा प्रकाशित करें। इसे भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। यह मूल रूप से बार को नियंत्रित करने के लिए न्यायालय के लिए नहीं है। बार का यह वैधानिक कर्तव्य है कि वह इसे और अधिक महान बनाए और न्यायाधीशों की रक्षा भी करे। और कानूनी प्रणाली, न कि बार को निष्क्रियता और प्रणाली द्वारा नष्ट करना जो लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है। [पैरा 76] [669 ई-एफ, जीआई

19. उच्च न्यायालय नियम, 1970 में संशोधन करके मद्रास उच्च न्यायालय ने विवादित नियम 14 (ए) को 14 (डी) में जोड़ दिया है। प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम बनाए गए हैं।

अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 के तहत। अधिनियम की धारा 34 पेशेवर कदाचार के लिए वकील पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियम बनाने की ऐसी शक्ति प्रदान नहीं करती है। नियम 14 (ए) (vii) से (xii) प्रदान करके किया गया संशोधन अधिवक्ता अधिनियम के तहत अधिकृत नहीं है। उच्च न्यायालय के पास अनुशासनात्मक नियंत्रण का प्रयोग करने की कोई शक्ति नहीं है। यह.

यह अधिवक्ता अधिनियम के तहत प्रदत्त बार काउंसिल की शक्तियों को हड़पने के बराबर होगा। हालाँकि, उच्च न्यायालय दंडित कर सकता है

अवमानना के लिए वकालत करें और फिर उसे ऐसी निर्दिष्ट अवधि के लिए अभ्यास करने से रोकें जो कानून के अनुसार अनुमेय हो, लेकिन अनुशासनात्मक नियंत्रण के माध्यम से अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग किए बिना कोई सजा नहीं दी जा सकती है। इस तरह के विवादित नियमों को धारा 34 के दायरे में नहीं बनाया जा सकता था। प्रावधान स्पष्ट रूप से बार की स्वतंत्रता को बाधित करते हैं और अधिवक्ता अधिनियम के तहत राज्य की बार काउंसिल और भारतीय बार काउंसिल को प्रदान की गई विशेष शक्ति का अतिक्रमण करते हैं। नियम 14 (ए) से 14 (डी) में किए गए संशोधन को उच्च न्यायालय की शक्ति से परे माना जाना चाहिए। [पैरा 52] [627-एच; 628-ए-डी]

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्र (1998) 4 एस. सी. सी. 409: [1998] 2 एस. सी. आर. 795; बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र बनाम। एम. वी. दाभोलकर और अन्य। (1975) 2

एससीसी 702: [1976] 1 एस. सी. आर. 307-इसके बाद मुथुकृष्णन बनाम।

मद्रास में उच्च न्यायालय का सामान्य पंजीकरण

पूर्व-कैप्टन। हरीश उप्पल बनाम। भारत संघ (2003) 2 एससीसी

उत्तर प्रदेश राज्य (2016) 8 एस. सी. सी. 335-विशिष्ट। आर. के. आनंद बनाम पंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय (2009) 8 एससीसी

106 : [2009] 11 एससीआर 1026-पर निर्भर।

प्रवीण सी. शाह बनाम के. ए. मोहम्मद। अली (2001) 8 एससीसी 650:

[2001] 3 पूरक। एस. सी. आर. 675; बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम।

केरल उच्च न्यायालय (2004) 6 एस. सी. सी. 311: [2004] 1

पूरक। एससीआर 649; मोहित चौधरी, अधिवक्ता, पुनः, (2017) 16 एससीसी 78 [2017] 8 एससीआर 764; संदर्भ में:

विनय चंद्र मिश्रा (1995) 2 एस. सी. सी. 584: [1995]

2 एस. सी. आर. 638; बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम। का उच्च न्यायालय

केरल (2004) 6 एस. सी. सी. 311: [2004] 1 पूरक। एससीआर 649 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1998] 2 एससीआर 795

पीछा किया।

पैरा 4

[2001] 3 पूरक। एससीआर 675

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

[2002] 5 पूरक। एससीआर 186

पैरा 6

प्रतिष्ठित

[2004] 1 पूरक। एससीआर 649

संदर्भित किया गया है

पैरा 6

[2017] 8 एससीआर 764

पैरा 8

संदर्भित किया गया है

(2016) 8 एस. सी. सी. 335

पैरा 9

प्रतिष्ठित

[1995] 2 एससीआर 638

संदर्भित किया गया है

पैरा 53

[1976] 1 एस. सी. आर. 303

पैरा 54

पीछा किया।

[2009) 11 एससीआर 1026

उस पर भरोसा करें

पैरा 60

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लेखन याचिका (सिविल)

एफ 2016।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से।

मोहन परासरन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , निखिल नय्यर, एन. साई वी.

अंजय बैजल, दिव्यांशु राय नवीन हेगड़े, अधिवक्ता। फा.

एकतरफा।

19] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अरुण मिश्रा, जे. 1. याचिकाकर्ता, जो एक अधिवक्ता है, ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की है, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय के 1970 के नियमों के संशोधित नियम 14-ए, 14-बी, 14-सी और 14-डी के अधिकार पर सवाल उठाया गया है।

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 34 (1) (इसके बाद 'अधिवक्ता अधिनियम' के रूप में संदर्भित)। 2. उच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय, 1970 के नियमों में नियम 14 ए जोड़ा है, जो उच्च न्यायालय को एक अधिवक्ता को वकालत करने से रोकने का अधिकार देता है। उच्च न्यायालय को कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है

नियम 14-बी के तहत जहां नियम 14-ए के तहत निर्दिष्ट कोई भी कदाचार उच्च न्यायालय के समक्ष एक अधिवक्ता द्वारा किया जाता है, तो उच्च न्यायालय उसे उच्च न्यायालय और सभी अधीनस्थ अदालतों के समक्ष पेश होने से रोक सकता है। नियम 14-बी (वी) के तहत प्रधान जिला न्यायाधीश को संबंधित अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने और उसे ऐसे जिले के भीतर किसी भी अदालत में पेश होने से रोकने का अधिकार दिया गया है। यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कदाचार किया जाता है, तो संबंधित न्यायालय प्रधान जिला न्यायाधीश को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उस मामले में प्रधान जिला न्यायाधीश के पास उचित कार्रवाई करने की शक्ति होगी। पालन की जाने वाली प्रक्रिया को नए जोड़े गए नियम 14-सी में प्रदान किया गया है और जांच लंबित रहने तक, नियम 14-डी के माध्यम से एक अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान की गई है जो संबंधित अधिवक्ता को उच्च न्यायालय या अधीनस्थ अदालतों के समक्ष उपस्थित होने से रोकता है। नियम 14 ए, 14 बी, 14 सी और 14 डी के संशोधित प्रावधानों को नीचे निकाला गया हैः

" 14 - एः पावर टू डेबरः

(vii) एक अधिवक्ता जिसने धन स्वीकार किया हो।

किसी न्यायाधीश का नाम या उसे प्रभावित करने के बहाने; या

(viii) एक अधिवक्ता जिसने न्यायालय के साथ छेड़छाड़ की हो।

((ix) एक अधिवक्ता जो किसी न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारी को धमकाता है और/या गाली देता है; या (x) एक अधिवक्ता जिसने न्यायिक अधिकारी के खिलाफ निराधार और अप्रमाणित आरोप/याचिकाएं भेजी हैं या फैलाई हैं।

या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश; या आर. मुथुकृष्णन बनाम।

(xi) एक अधिवक्ता जो न्यायालय परिसर के अंदर एक जुलूस में सक्रिय रूप से भाग लेता है और/या न्यायालय कक्ष के अंदर घेराव में शामिल होता है या न्यायालय कक्ष के अंदर तख्ती रखता है; या

(xii) एक अधिवक्ता जो प्रभाव में न्यायालय में उपस्थित होता है।

शराब; उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से वर्जित किया जाएगा या

अधीनस्थ न्यायालय स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए जो न्यायालय उचित समझे और कुलसचिव 28 जनरल उस पर तमिलनाडु बार काउंसिल को उक्त तथ्य की रिपोर्ट करेंगे।

14 - बीः कार्रवाई करने की शक्तिः

(iv) जहां नियम 14-ए के तहत निर्दिष्ट कोई भी कदाचार उच्च न्यायालय के समक्ष एक अधिवक्ता द्वारा किया जाता है, वहां उच्च न्यायालय को संबंधित अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने और उसे उच्च न्यायालय और सभी अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष उपस्थित होने से रोकने की शक्ति होगी।

(v) जहां नियम 14-ए के तहत संदर्भित कोई भी ऐसा कदाचार है -

प्रधान जिला न्यायाधीश के न्यायालय के समक्ष एक अधिवक्ता द्वारा प्रतिबद्ध, प्रधान जिला न्यायाधीश के पास संबंधित अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने और उस पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति होगी।

ऐसे जिले के भीतर किसी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना।

(vi) जहां नियम 14-ए के तहत निर्दिष्ट ऐसा कोई कदाचार किसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक अधिवक्ता द्वारा किया जाता है, संबंधित न्यायालय प्रधान जिला न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

जिसकी अधिकारिता के भीतर यह स्थित है और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्रधान जिला न्यायाधीश को संबंधित अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने और उसे ऐसे जिले के भीतर किसी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से रोकने की शक्ति होगी।

14 - सीः पालन की जाने वाली प्रक्रियाः

उच्च न्यायालय या प्रधान जिला न्यायाधीश का न्यायालय, जैसा भी मामला हो, नियम 14-ए के तहत आदेश देने से पहले, ऐसे अधिवक्ता को उसके समक्ष वापसी योग्य समन जारी करेगा, जिसमें अधिवक्ता से उपस्थित होने और समन में कथित मामलों के खिलाफ कारण दिखाने की आवश्यकता होगी और यदि व्यवहार्य हो तो समन व्यक्तिगत रूप से उस पर जारी किया जाएगा।

19] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14 - डीः अंतरिम आदेश पारित करने की शक्तिः

उच्च न्यायालय या प्रधान जिला न्यायाधीश का न्यायालय, इससे पहले

नियम 14-सी के तहत अंतिम आदेश देते हुए, एक अंतरिम आदेश पारित करें जो संबंधित अधिवक्ता को उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष उपस्थित होने से रोकता है, जैसा भी मामला हो, उचित मामलों में, जो वह उचित समझे, जांच लंबित है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) के साथ-साथ अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30,34 (1), 35 और 49 (1) (सी) का उल्लंघन करने का आधार, क्योंकि इस तरह के कदाचार के लिए प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल और उच्च न्यायालय अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 (1) के तहत ऐसे नियम नहीं बना सकते थे। उच्च न्यायालय उन शर्तों के बारे में नियम बना सकता था जिनके अधीन एक अधिवक्ता को उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत करने की अनुमति दी जाएगी। द्वारा विघटन

अनुशासनात्मक उपाय का तरीका अधिनियम की धारा 34 (1) के दायरे से बाहर है। बार काउंसिल अधिवक्ताओं का नामांकन करती है और कदाचार के लिए प्रतिबंध लगाने की शक्ति बार काउंसिल के पास होती है। प्रयास अधिवक्ताओं पर नियंत्रण की बेलगाम शक्ति प्रदान करना है जो कानून के शासन के खिलाफ है।

दुर्व्यवहार को अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के तहत परिभाषित किया गया है। रिलायंस को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम में इस अदालत के संविधान पीठ के फैसले पर रखा गया है। भारत संघ और ए. एन. आर. (1998) 4 एससीसी 409।

आर. मुथुकृष्णन बनाम मद्रास में उच्च न्यायालय का सामान्य पंजीकरण [अरुण मिश्रा, जे.]

5. मद्रास में उच्च न्यायालय ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि नियमों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है और समीक्षा समिति ने नियमों की समीक्षा के मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। दाखिल किए गए उत्तर में उच्च न्यायालय ने नियमों में किए गए संशोधन को इस आधार पर उचित ठहराया है कि उन्हें आर. के. आनंद बनाम मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में तैयार किया गया है। पंजीयक,

दिल्ली उच्च न्यायालय (2009) 8 एस. सी. सी. 106 जिसमें इस न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 के तहत नियम बनाने और इस न्यायालय के प्रारूप के आधार पर अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड रखने के लिए नियम बनाने का निर्देश दिया है। यह आगे बताया गया है कि अदालत परिसर के अंदर एक वकील का आचरण और उपस्थिति विनियमित करने के लिए अदालत के अधिकार क्षेत्र में है। उच्च न्यायालय ने प्रवीण सी. शाह बनाम मामले में निर्णय पर भरोसा किया है। के. ए. मोहम्मद। अली (2001) 8 एस. सी. सी. 650 जिसमें अदालत में कदाचार के लिए अधिवक्ताओं को प्रतिबंधित करने वाले बनाए गए नियमों के रूप में समान नियम के अधिकारों को बरकरार रखा गया था, इस प्रकार अनुमेय हैं।

6. उच्च न्यायालय ने भी पूर्व कप्तान के मामले में निर्णय पर भरोसा किया है। हरीश उप्पल बनाम। भारत संघ (2003) 2 एस. सी. सी. 45 ने उस अदालत का प्रतिवाद किया

7. उच्च न्यायालय ने तर्क दिया है कि नियम इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के ढांचे के भीतर और अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 (1) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं। आर. के. आनंद के मामले (उपरोक्त) में जारी निर्देशों के अनुसार, मामले को 17.3.2010 पर उच्च न्यायालय की नियम समिति के समक्ष रखा गया था। न्यायाधीशों, बार काउंसिल के सदस्यों और बार के सदस्यों का गठन किया गया था, और कार्यवृत्त को पूर्ण न्यायालय द्वारा 23.9.2010 पर अनुमोदित किया गया था। इसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने नियमों को अंतिम रूप देने के लिए दो न्यायाधीशों, तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता, मद्रास बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, मद्रास उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और महिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष की एक समिति का गठन किया।

8. उच्च न्यायालय ने जवाब में आगे तर्क दिया है कि निदेशक, भारत सरकार, गृह मंत्रालय दिनांक 31.5.2007 के संचार में 'दिशानिर्देशों' की एक प्रति संलग्न की गई और राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को समीक्षा करने के लिए सूचित किया गया और [2019] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए देश में उच्च न्यायालयों और जिला/अधीनस्थ न्यायालयों के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना। उच्च न्यायालय ने आगे तर्क दिया है कि कई मामले सामने आए हैं

वर्ष 2015 में मद्रास उच्च न्यायालय के परिसर में अधिवक्ताओं द्वारा घोर दुर्व्यवहार के उदाहरण। अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करने और अदालत कक्षों के अंदर तख्तियां लहराने, नारे लगाने और अदालत के गलियारों में मार्च करने जैसी गतिविधियों का सहारा लेकर अदालत के कामकाज को पूरी तरह से असंभव बना दिया है। कुछ अधिवक्ताओं ने मदुरै पीठ की कार्यवाही को बाधित करने के लिए हाथ से पकड़े गए माइक्रोफोन का उपयोग किया था और यहां तक कि न्यायाधीशों के कक्षों पर भी हमला किया था। दो घटनाएँ हुईं जब बम की अफवाहें थीं जहाँ अदालत परिसर में घड़ी जैसे उपकरणों की तस्करी की गई थी और कुछ क्षेत्रों में रखा गया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रहे थे। यहां तक कि सी. आई. एस. एफ. को भी नियुक्त करना पड़ा। इस प्रकार, न्यायालय और कानून के शासन की सुरक्षा और महिमा बनाए रखने की तत्काल आवश्यकता थी। विभिन्न बैठकों के बाद नियम बनाए गए और उन्हें अधिसूचित किया गया। उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 का आदेश 4 नियम 10 उन नियमों के समान है जो बनाए गए हैं। मोहित चौधरी में, अधिवक्ता, इन रे, (2017) 16

एस. सी. सी. 78, इस न्यायालय ने अवमानकर्ता को एक महीने की अवधि के लिए रिकॉर्ड पर अधिवक्ता के रूप में अभ्यास करने से निलंबित कर दिया था। 9. महिपाल सिंह राणा बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2016) 8 एस. सी. सी. 335, अदालत ने कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इसकी आवश्यकता हो सकती है।

अन्य नियामक व्यावसायिक निकायों की तर्ज पर पुनर्गठन, और विधि आयोग से एक रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया था। एक सलाह

समिति का गठन बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। हड़ताल, बहिष्कार और अदालती कार्यों से दूर रहने पर एक उप-समिति भी बनाई गई थी।

गठित किया गया। विधि आयोग ने अंतिम रूप देकर रिपोर्ट No.266 प्रकाशित की थी।

दिनांक 23.3.2017 और मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों पर ध्यान दिया है। न्यायालय को अधिवक्ताओं के आचरण और न्यायालय के अंदर उपस्थिति को विनियमित करने का अधिकार है। इस प्रकार यह असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं है और खारिज करने के लिए एक प्रार्थना की गई है

रिट याचिका। 10. याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया है कि नियम अधिकार से बाहर हैं और अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 (1) के दायरे में बनाए जाने की अनुमति नहीं है। वे बार की स्वतंत्रता को छीन लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले के विपरीत चलते हैं। भारत संघ (ऊपर)।

आर. मुथुकृष्णन बनाम मद्रास में उच्च न्यायालय का सामान्य पंजीकरण [अरुण मिश्रा, जे.]

11. श्री मोहन परासरन, विद्वान वरिष्ठ वकील

उच्च न्यायालय की ओर से तर्क दिया गया है कि नियम धारा 34 (1) के दायरे में और आर. के. आनंद बनाम मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप बनाए गए हैं। पंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय (ऊपर)। उन्होंने कई अन्य फैसलों का भी उल्लेख किया है। यह प्रस्तुत किया गया था कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 के तहत, उच्च न्यायालय को गैर-पेशेवर और/या मामले में अधिवक्ता को प्रतिबंधित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है।

एक अधिवक्ता का अशोभनीय आचरण। अधिवक्ताओं को हड़ताल पर जाने या बहिष्कार का आह्वान करने का कोई अधिकार नहीं है, यहां तक कि सांकेतिक हड़ताल पर भी नहीं, जैसा कि एक्स में देखा गया है। - कैप्टन। हरीश उप्पल (ऊपर)। यह भी देखा गया कि अदालत को अब अधिवक्ताओं को प्रतिबंधित करने के लिए विशिष्ट नियम बनाने पड़ सकते हैं। अदालतों के समक्ष उपस्थित होने से अवमानना और/या गैर-पेशेवर या अशोभनीय आचरण का दोषी। अधिवक्ता अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन अदालत में उपस्थित होते हैं और अदालत के बाहर वकालत करना बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन होगा। उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम पर भी भरोसा किया है। केरल का उच्च न्यायालय

(2004) 6 एस. सी. सी. 311 जिसमें केरल उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के नियम 11 की वैधता पर विचार किया गया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा बनाए गए उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 के आदेश IV नियम 10 में निहित प्रावधानों का भी उल्लेख किया है, जो एक ऐसे अधिवक्ता को रिकॉर्ड पर प्रतिबंधित करने के संबंध में है जो कदाचार या अपराध के लिए दोषी है।

अभिलेख पर अधिवक्ता के अनुपयुक्त आचरण के लिए, अभिलेख पर अधिवक्ताओं के रजिस्टर से उसका नाम हटाने का आदेश भी पारित किया जा सकता है।

स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए जो अदालत उचित समझे। इस अदालत ने एक वकील को रिकॉर्ड पर दंडित किया है और उसे वकील (उपरोक्त) मोहित चौधरी के मामले में एक महीने की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। उच्च न्यायालय ने न्यायालय की गरिमा को बनाए रखने और कानून के शासन की रक्षा के लिए नियम बनाए हैं। मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय के परिसर में आदेश लाना आवश्यक था। इस प्रकार नियम बनाना आवश्यक हो गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल अपने कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहे हैं। इसलिए, उच्च न्यायालय पर यह दायित्व बन गया कि वह इस न्यायालय द्वारा महिपाल सिंह राणा (ऊपर) में किए गए अवलोकन के अनुसार कार्य करे।

12. इस अदालत ने 9.10.2017 और 4.9.2018 पर याचिका पर नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम बार काउंसिल की अनुशासनात्मक शक्ति का अतिक्रमण करते प्रतीत होते हैं। चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा गया था, इसलिए समय दिया गया था।

9] 1 एस. सी. आर. के बावजूद

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14. कानूनी पेशे की तुलना किसी अन्य पारंपरिक पेशे से नहीं की जा सकती है। यह प्रकृति में वाणिज्यिक नहीं है और निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति और समाज पर इसके प्रभाव को देखते हुए एक महान है। स्वयं लोकतंत्र को संरक्षित करने और न्यायपालिका को मजबूत बनाए रखने के लिए बार की स्वतंत्रता और बार काउंसिल की स्वायत्तता को वैधानिक रूप से सुनिश्चित किया गया है। जहाँ बार ने स्वतंत्र रूप से कर्तव्य का पालन नहीं किया है और एक चाटुकार बन गया है जिसके परिणामस्वरूप अंततः न्यायिक प्रणाली और स्वयं न्यायपालिका का अपमान होता है। स्वतंत्र बार के बिना एक मजबूत न्यायिक प्रणाली का अस्तित्व नहीं हो सकता है। 15. यह नहीं कहा जा सकता कि वकीलों ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के संघर्ष में योगदान दिया है। उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में मदद की है और न्यायालयों को विकसित करने में मदद की है

कठिन परिश्रम और शोध कार्य करके न्यायशास्त्र। कानूनी प्रणाली की उत्कृष्टता को हर कीमत पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि संविधान जीवंत रहे और इसकी व्याख्या का विस्तार किया जा सके ताकि नई व्यवस्थाओं का सामना किया जा सके।

चुनौतिएँ।

16. यह मूल रूप से वकील हैं जो अदालत में मुद्दा लाते हैं, उनसे समानता और स्वतंत्रता के व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने की अपेक्षा की जाती है।

जैसा कि संवैधानिक रूप से परिकल्पित है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश कानून के शासन द्वारा शासित है। कानून के शासन को बनाए रखने, समान व्यवहार के अधिकार और विभिन्न अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन में बार के महत्व को ध्यान में रखते हुए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न संस्थान अपने मापदंडों के भीतर काम करते हैं, इसकी स्वतंत्रता अनिवार्य हो जाती है और आर. मुथुकृष्णन बनाम नहीं।

समझौता करें। वकीलों को वादियों के अधिकारों की रक्षा में निडर और स्वतंत्र माना जाता है। वकीलों से अपेक्षा की जाती है कि वे मामलों को तय करने की कानूनी प्रणाली और कानूनी प्रक्रिया की रक्षा करें।

17. कानूनी प्रणाली में बार की भूमिका महत्वपूर्ण है। बार को न्यायपालिका का प्रवक्ता माना जाता है क्योंकि न्यायाधीश नहीं बोलते हैं। लोग महान वकीलों की बात सुनते हैं और लोग उनके विचारों से प्रेरित होते हैं। उन्हें सम्मान के साथ याद किया जाता है और उद्धृत किया जाता है। यह बार का कर्तव्य है कि वह ईमानदार न्यायाधीशों की रक्षा करे और उनकी प्रतिष्ठा को बर्बाद न करे और साथ ही यह सुनिश्चित करे कि भ्रष्ट न्यायाधीशों को बख्शा न जाए। हालाँकि, वकील सड़कों पर नहीं जा सकते हैं या हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं, सिवाय तब जब लोकतंत्र खतरे में हो और पूरी न्यायिक प्रणाली दांव पर हो। प्रणाली में सुधार करने के लिए, उन्हें भ्रष्ट न्यायाधीशों के खिलाफ उपयुक्त प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत दर्ज करके कानूनी रूप से उपलब्ध तरीकों का सहारा लेना होगा और जनता में इस तरह के आरोप नहीं लगाने होंगे। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार असहनीय है।

18. बार न्यायिक प्रशासन का एक अभिन्न अंग है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायपालिका एक प्रभावी उपकरण बनी रहे, यह बिल्कुल है

बार द्वारा सम्मान किया जाए, उन्हें बार का समान रूप से सम्मान करना होगा, आपसी गरिमा का पालन करना, दोनों की गरिमा आवश्यक है और सबसे बढ़कर उन्हें आत्म-सम्मान भी बनाए रखना होगा। 19. यह सुनिश्चित करना बार और बेंच की संयुक्त जिम्मेदारी है कि सभी को समान न्याय दिया जाए और कोई भी न्याय से वंचित न रहे।

आर्थिक कारणों या सामाजिक पिछड़ेपन के कारण। एक न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय कड़ी मेहनत और वकीलों द्वारा उसके सामने पेश की गई दलीलों की गुणवत्ता पर आधारित होता है। कोई जगह नहीं है

या तो एक वकील के लिए या एक न्यायाधीश के लिए अहंकार। 20. बार और बेंच के बीच एक अच्छा संतुलन है जिसे बनाए रखना पड़ता है क्योंकि न्यायाधीशों और न्यायपालिका की स्वतंत्रता सर्वोच्च है। बार की स्वतंत्रता समान आधार पर है, यह नहीं हो सकता है

उपेक्षा की जाती है और समझौता किया जाता है और यदि वकीलों को न्यायपालिका या कहीं और से डर लगता है, तो यह स्वयं न्यायपालिका की प्रभावशीलता के लिए अनुकूल नहीं है, यह आत्म-विनाशकारी होगा।

21. स्वतंत्र बार और स्वतंत्र पीठ लोकतंत्र की रीढ़ हैं। स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, [2019] 1 एस. सी. आर.

संवैधानिक मूल्यों का पालन, आपसी सम्मान और आत्म-सम्मान

बिल्कुल आवश्यक हैं। बार और बेंच एक दूसरे के पूरक हैं। बार और बेंच के सक्रिय सहयोग के बिना, कानून के शासन और इसकी गरिमा को बनाए रखना संभव नहीं है। समान और समान रूप से दिया गया न्याय न्यायिक प्रणाली की पहचान है। संविधान और अधिकारों की मूल संरचना का संरक्षण बार और बेंच की दृढ़ता और अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के उचित निर्वहन से संभव है। हम जंगल राज में नहीं रह सकते।

22. बार न्यायपालिका की जननी है और इसमें महान न्यायविद शामिल हैं।

बार ने महान न्यायाधीश पैदा किए हैं, उन्होंने न्यायपालिका को सुशोभित किया है और वास्तविक न्याय प्रदान किया है, जो समाज के लिए आवश्यक है।

23. न्याय प्रदान करने की प्रणाली में वकील की भूमिका अपरिहार्य है। वह पेशेवर नैतिकता से बंधा हुआ है और इसे बनाए रखने के लिए

उच्च मानक। उसका कर्तव्य अदालत के प्रति अपने मुवक्किल के प्रति, विपरीत पक्ष के प्रति और विरोधी पक्ष के वकील के प्रति भी सम्मान बनाए रखना है। समाज में दूसरों के लिए जो उचित हो सकता है, वह उसके लिए अनुचित हो सकता है क्योंकि वह समाज के एक सम्मानित बौद्धिक वर्ग से ताल्लुक रखता है और एक महान पेशे का सदस्य है, उससे अपेक्षा अधिक होती है। समाज में अधिवक्ताओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता है। लोगों को न्यायपालिका और न्यायिक प्रणाली में अपार विश्वास है और उनसे निपटने वाला पहला व्यक्ति है

एक वकील। वादी एक वकील पर विश्वास करते हैं और उनके साथ विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी साझा करते हैं। वे जहाँ भी किसी वकील द्वारा पूछे जाते हैं, वहाँ अपने हस्ताक्षर करते हैं।

एक अधिवक्ता से अपने अधिकारों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि उसके उद्देश्य के लिए बेदाग न्याय दिया जाए।

24. नेक पेशे के उच्च मूल्यों की सभी संबंधित लोगों द्वारा हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए और सभी परिस्थितियों में उनकी रक्षा नहीं की जा सकती है। प्रारंभिक वर्षों में जीवित रहने की लड़ाई में युवाओं द्वारा भी भुला दिया गया। कानूनी पेशे की कुलीनता के लिए एक अधिवक्ता को याद रखने की आवश्यकता होती है

कि वह किसी भी मामले से अधिक जुड़ा हुआ नहीं है क्योंकि अधिवक्ता कोई मामला नहीं जीतता है या हारता है, न्याय का वास्तविक प्राप्तकर्ता पर्दे के पीछे है, जो प्राप्त करने वाले छोर पर है। वास्तव में, हम एक वादी को उसके अधिकारों को मान्यता देने के अलावा कुछ भी नहीं देते हैं। एक वादी को एक वकील द्वारा निष्पक्ष रूप से सलाह दिए जाने का अधिकार है। वकीलों को धन की हेराफेरी करने वाला नहीं माना जाता है या

एम्बुलेंस चेज़र। एक वकील को न्यायाधीश से किसी भी पक्ष की उम्मीद नहीं करनी चाहिए और निष्पक्ष निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने में किसी भी तरह से शामिल नहीं होना चाहिए। तथ्यों और कानून में महारत हासिल करना और समर्पण करना उसका कर्तव्य है।

ठीक उसी तरह न्यायालय में, उसका कर्तव्य न्यायालयों का समय बर्बाद करना नहीं है।

25. अलेक्जेंडर कॉकबर्न ने कहा है कि "वकील का हथियार एक सैनिक की तलवार है, हत्यारे का खंजर नहीं"। यह वकीलों का नैतिक कर्तव्य है कि वे किसी न्यायाधीश से किसी भी अनुग्रह की उम्मीद न रखें। उसे उदाहरणों पर भरोसा करना चाहिए, उन्हें ध्यान से पढ़ना चाहिए और भ्रष्टाचार और किसी भी प्रकार की मिलीभगत से बचना चाहिए, ताकि झूठी दलीलें न दी जा सकें और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने से बचा जा सके। एक पेशे में, अस्तित्व के संघर्ष में भी सब कुछ उचित नहीं कहा जा सकता है। नैतिक मानक असम्बद्ध है। ईमानदारी से, समर्पण और कड़ी मेहनत ही पूर्णता का एकमात्र स्रोत है। अधिवक्ता का आचरण अनुकरणीय माना जाता है। यदि कोई अधिवक्ता न्यायाधीशों या उनके सहयोगियों की बदनामी करता है या खुद को कदाचार में शामिल करता है, तो यह सबसे भयावह और हानिकारक कार्य है जो पूरी कानूनी प्रणाली के लिए किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से डेडवुड है और कटा हुआ होने का हकदार है।

26. फ्रांसिस बेकन ने न्यायाधीशों के बारे में कहा है कि न्यायाधीशों को

मजाकिया से अधिक विद्वान, प्रशंसनीय से अधिक आदरणीय, और आत्मविश्वास से अधिक सलाह देने वाले बनें। सब से ऊपर, सत्यनिष्ठा उनका हिस्सा और उचित गुण है। धैर्य और सुनवाई की गंभीरता न्याय का एक अनिवार्य हिस्सा है, और एक अधिक बोलने वाला न्यायाधीश अच्छी तरह से संयमित नहीं होता है।

27. बार और बेंच के बीच मूल्यों का संतुलन, सम्मान स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली की इमारत है। समय आ गया है।

गौरव को पुनर्स्थापित करना और समय-स्थायी आदर्शों और सिद्धांतों को संजोना। मूल्य-संचालित ढांचे के लिए, यह आवश्यक है कि दृष्टिकोण को नैतिक और नैतिक रूप से सही परिप्रेक्ष्य में सही किया जाए। धारणा एम्बुलेंस का पीछा करने वाले, पैसे की हेराफेरी करने वाले और काली भेड़ के बारे में अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए। वकीलों के बारे में इस तरह की सार्वजनिक धारणा कानूनी पेशे की विश्वसनीयता को कम करती है, व्यवस्था की सभी बुराइयों को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। कोई भी मानव संस्था कभी भी परिपूर्ण नहीं होती है। अधिक पूर्णता की ओर बढ़ने के लिए, किसी को केवल अतीत की गलतियों से सीखना होगा और वर्तमान दिनों के अच्छे काम को आगे बढ़ाना होगा ताकि कल को बेहतर बनाया जा सके।

28. मद्रास में उच्च न्यायालय में जो कुछ हुआ है, जैसा कि उच्च न्यायालय के जवाब में पेश किया गया है, उसकी पृष्ठभूमि ने हमें प्रेरित किया है उपरोक्त टिप्पणियाँ करें। मामले का फैसला करते समय, हमारे पास है

केवल एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी जिम्मेदारियों और महत्व की याद दिलाने के लिए बार के महत्व की ओर इशारा किया। मद्रास में जो माहौल बनाया गया था जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में पेश किया गया था, उसने हमें अदालत की अवमानना अधिनियम का आह्वान करके मामले पर कड़ा रुख अपनाने के लिए भी प्रेरित किया होगा, लेकिन समय अंतराल और चीजों के लिए [2019] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय के कठिन प्रयास के कारण अब तक सुलह हो चुकी है। इस अदालत के लिए यह बहुत कम नहीं है कि वह वकीलों के इस तरह के असंयमी व्यवहार को बर्दाश्त करे जैसा कि उच्च न्यायालय के जवाबी हलफनामे में पेश किया गया है। जिन कृत्यों की शिकायत की गई है, वे न केवल अपमानजनक हैं, बल्कि घोर पेशेवर कदाचार के समान भी हैं।

29. अदालत परिसर में जुलूस निकालने, अदालतों में नारे लगाने, लाउडस्पीकरों का उपयोग करने के लिए कोई जगह नहीं है। न्यायाधीशों के साथ असंयमित भाषा या न्यायालय के शांतिपूर्ण, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण कामकाज में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पैदा करना। इसकी पवित्रता महान आत्माओं के लिए आरक्षित एक पवित्र स्थान से कम नहीं है। हम यह जानकर हैरान हैं कि घोर दुर्व्यवहार के उदाहरण

मद्रास उच्च न्यायालय के परिसर में अधिवक्ताओं ने न्यायालय और कानून के शासन की सुरक्षा और महिमा बनाए रखने के लिए सी. आई. एस. एफ. की मांग की। महिपाल सिंह राणा (ऊपर) मामले में इस अदालत ने कहा है कि बार काउंसिल अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रही है।

अनुशासन पक्ष। हमारी राय में, यदि ऐसी स्थिति बनी रहती है और बार काउंसिल कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहती है, तो न्यायालय को अपने कामकाज की निगरानी करनी होगी और उचित अनुमेय आदेश पारित करने होंगे। बार और बेंच दोनों की स्वतंत्रता सर्वोच्च है, दोनों के बीच संतुलन होना चाहिए।

30. अब हम मुख्य प्रश्न के लिए विज्ञापन देते हैं कि क्या अनुशासनात्मक शक्ति है

इस संबंध में न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य द्वारा बार काउंसिल में निहित किया जा सकता है।

31. विधायिका ने अधिवक्ता अधिनियम को लागू करते समय बार की स्वायत्तता में विश्वास व्यक्त किया है और यह स्वायत्त बार का प्रावधान करता है राज्य और केंद्रीय स्तर पर परिषदें। कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा का नैतिक मानक बार काउंसिल को सौंपा गया है। इसे कानूनी पेशे की गरिमा और बार की स्वतंत्रता को बनाए रखना होगा। अनुशासनात्मक नियंत्रण विभिन्न राज्यों की बार परिषदों और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समितियों को सौंपा गया है और अधिनियम की धारा 38 के तहत इस न्यायालय में एक अपील है।

32. बार एसोसिएशन को विश्व स्तर पर स्व-शासित होना चाहिए।

पहचाने जाते हैं। यही संकल्प संयुक्त राष्ट्र का भी है। यहां तक कि न्यायाधीशों और वकीलों की स्वतंत्रता पर विशेष प्रतिवेदक को भी यह बाधा मिलती है

संघ कानूनी पेशे और उसके सदस्यों की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मूल

1990 में प्रकाशित वकीलों की भूमिका पर सिद्धांतों में कहा गया है कि ऐसी संस्थाओं को स्वतंत्रता और अपनी स्व-शासी प्रकृति होनी चाहिए।

आर. मुथुकृष्णन बनाम मद्रास में न्यायिक न्यायालय के जी. एच. जनरल [अरुण मिश्रा, जे.] ए. आर. एसोसिएशन की एक लोकतांत्रिक समाज में विशेष रूप से उचित प्रक्रिया और उचित गारंटी में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का सार निम्नलिखित है

एनएसः

" आदेश

रिपोर्ट में, विशेष प्रतिवेदक डिएगो गार्सिया-सायन ने पाया कि संघों को स्वतंत्र और स्व-शासित होना चाहिए क्योंकि वे लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक सामान्य जनादेश रखते हैं। कानूनी पेशा और इसके सदस्यों के हित।

संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि उन्हें भी कानून के तहत मान्यता दी जानी चाहिए।

" कानूनी पेशे के स्वतंत्र और स्वतंत्र अभ्यास को सक्षम बनाने के लिए एक लोकतांत्रिक समाज में बार संघों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

और न्याय तक पहुंच और मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से, उचित प्रक्रिया और निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी, "संयुक्त राष्ट्र सचिव ने कहा।

जनरल एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं।

स्व-शासन

वकीलों की भूमिका पर संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी सिद्धांत (1990 में प्रकाशित) यह मानते हैं कि अन्य नागरिकों की तरह वकीलों को भी संघ बनाने और इकट्ठा होने की स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्व-शासित पेशेवर संघ बनाने और उनमें शामिल होने का अधिकार शामिल है। इसके प्रकाशन के बाद से, इस सार्वभौमिक दस्तावेज़ को वकीलों और सरकारों के बीच झगड़ों में संदर्भित किया गया है।

आवश्यकताएँ

मौजूदा कानूनी मानक इस बात की परिभाषा प्रदान नहीं करते हैं कि

वकीलों का एक पेशेवर संघ है। वे केवल उन आवश्यक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो ऐसी संस्थाओं के पास होनी चाहिए,

जैसे कि स्वतंत्रता और एक स्व-शासित प्रकृति।

रिपोर्ट में सिफारिश की गई है किः " पूरे पेशे की अखंडता और कानूनी सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, कानूनी सेवाओं को विनियमित करने वाले एकल पेशेवर संघ की स्थापना करना बेहतर है।

पेशा "।

साथियों द्वारा चुना गया

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का एक अन्य सिद्धांत यह हैः कानूनी पेशे की स्वतंत्रता की गारंटी देने के लिए, अधिकांश सदस्य [2019] 1 एस. सी. आर.

बार एसोसिएशन के कार्यकारी निकाय के वकील होने चाहिए

अपने साथियों द्वारा चुने गए।

यह कहता है कि बार संघों या शासी निकायों का राज्य नियंत्रण है

" कानूनी स्वतंत्रता के सिद्धांत के साथ असंगत

पेशा "।

(जोर दिया गया)

33. एशिया में विधि संघ के अध्यक्षों के सम्मेलन में,

ऑस्ट्रेलिया की परिषद का आयोजन 20 मार्च, 2005 को क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। सी. ई. माइकल किर्बी ए. सी. सी. एम. जी. ने 'स्वतंत्रता' पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए।

कानूनी पेशाः वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौती और संकेत

अपने पत्रों में बार की स्वतंत्रता का महत्व इस प्रकार हैः

" कानून की विशेषताओं में से एक जो अन्य स्रोतों को परेशान करती है शक्ति की मांग कानून के व्यवसायियों-न्यायाधीशों और

स्वतंत्रता के लिए वकील। जलन अक्सर सच होती है

राजनेता, धनी और शक्तिशाली लोग, सरकारी अधिकारी और

आज्ञा मानने वाले और डरने वाले आम तौर पर इसे बहुत परेशान करते हैं कि शक्ति का एक स्रोत है जिसे वे नियंत्रित या कानून नहीं खरीद सकते हैं और

अदालतें। फिर भी एक आधुनिक लोकतंत्र का सार पालन है।

कानून के शासन से। आश्वासन दिए बिना कानून का शासन कायम नहीं रहेगा

कानून के प्रमुख कर्ता-न्यायाधीश और वकील भी

कानूनी शिक्षाविद-मन की स्वतंत्रता का एक बहुत उच्च उपाय

और कार्रवाई। एक स्वतंत्र कानूनी पेशे के लिए यह भी आवश्यक है कि वकील

बिना किसी हस्तक्षेप या प्रतिशोध के डर के अपना काम करने के लिए स्वतंत्र।

उनके मुवक्किल निडरता से और अदालतों को बनाए रखने में सहायता करने के लिए कानून। उन्हें इन कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम बनाने के लिए यह आवश्यक है कि

स्वतंत्रता उत्पन्न हो सकती है जहाँ वकील गठन करने में सक्षम नहीं होते हैं स्वतंत्र पेशेवर संगठन; ग्राहकों में सीमित हैं

जिनका वे प्रतिनिधित्व कर सकते हैं; उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी दी जाती है, अपने पेशेवर कर्तव्यों को निभाने के लिए अभियोजन या प्रतिबंध;

ग्राहक या वह कार्य जो वे करते हैं; या जिसके अधीन हैं जिस तरह से वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उसमें अनुचित हस्तक्षेप।

आर. मुथुकृष्णन बनाम मद्रास में उच्च न्यायालय का सामान्य पंजीकरण [अरुण मिश्रा, जे.]

स्वतंत्रता न्यायाधीशों के लाभ या सुरक्षा के लिए प्रदान नहीं की जाती है।

या ऐसे वकील। न ही इसका उद्देश्य उन्हें होने से बचाना है

अपने पेशेवर कर्तव्यों के निष्पादन में उत्तरदायी होना

और सामान्य कानून के लिए। इसके बजाय, इसका उद्देश्य सुरक्षा है

लोग, उन्हें एक स्वतंत्र कानूनी पेशे के रूप में प्रदान करते हैं। एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज का गढ़ "।

(जोर दिया गया)

न्यायमूर्ति किर्बी ने अपने पत्रों में यह भी बताया कि

कानूनी पेशे की स्वतंत्रता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इसलिए, न्यायाधीशों और वकीलों की स्वतंत्रता की खोज केवल एक आकांक्षी सिद्धांत नहीं है। यह बहुत व्यावहारिक महत्व के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का एक केंद्रीय सिद्धांत है। उन्होंने आगे इस प्रकार टिप्पणी की हैः

" ..... यदि सभी लोग कानून के तहत समान सुरक्षा के हकदार हैं,

ग्राहकों को निडर होकर और अलोकप्रिय कारणों की ओर से वकालत करने के लिए, ताकि कानूनी अधिकारों को बनाए रखा जा सके। कानून की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना

सत्ता के मनमाने प्रयोग पर एक मजबूत और स्वतंत्र

इसलिए कानूनी पेशा आवश्यक है। इस तरह, एक स्वतंत्र कानूनी पेशा आवश्यक है।

मानव और अन्य अधिकारों के संरक्षक। यह सुनिश्चित करके कि कोई व्यक्ति नहीं है

कानून की पहुंच से परे, कानूनी पेशा एक के रूप में काम कर सकता है

द्वारा शक्ति के मनमाने या अत्यधिक प्रयोग की जाँच करें सरकार और उसके एजेंटों या अन्य शक्तिशाली दलों द्वारा।

(जोर दिया गया)

उन्होंने अपने लेखों में कानून तक पहुंच, सुधार को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया।

कानून और उसके नियमों और सामान्य लोगों और वादियों के साथ वकीलों की भागीदारी, जिनके लिए अंततः कानून स्पष्ट रूप से संबंधित है।

34. बार की स्वतंत्रता पर 28 तारीख को चर्चा हुई थी।

13 नवंबर 1965 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में आयोजित नेशनल लॉयर्स गिल्ड के वार्षिक सम्मेलन भोज में रॉबर्ट एफ. ड्रिनन, एस. जे., डीन, बोस्टन कॉलेज लॉ स्कूल, ब्राइटन, मैसाचुसेट्स ने बार और उसके पहलुओं की स्वतंत्रता की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा है कि वकीलों को अपने मुवक्किल के हितों के प्रति वफादार और अदालतों की अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए वफादार होना चाहिए। इसके लिए कई नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है।

असमानता को हर रूप में चुनौती दें। उन्होंने यह भी बताया कि मन और हृदय की स्वतंत्रता आवश्यक है। बार भावनाओं और पूर्वाग्रहों का कैदी नहीं हो सकता है और निर्णय की स्वतंत्रता का अर्थ लगाने की आवश्यकता है और न्यायपालिका की शक्ति के अनुचित भय से आवश्यक है और कहा है कि वकील को स्वतंत्र महसूस करना चाहिए

प्रत्येक न्यायाधिकरण के न्यायिक निर्णयों की आलोचना करें। इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों के उद्देश्यों पर संदेह करना प्रत्येक के सार को कमजोर करता है

सभ्य समाज। एक वकील को वित्तीय से अलग होना पड़ता है।

विचार करें। यदि वकीलों की सराहना की जाती है और इन भावनाओं को अपनाया जाता है, तो हम वास्तव में एक स्वतंत्र समाज के अनिवार्य तत्व-एक स्वतंत्र पीठ और एक स्वतंत्र बार के पूर्ण विकास को देखेंगे। उन्होंने देखा हैः

" एंग्लो-अमेरिकन न्याय प्रणाली के तहत कानूनी पेशे के सदस्यों को दोहरी और परस्पर विरोधी निष्ठा सौंपी गई है। उन्हें एक साथ अपने मुवक्किल के हितों के प्रति वफादार होना चाहिए और उन न्यायालयों की अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए वफादार होना चाहिए जिनके वे अधिकारी हैं। द.

एक अधिवक्ता और न्यायालय के एक अधिकारी दोनों होने में निहित जटिल द्वैतवाद के लिए आवश्यक है कि वकील को एक अनूठी स्वतंत्रता हो-अपने मुवक्किल के किसी भी अत्यधिक पालन से अलगाव।

हितों के साथ-साथ अत्यधिक रूप से जुड़े रहने से स्वतंत्रता

न्यायिक प्रणाली के निर्णय और हित।

बार की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है, आइए हम इसे तुरंत स्पष्ट कर दें, सच्चाई या मूल्यों के प्रति गैर-प्रतिबद्धता की स्थिति। वास्तव में

बार की स्वतंत्रता पूर्व निर्धारित करती है और इसकी आवश्यकता होती है

कई नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता जिसे अमेरिका के कानूनी संस्थानों द्वारा पूरी तरह से या आंशिक रूप से पूरा किया जाना चाहिए। एक स्वतंत्र सीमा के लिए अपरिहार्य आध्यात्मिक मूल्य जिसके लिए: नेशनल लॉयर्स गिल्ड ने एक विशेष तरीके से अपनी शक्ति दी है। और प्रतिष्ठा देशभक्ति या निष्ठा के नाम पर सार्वजनिक निकायों द्वारा झूठे आरोप लगाने की अनुमति देने का बुनियादी अन्याय है।

वह वकील जिसका मन अपनी पीढ़ी या अपनी सदी के जुनून और पूर्वाग्रहों से स्वतंत्र है, वह अपनी उम्र के सामूहिक समझौतों को पार करता है और हर रूप में असमानता को साहसपूर्वक चुनौती देता है। वे वकील जिन्होंने गठन और गठन किया अमेरिकी गणराज्य में मन और हृदय की स्वतंत्रता थी जो अमेरिका में वकीलों की किसी भी बाद की पीढ़ी द्वारा अद्वितीय थी; आर. मुथुकृष्णन बनाम।

क्योंकि, अपनी उम्र के जुनून और पूर्वाग्रहों के कैदी होने के नाते, उन्होंने निर्णय की वह स्वतंत्रता खो दी है जिसके बिना एक वकील वास्तव में खुद को या उस महान पेशे की पहचान नहीं कर सकता है जिसका वह सदस्य है। II. न्यायिक अध्यक्ष से बार की स्वतंत्रता और न्यायपालिका के डर से

यदि कोई वकील वास्तव में अपनी पहचान को पूरा नहीं कर सकता है या अपने नैतिक मिशन को पूरा नहीं कर सकता है जब तक कि वह पूर्वाग्रहों से स्वतंत्र नहीं है और

जब तक वह न्यायपालिका से सम्मानजनक स्वतंत्रता की मनोवृत्ति की खोज और उसे बनाए नहीं रख सकता, तब तक उसकी उम्र के जुनून के कारण वह इसी तरह से बाधित होता है। न्यायपालिका से इस स्वतंत्रता से वकीलों को लगातार और साहसपूर्वक न्यायिक निर्णयों की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र महसूस करना चाहिए। यह आलोचना केवल उच्च न्यायालयों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर उस न्यायाधिकरण पर लागू होनी चाहिए, जिसके विचारों में अंतर्निहित तर्क और स्पष्ट स्थिरता की कमी हो।

क्या संवैधानिक रूप से संरक्षित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता देश के सर्वोच्च न्यायाधिकरण की बदनामी और सार्वजनिक मानहानि के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करती है? और किस सिद्धांत से स्वतंत्र हो सकता है?

बार उन लोगों के प्रति अपनी निष्क्रियता को उचित ठहराता है जो अपशब्दों और मानहानि से न्यायाधीशों के उद्देश्यों को नकारते हैं और प्रत्येक सभ्य समाज के सार-कानून के शासन को कमजोर करते हैं?

आम तौर पर बेंच से बार के स्तर से ऊपर उठने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। एक बार जो बेंच के अधीन और गुलाम है, बेंच और बार दोनों को भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति रखता है। इसलिए कानूनी पेशे की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि वकील अधिवक्ताओं के रूप में अपने कर्तव्यों और अदालत के अधिकारियों के रूप में अपनी भूमिका दोनों से अलग होने का ऐसा रवैया प्राप्त करें कि वे निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकें-न केवल अपने मुवक्किलों के सेवकों के रूप में और न ही विशेष रूप से अदालतों के मंत्रियों के रूप में।

(जोर दिया गया)

19] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

35. एक लेख 'एक स्वतंत्र बार का महत्व' में

स्टीफन ए. साल्ज़बर्ग ने स्कॉलरली कॉमन्स, जीडब्ल्यू लॉ फैकल्टी पब्लिकेशंस और अन्य कार्यों में प्रकाशित किया, जिसमें शेक्सपियर का उल्लेख किया गया था।

जब डिक द बुचर ने हमले की योजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की और बताया कि उन्हें इंग्लैंड पर राजनीतिक नियंत्रण कैसे प्राप्त करना चाहिए। यह इस बैठक के दौरान है कि "सभी वकीलों को मारने" से संबंधित सजा हुई। नाटक में सटीक वाक्य था "सबसे पहले हम करते हैं, आइए सभी वकीलों को मार दें"। सरकारों को वकीलों और न्यायाधीशों से तभी डरने की आवश्यकता होती है जब वे सच्चाई से डरते हों। यह यहाँ सच है और यह दुनिया भर में सच है। लेख के प्रासंगिक भाग को नीचे निकाला गया हैः

" वकीलों पर हमला

इस दृष्टिकोण से मैं कानूनी पेशे पर हाल ही में हुए हमलों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूं।

संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया में कहीं और। पर हुए हमले

निजी बार अक्सर न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमलों के साथ होते हैं, और ये हमले न्यायपालिका पर एक प्रत्यक्ष हमला हैं।

कानून के शासन की धारणा। एक कानून पत्रिका जो नाटक को देखता है जैसा कि मैं संक्षिप्त रूप से सारांशित करता हूं

यह इस प्रकार हैः

..... योजना के निष्पादन से पहले, केड और उनके अनुयायी, जिनमें डिक द बुचर भी शामिल थे, हमले की योजना और इंग्लैंड पर राजनीतिक नियंत्रण हासिल करने के बारे में चर्चा करने के लिए मिले। यह इस बैठक के दौरान है कि "सभी वकीलों को मारने" से संबंधित सजा होती है। नाटक में सटीक वाक्य था, "सबसे पहले हम सब वकीलों को मार दें। ” हम देखते हैं कि यह वाक्य एक दंगाई अराजकतावादी द्वारा बोला गया था जिसका इरादा इंग्लैंड की वैध सरकार को उखाड़ फेंकना था।

शेक्सपियर जानते थे कि वकील लोकतांत्रिक इंग्लैंड में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्राथमिक संरक्षक हैं। शेक्सपियर यह भी जानते थे कि जब तक देश के वकीलों को नहीं मार दिया जाता, तब तक भीतर से एक अराजक विद्रोह विफल होने वाला था।

सरकार ने वकीलों को दूर रखने के लिए दबाव डाला है ग्वांतानामो जितना संभव हो सके क्योंकि यह जानता है कि उनके

उपस्थिति का अर्थ है अनुचित कार्यवाही के लिए, गुप्त रूप से चुनौती देना।

साक्ष्य, और लंबे समय तक नजरबंदी। वकीलों ने बंदियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वेच्छा से काम किया है, लेकिन ऐसा करने की उनकी क्षमता बंदी प्रत्यक्षीकरण आर. मुथुकृष्णन बनाम दोनों के कांग्रेस के उन्मूलन से बहुत सीमित है।

मद्रास में न्यायिक न्यायालय के जी. एच. जनरल [अरुण मिश्रा, जे.]

और बंदियों को उनकी नजरबंदी या उनकी नजरबंदी की शर्तों को चुनौती देने वाली कार्रवाई करने का अधिकार।

ग्वांतानामो में जो हुआ है, उसके लिए मुझे गहरा खेद है। आखिरकार, सरकारों को वकीलों और न्यायाधीशों से तभी डरने की जरूरत होती है जब वे सच्चाई से डरते हों। यह यहाँ सच है और यह दुनिया भर में सच है।

..... ये वकील और न्यायाधीश हमें याद दिलाते हैं कि कानून के शासन को बनाए रखना कुछ ऐसा है जिसे कभी भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यह अक्सर एक चुनौती होती है जिसमें आत्म-त्याग और जोखिम लेने की आवश्यकता होती है।

कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने कनाडा में स्पष्ट रूप से लिखा (महान्यायवादी) v. लॉ सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, [1982] 2 एस. सी. आर. 307 पर 335-36:

अपने सभी क्षेत्रों में राज्य से बार की स्वतंत्रता

व्यापक अभिव्यक्तियाँ स्वतंत्र होने की विशेषताओं में से एक हैं।

समाज। नतीजतन, कानून के इन सदस्यों का विनियमन

जहाँ तक मानव चतुराई का संबंध है, राज्य द्वारा व्यवसाय होना चाहिए।

इस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है, राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त हो सकता है,

राज्य में नागरिक, विशेष रूप से सार्वजनिक और आपराधिक क्षेत्रों में कानून। एक स्वतंत्र समाज में जनहित को कोई और क्षेत्र नहीं पता है

स्वतंत्रता, निष्पक्षता और उपलब्धता की तुलना में संवेदनशील

बार के सदस्यों की आम जनता और उनके माध्यम से

आम तौर पर सदस्य, कानूनी सलाह और सेवाएं।

एक अन्य कनाडाई मामले में, एंड्रयूज बनाम। लॉ सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, [1989] 1 एस. सी. आर. 143 पीपी. 187-88 : जस्टिस मैकइंटायर

उन्होंने लिखाः

" मैं देखूंगा कि एक स्वतंत्र कानूनी व्यवस्था के अभाव में

पेशे में अपनी भूमिका निभाने के लिए कुशल और योग्य

कानूनी मामलों पर सलाह देना और ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करने में अदालतों और अन्य न्यायाधिकरणों में वकील को बड़ी शक्तियां दी जाती हैं।

अन्य पेशेवरों को अनुमति नहीं है.. किसी भी मानक से, ये

हमारे देश में व्यवस्था बनाए रखने के लिए शक्तियाँ और कर्तव्य महत्वपूर्ण हैं।

के हित में समाज और कानून का उचित प्रशासन

पूरा समुदाय।

(जोर दिया गया)

36. अंतर्राष्ट्रीय बार एसोसिएशन के अध्यक्षीय कार्य बल का गठन कानूनी स्वतंत्रता के सवाल की जांच करने के लिए किया गया था। पेशा. रिपोर्ट में स्वतंत्रता के संकेतकों पर चर्चा करते हुए, यह बताया गया है कि एक बार एसोसिएशन को आम तौर पर स्वतंत्र माना जाता है जब यह ज्यादातर बाहरी प्रभाव से मुक्त होता है और कर सकता है

पेशे के विनियमन, बर्खास्तगी की कार्यवाही और वकीलों के संघ में शामिल होने के अधिकार जैसे मामलों पर बाहरी स्रोतों के दबाव का सामना करना। न्यायिक स्वतंत्रता यह सुनिश्चित करती है कि वकील स्वतंत्र और सुरक्षित वातावरण में अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम हों और एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी वकीलों की स्वतंत्रता पर रोक लगाने के रूप में कार्य करती है और इसके विपरीत। कार्यबल की रिपोर्ट का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया हैः

" न्यायिक स्वतंत्रता यह सुनिश्चित करती है कि वकील एक स्वतंत्र और सुरक्षित वातावरण में अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम हैं, जहां वे न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने में सक्षम हैं और अपने मुवक्किलों को बुद्धिमान, निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ सलाह प्रदान करते हैं। एक निष्पक्ष और स्वतंत्र

न्यायपालिका के आलोचना के प्रति सहिष्णु और प्रतिक्रियाशील होने की अधिक संभावना है, जिसका अर्थ है कि वकील प्रतिशोध के डर के बिना न्यायपालिका की स्वतंत्र रूप से आलोचना करने में सक्षम हैं, चाहे वह सरकार द्वारा अभियोजन या प्रतिकूल न्यायिक निर्णयों के रूप में हो। एक स्वतंत्र न्यायपालिका वकीलों की स्वतंत्रता पर एक रोक के रूप में भी कार्य करती है और इसके विपरीत भी। इस प्रकार, न्यायिक स्वतंत्रता के बीच संबंध

और वकीलों की स्वतंत्रता पारस्परिक निर्भरता और सह-निर्भरता है।

बार में प्रवेश, अनुशासनात्मक कार्यवाही और निष्कासन पर स्पष्ट और पारदर्शी नियम होने चाहिए। इस संबंध में, आई. बी. ए. कार्य बल द्वारा निम्नलिखित अवलोकन किया गया हैः

" 4.2 .2.2 . बार में प्रवेश, अनुशासनात्मक कार्यवाही और विघटन पर स्पष्ट और पारदर्शी नियम प्रवेश, अनुशासनात्मक कार्यवाही और विघटन पर स्पष्ट और पारदर्शी नियम ऐसे नियमों को संदर्भित करते हैं जो समझने योग्य और सुलभ हैं, ताकि जो लोग नियमों के अधीन हैं वे आसानी से उन तक पहुँच सकें, उनके अर्थ को समझ सकें और उनके उल्लंघन के निहितार्थ की सराहना कर सकें। बार में प्रवेश पर बोधगम्य, स्पष्ट और पारदर्शी नियमों का अस्तित्व यह सुनिश्चित करता है कि वे

प्रवेश चाहने वाले आवश्यकताओं के बारे में अच्छी तरह से सूचित होते हैं और सभी उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू होने वाले वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। स्पष्ट और पारदर्शी नियम मनमाने आर. मुथुकृष्णन बनाम के जोखिम को कम करते हैं।

मद्रास में उच्च न्यायालय का सामान्य पंजीकरण [अरुण मिश्रा, जे.]

अनुशासनात्मक कार्यवाही और विघटन और यह भी गारंटी देता है कि

वकीलों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह और जिम्मेदार ठहराया जाता है।

वकीलों, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं और आम जनता के पास होना चाहिए कुशल, निष्पक्ष और कार्यात्मक तंत्र तक पहुंच जो अनुमति देता है

पेशे और जनता के बीच विवादों का समाधान,

अनुशासनात्मक उपायों का अधिरोपण (जहां उपयुक्त हो) और

एक प्रभावी अपील प्रणाली। यह सुनिश्चित करता है कि सभी के अधिकार

पार्टियों को कानून के शासन के अनुसार संरक्षित किया जाता है।

(जोर दिया गया)

37. आत्म-नियमन की पूर्ण कमी का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है

वकीलों और वकीलों की स्वतंत्रता पर विवादास्पद या अलोकप्रिय मामलों में अभियोजन के डर से मुक्त होना चाहिए। राजनीतिक, सामाजिक और कुछ परिस्थितियों में, युद्ध, आतंक और आपातकाल के समय मीडिया का दबाव देश की स्वतंत्रता पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।

पेशा. निडर तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बेईमान व्यक्तियों द्वारा उन पर हमला किया जा सकता है। यही कारण है कि बार की स्वतंत्रता अनिवार्य है। कानून के वर्तमान विकास पर सेमिनार, प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने की आवश्यकता है ताकि इसे बनाए रखा जा सके।

स्वतंत्रता। यह आई. बी. ए. टास्क की रिपोर्ट में भी देखा गया है। ऐसा करने के लिए मजबूर करें कि जनता अक्सर वकीलों को भ्रष्टाचार, झूठ, छल, अत्यधिक धन और एक भव्य जीवन शैली से जोड़ती है। रिपोर्ट का निष्कर्ष इस प्रकार हैः

" दुनिया भर में कानूनी पेशे को प्रभावित करने वाला इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है।

इसकी स्वतंत्रता के लिए कई तरह के खतरे। इसके बिना

स्वतंत्रता, वकीलों को अनुशासनात्मक कार्यवाही के संपर्क में छोड़ दिया जाता है,

मनमाना विघटन, शारीरिक हिंसा, उत्पीड़न, और यहाँ तक कि

मृत्यु। दुनिया भर के वकीलों को निशाना बनाया गया है

सरकारों और निजी अभिनेताओं द्वारा केवल सार्वजनिक रूप से कार्य करने के लिए

ब्याज या मामलों या कारणों को शुरू करने के लिए, जिनमें कुछ शामिल हैं

सरकार को आपत्तिजनक लगता है।

38. स्वतंत्र द्वारा अनुशासनात्मक नियंत्रण पर जोर

निकाय ताकि न्यायिक प्रणाली की शुद्धता, प्रभावकारिता और बुद्धि को बनाए रखा जा सके। अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में कानूनी पेशे की स्वतंत्रता के लिए आई. बी. ए. मानकों का संकल्प यहां निकाला गया हैः

21. वकीलों के संघ एक संहिता को अपनाएंगे और लागू करेंगे वकीलों का पेशेवर आचरण।

19] 1 एस सी आर।

22. प्रारम्भ के लिए स्थापित नियम होंगे और

अनुशासनात्मक कार्यवाहियों का संचालन जिसमें नियम शामिल हैं -

23. उपयुक्त वकीलों का संघ इसके लिए जिम्मेदार होगा या अनुशासन के आचरण में भाग लेने का हकदार हो

कार्यवाही।

24. अनुशासनात्मक कार्यवाही सबसे पहले की जाएगी। उपयुक्त वकीलों की अनुशासनात्मक समिति के समक्ष '

संगठन। वकील को अपील करने का अधिकार होगा एक उपयुक्त और स्वतंत्र अपीलीय के लिए अनुशासनात्मक समिति

शरीर "।

(जोर दिया गया)

आई. बी. ए. प्रस्ताव में अनुशासन समिति पर जोर दिया गया है

बार की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए बार आवश्यक है।

39. बार के सदस्यों को बौद्धिक के रूप में मान्यता दी जाती है

समाज। वे कानून के रक्षक होने के नाते समाज में सम्मान का आनंद लेते हैं क्योंकि वे समानता के लिए लड़ते हैं। अधिवक्ता को अपने या किसी अन्य के लिए किसी भी अप्रिय परिणाम की परवाह किए बिना सभी निष्पक्ष और सम्मानजनक तरीकों से अपने मुवक्किलों के हितों को निडरता से बनाए रखना होता है। एक वकील है

माना जाता है कि बहुत ही वास्तविक समस्या का समाधान खोजना चाहिए क्योंकि 'जल्दबाजी में न्याय न्याय को दफन कर देता है' और 'धीमा न्याय कोई न्याय नहीं है'। यह एक वकील के लिए पेशेवर रूप से शर्मनाक और व्यक्तिगत रूप से हतोत्साहित करने वाला हो गया है।

अपने मुवक्किल को मामले के परिणाम के बारे में जवाब दें और यह क्यों लंबित है और यह सुनवाई के लिए कब आना है। जब बार के किसी सदस्य को बेंच में पदोन्नत किया जाता है तो पहली राहत जो महसूस की जाती है वह ग्राहक के लिए जवाबदेह होती है।

उपरोक्त पहलू जो वास्तव में बहुत असुविधाजनक और शर्मनाक हैं लेकिन फिर भी समस्या बनी हुई है और बड़ी है, इसे हर दिन हल करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में भी, न्याय की हत्या करने के लिए स्थगन के उपकरण का उपयोग किया जाता है। स्थगन एक सवालिया निशान लगाता है कि क्या इस तरह की वकालत है

क्या यह स्वीकार्य है?

40. बार काउंसिल के पास वकीलों को अनुशासित करने की शक्ति है और

पेशे की कुलीनता बनाए रखें और वह शक्ति बड़ी जिम्मेदारी लगाती है।

न्यायालय के पास अवमानना की शक्ति है और यह घातक शक्ति भी अधिक जिम्मेदारी के साथ आती है। अवमानना ब्रह्मास्त्र जैसा एक हथियार है जिसका उपयोग प्रभावी बने रहने के लिए संयम से किया जाना चाहिए। साथ ही, एक न्यायाधीश को न्यायालय की गरिमा की रक्षा करनी होती है और आर. मुथुकृष्णन बनाम में कार्रवाई करनी होती है।

अवमानना और आवश्यकता पड़ने पर उचित अनुकरणीय सजा भी दी जाए। एक वकील को पेशेवर नैतिकता, पेशेवर शिष्टाचार और पेशेवर लोकाचार द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए जो एक आदत है।

आचरण का तरीका। उसे भव्यता, गरिमा और शालीनता के साथ अपना प्रदर्शन करना होता है। उसे हर समय खुद को सहन करना पड़ता है और न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में खुद को उचित तरीके से देखना पड़ता है। वे समुदाय के एक विशेषाधिकार प्राप्त सदस्य और एक सज्जन व्यक्ति हैं। उसे ईमानदारी से नौकायन करना पड़ता है और कड़ी मेहनत के साथ नौकायन करना पड़ता है, फिर उसकी नाव तट तक पहुंचने के लिए बाध्य होती है। उसे ईमानदार, साहसी, वाक्पटु, मेहनती, मजाकिया और निर्णय लेने वाला होना चाहिए।

41. 1992 के अंग्रेजी सम्मेलन में एक मुख्य भाषण में,

स्कॉटिश और ऑस्ट्रेलियाई बार एसोसिएशन ने 4 जुलाई, 1992 को लंदन में 'बेंच की स्वतंत्रता; बार की स्वतंत्रता और न्यायिक प्रणाली में बार की भूमिका' पर आयोजित किया, सर एंथनी मेसन, एसी, केबीई, ऑस्ट्रेलिया के मुख्य न्यायाधीश ने बताया है कि अपनी स्वतंत्रता के लिए न्यायालय को अपने स्वयं के प्रशासन और संसद द्वारा इसके लिए विनियोजित धन के खर्च के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। उन्होंने एक अर्थशास्त्री द्वारा की गई सिफारिशों में से एक का भी उल्लेख किया है कि मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए न्यायाधीशों को वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश की जानी चाहिए, इस संबंध में उन्होंने कहा है कि प्रोत्साहन-आधारित पारिश्रमिक, चाहे वह फुटबॉल स्टेडियम के लिए कितना भी अच्छी तरह से अनुकूलित हो और कोर्ट रूम में उत्पादन लाइन का कोई स्थान नहीं है। न्यायिक स्वतंत्रता लोगों के लिए एक विशेषाधिकार और सुरक्षा है। न्यायाधीशों की नियुक्ति समर्पित अधिवक्ताओं से होनी चाहिए। बार की स्वतंत्रता के संबंध में, उन्होंने उल्लेख किया है कि वकील विषय और क्राउन के बीच, और अमीर और गरीब, शक्तिशाली और कमजोर के बीच खड़े होते हैं। यह आवश्यक है कि जबकि बार एक आवश्यक भूमिका निभाता है

न्याय के प्रशासन में, वकील को पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए और पूरी तरह से एक व्यक्ति के रूप में काम करना चाहिए, जो सीखने, क्षमता और बुद्धि के अपने संसाधनों का उपयोग करता है। इसके बाद, उन्होंने सर ओवेन डिक्सन का उल्लेख किया जब वे ऑस्ट्रेलिया के मुख्य न्यायाधीश बने, उन्होंने कहाः

पूरी तरह से स्वतंत्र रहें और पूरी तरह से एक व्यक्ति के रूप में काम करें, सीखने, क्षमता और बुद्धि के अपने संसाधनों का उपयोग करना।

(जोर दिया गया)

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक वकील को अदालत के प्रति कर्तव्य और हित के मुवक्किलों के बीच संतुलन बनाना होता है। एक वकील को स्वतंत्र होना चाहिए। उन्होंने इस प्रकार देखा हैः

" अदालत और बैरिस्टर के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण तत्व वह विशेष कर्तव्य है जो बैरिस्टर का अदालत के प्रति उस कर्तव्य के अलावा होता है जो बैरिस्टर का मुवक्किल के प्रति होता है। उस कर्तव्य का निष्पादन मुकदमेबाजी के कुशल निपटान में योगदान देता है। उस कर्तव्य के पालन में बैरिस्टर की स्वतंत्रता, न्यायिक प्रक्रिया के साथ उसकी परिचितता से संबद्ध, उसे एक विशेष लाभ देती है। अदालत के प्रति अपने कर्तव्य और मुवक्किल के प्रति अपने कर्तव्य को संतुलित करने में, बैरिस्टर वफादारी और हितों और वकील के मुवक्किल के साथ घनिष्ठ और निरंतर संबंध से मुक्त होता है। अदालत के प्रति बैरिस्टर के विशेष कर्तव्य का महत्व और अपेक्षा कि यह निष्पादित किया जाएगा, लापरवाही के लिए अदालत में दायित्व से बैरिस्टर की सामान्य कानून की प्रतिरक्षा को मान्यता देने में एक भूमिका निभाई। यह प्रतिरक्षा आंशिक रूप से कर्तव्य के अस्तित्व और क्यूरियल प्रक्रिया के लिए लाभकारी परिणामों के साथ इसके प्रदर्शन पर आधारित है। रोन्डेल बनाम वॉर्सली और सैफ अली बनाम में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के भाषणों से बहुत कुछ स्पष्ट है। सिडनी

मिशेल एंड कंपनी और जियानारेली बनाम में ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय में बहुमत निर्णय। ब्रैथ। इस नई चुनौती के लिए बार की सबसे अच्छी प्रतिक्रिया अपने पारंपरिक पेशेवर आदर्शों की पुष्टि करना और उत्कृष्टता की आकांक्षा करना है। पेशेवर आदर्श धन की खोज नहीं बल्कि सार्वजनिक सेवा है। व्यावसायिकता के बीच यही महत्वपूर्ण अंतर है।

और व्यापारवाद।

ओ 'कॉनर जे (जिनके साथ रेहंक्विस्ट थे) को दोहराना सामयिक है।

सी. जे. और स्कैलिया जे. सहमत हुए) ने शापेरो बनाम में कहा। केंटकी बार

संगठनः

किसी भी पेशे की एक विशिष्ट विशेषता, अन्य के विपरीत जो व्यवसाय समान रूप से सम्मानजनक हो सकते हैं, वे यह हैं कि सदस्यता में आचरण के मानकों का पालन करके आर्थिक सफलता की स्वार्थी खोज को कम करने के लिए एक नैतिक दायित्व शामिल है जिसे कानूनी आदेश या बाजार के अनुशासन के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता है। जुलूस जीवन के पारंपरिक दृष्टिकोण में निहित लक्ष्य का पीछा करना जारी रखने के ठोस कारण हैं। दोनों विशेष विशेषाधिकार पेशेवर और आर. मुथुकृष्णन बनाम में सदस्यता के लिए होते हैं।

जीविकोपार्जन के आवश्यक कार्य में जो लाभ वे विशेषाधिकार देते हैं, वे एक लक्ष्य के साधन हैं जो धन के संचय से परे है।

धन-सम्पत्ति।

जब तक बार सार्वजनिक सेवा के आदर्श के लिए खुद को समर्पित नहीं करता है, तब तक यह

सही मायने में एक पेशे के रूप में उपचार के अपने दावे को खो देता है। जनसेवा के प्रति समर्पण न केवल पेशेवर कौशल के उच्च मानक की प्राप्ति की मांग करता है, बल्कि मुवक्किल और अदालत के प्रति कर्तव्य के वफादार प्रदर्शन और कार्य करने की इच्छा की भी मांग करता है।

जनता के लिए उपलब्ध पेशेवर सेवा "।

42. इस मुद्दे पर आगे विस्तार करने से पहले, हम अधिवक्ता अधिनियम में निहित प्रावधानों पर ध्यान देते हैं। धारा 9 बार काउंसिल द्वारा अनुशासन समिति के गठन का प्रावधान करती है। एक अनुशासन समिति में तीन सदस्य होते हैं, जिनमें से दो बार काउंसिल के निर्वाचित सदस्य होते हैं और तीसरे सदस्य को वकीलों के बीच परिषद द्वारा सह-चुना जाता है। धारा 9 यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैः

" 9. अनुशासन समितियाँ। - (1) एक बार काउंसिल एक या अधिक अनुशासनात्मक समितियों का गठन करेगी, जिनमें से प्रत्येक में शामिल होंगी

तीन व्यक्तियों में से दो व्यक्ति परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से चुने गए व्यक्ति होंगे और दूसरा व्यक्ति उन अधिवक्ताओं में से होगा जो धारा 3 की उप-धारा (2) के परंतुक में निर्दिष्ट योग्यता रखते हैं और जो परिषद के सदस्य नहीं हैं, और अनुशासन के सदस्यों में सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं।

समिति इसके अध्यक्ष होंगे।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 1964 के प्रारंभ से पहले गठित कोई भी अनुशासनात्मक समिति अपने समक्ष लंबित कार्यवाहियों का निपटारा इस तरह कर सकती है जैसे कि इस धारा को लागू नहीं किया गया था।

उक्त अधिनियम द्वारा संशोधित।

43. धारा 15 बार काउंसिल को अन्य बातों के साथ-साथ अनुशासनात्मक समितियों से संबंधित अध्याय 2 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। अध्याय III धारा 16 से 28 में निहित अधिवक्ताओं के नामांकन के संबंध में प्रावधानों से संबंधित है। वकालत करने का अधिकार धारा 29 में प्रदान किया गया है, जिसमें प्रावधान है कि अधिवक्ता कानून का अभ्यास करने के हकदार व्यक्तियों का एकमात्र मान्यता प्राप्त वर्ग है। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 अधिवक्ताओं को किसी भी न्यायाधिकरण या व्यक्ति [2019] 1 एस. सी. आर. के समक्ष उच्चतम न्यायालय सहित सभी न्यायालयों में पूरे क्षेत्र में वकालत करने का अधिकार देती है।

कानूनी रूप से साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत है और किसी अन्य प्राधिकरण या व्यक्ति के समक्ष जिसके समक्ष ऐसा अधिवक्ता किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत अभी लागू है, वकालत करने का हकदार है। अब धारा 30 के प्रवर्तन के साथ

15 जून, 2011, पाँच दशकों के बाद, धारा 30 के तहत प्रदान किए गए अभ्यास का अधिकार उपलब्ध है। धारा 32 में एक अबाधित खंड है कि कोई भी न्यायालय, प्राधिकरण या व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को, जो अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं है, किसी विशेष मामले में उसके समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दे सकता है। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 33 में प्रदान किए गए कानून का अभ्यास करने के लिए अधिवक्ता को राज्य बार काउंसिल में अपना नामांकन कराना पड़ता है।

44. धारा 34 उच्च न्यायालय को नियम बनाने और ऐसी शर्तें प्रदान करने का अधिकार देती है जिनके अधीन एक अधिवक्ता को उच्च न्यायालय में वकालत करने की अनुमति दी जाएगी।

उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालय। धारा 34 यहाँ नीचे निकाली गई है:

" 34. नियम बनाने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। —

(1) उच्च न्यायालय उन शर्तों को निर्धारित करते हुए नियम बना सकता है जिनके अधीन एक अधिवक्ता को न्यायालय में वकालत करने की अनुमति दी जाएगी।

उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालय।

उच्च न्यायालय में या उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में कार्यवाही। (2) उप-धारा (1) में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कलकत्ता का उच्च न्यायालय मध्यवर्ती और वित्तीय परीक्षाओं के आयोजन के लिए नियम बना सकता है।

राज्य में अधिवक्ताओं के रूप में भर्ती होने के उद्देश्य से धारा 58 एजी में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा पारित किए जाने वाले स्पष्ट लिपिक

रोल और उससे जुड़ा कोई अन्य मामला।

धारा 34 स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालयों को अभ्यास करने के लिए शर्तें निर्धारित करने में सक्षम बनाती है। धारा 34 (1 ए) में निहित प्रावधान उच्च न्यायालय को लागत के रूप में देय शुल्क के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देते हैं। 45. वकालत करने और किसी मामले में पेश होने के अधिकार पर कुछ शर्तें हो सकती हैं जो उच्च न्यायालय द्वारा धारा 34 के तहत लगाई जा सकती हैं।

जैसे कि नया वकालतनामा दाखिल करना, उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार किए जाने वाले पिछले वकालतनामा का स्थान लेना, यदि ऐसा कोई प्रावधान उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है। अधिनियम के अध्याय IV में निहित धारा 34 का उद्देश्य उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के व्यवहार को विनियमित करना है और आर. मुथुकृष्णन बनाम।

मद्रास में न्यायिक न्यायालय के जी. एच. जनरल [अरुण मिश्रा, जे.]अदालतों का गठन करें। यह इसे पूर्ण नियंत्रण के लिए नियम बनाने का अधिकार नहीं देता है। अधिनियम की धारा 34 के दायरे में, न्यायालय में उपस्थिति के लिए भी निर्धारित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है, जैसे कि इस न्यायालय द्वारा अधिवक्ताओं के लिए बनाए गए समान पैटर्न पर नियम।

इकोर्ड।

46. अध्याय 5 अधिवक्ताओं के आचरण और अनुशासन से संबंधित है।

ol। धारा 35 अधिवक्ताओं की सजा से संबंधित है

अपहरण करते हैं। धारा 35 यहाँ नीचे निकाली गई है:

" 35. दुराचार के लिए अधिवक्ताओं को दंडित करना। — (1) जहाँ किसी शिकायत की प्राप्ति पर या अन्यथा किसी राज्य बार काउंसिल के पास यह मानने का कारण है कि उसके रोल पर कोई भी अधिवक्ता दोषी रहा है पेशेवर या अन्य कदाचार, यह मामले को निपटान के लिए संदर्भित करेगा

अपनी अनुशासनात्मक समिति को।

(1 ए) राज्य बार काउंसिल, अपने स्वयं के प्रस्ताव या किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, अपनी अनुशासनात्मक समिति के समक्ष लंबित कार्यवाही को वापस ले सकती है और निर्देश दे सकती है।

उसकी किसी अन्य अनुशासनात्मक समिति द्वारा की जाने वाली जाँच

राज्य बार परिषद।

(2) राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति मामले की सुनवाई के लिए एक तारीख तय करेगी और संबंधित अधिवक्ता और महाधिवक्ता को इसका नोटिस देगी।

राज्य से।

(3) संबंधित अधिवक्ता और महाधिवक्ता को अवसर देने के बाद राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति

सुनवाई होने पर निम्नलिखित में से कोई भी आदेश दिया जा सकता है, अर्थात्: —

(क) शिकायत को खारिज कर दें या, जहां राज्य बार काउंसिल के कहने पर कार्यवाही शुरू की गई थी, निर्देश दें कि कार्यवाही दाखिल किया जाए;

(ग) अधिवक्ता को ऐसी अवधि के लिए प्रैक्टिस से निलंबित कर दे जो वह उचित समझे। (घ) राज्य की सूची से अधिवक्ता का नाम हटा दें।

अधिवक्ता।

(4) जहाँ एक अधिवक्ता को खंड के तहत प्रैक्टिस से निलंबित कर दिया जाता है। (ग) उप-धारा (3) की, वह निलंबन की अवधि के दौरान,

किसी भी न्यायालय में या किसी प्राधिकरण के समक्ष वकालत करने से वर्जित या

भारत में व्यक्ति।

(5) जहां उप-धारा (2) के तहत महाधिवक्ता को कोई नोटिस जारी किया जाता है, वहां महाधिवक्ता राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकता है।

या उसकी ओर से पेश होने वाले किसी अधिवक्ता के माध्यम से।

[स्पष्टीकरण। इस धारा में, [धारा 37 और धारा 38], अभिव्यक्ति "महाधिवक्ता" और महाधिवक्ता

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के संबंध में "राज्य" का अर्थ होगा -

भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल।] "

47. धारा 36 बार काउंसिल की अनुशासनात्मक शक्तियों से संबंधित है।

जहाँ एक वकील जिसका नाम किसी राज्य सूची में नहीं है और एक शिकायत

बार काउंसिल ने माना कि वह पेशेवर कदाचार का दोषी है

वह मामले को निपटाने के लिए अपनी अनुशासनात्मक समिति को भेजेगा। भारतीय परिषद अपने समक्ष किसी भी लंबित जांच को वापस ले सकती है और उसे छोड़ सकती है। धारा 36 यहाँ नीचे निकाली गई है:

" 36. बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक शक्तियाँ। — (1) कहाँ पर?

शिकायत की प्राप्ति या अन्यथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने

यह मानने का कारण कि कोई भी अधिवक्ता जिसका नाम दर्ज नहीं किया गया है

किसी भी राज्य सूची पर पेशेवर या अन्य का दोषी रहा है कदाचार, यह मामले को निपटाने के लिए अपने अनुशासनात्मक कार्य के लिए भेजेगा

समिति।

(2) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी,

बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति, इनमें से कोई भी

अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या किसी राज्य बार काउंसिल की रिपोर्ट पर या किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, जांच के लिए वापस ले लें।

स्वयं के समक्ष किसी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कोई कार्यवाही

किसी भी राज्य की अनुशासन समिति के समक्ष लंबित अधिवक्ता

बार काउंसिल और उसी का निपटारा करें।

(3) बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति,

इस धारा के तहत किसी भी मामले का निपटारा करते हुए, जहां तक हो सके, धारा 35 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेंगे, उस धारा में महाधिवक्ता के संदर्भों को संदर्भों के रूप में समझा जा रहा है।

भारत के महान्यायवादी को।

(4) इस धारा के तहत किसी भी कार्यवाही के निपटारे में

धारा 35 की उप-धारा (3) के तहत कर सकते हैं, और जहां जांच के लिए कोई कार्यवाही वापस ले ली गई है भारतीय बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति-राज्य बार

संबंधित परिषद ऐसे किसी भी आदेश को प्रभावी बनाएगी।

अधिवक्ता अधिनियम अनुशासनात्मक समिति के निपटारे से संबंधित है। राज्य बार काउंसिल की एक अनुशासनात्मक समिति को शिकायत प्राप्त होने की तारीख या कार्यवाही शुरू होने की तारीख से एक साल की अवधि के भीतर मामले का फैसला करना होता है। भारतीय विधिज्ञ परिषद को हस्तांतरित किया जाएगा। अधिनियम की धारा 37 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अनुशासनात्मक आदेश से व्यथित है।

राज्य बार काउंसिल की समिति भारतीय बार काउंसिल में अपील करना पसंद कर सकती है। धारा 38 सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान करती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ अदालत।

49. धारा 42 अनुशासनात्मक समिति की शक्तियों से संबंधित है। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को अनुमति से बुलाया जा सकता है।

अधिवक्ता और कार्यवाहियों के विरुद्ध कदाचार को साबित करने के लिए उच्च न्यायालय की धारा 42 (2) में प्रदान की गई कार्यवाहियों को न्यायिक माना जाता है, जिसे यहां निकाला गया हैः

" 42. अनुशासन समिति की शक्तियाँ। — (1) बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति के पास वही शक्तियां होंगी जो निहित हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक दीवानी अदालत में,

निम्नलिखित विषयों में से, अर्थात्ः

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
(घ) किसी भी सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रतियों की मांग करना।

अदालत या कार्यालय; 1 एस. सी. आर.

(ई) गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए आयोग जारी करना;

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए:

बशर्ते कि ऐसी किसी भी अनुशासन समिति को उपस्थिति की अपेक्षा करने का अधिकार नहीं है (क) उच्च न्यायालय, जिसके अधीन ऐसा न्यायालय है, की पूर्व मंजूरी के अलावा किसी न्यायालय का कोई पीठासीन अधिकारी; (ख) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अलावा राजस्व न्यायालय का कोई अधिकारी।

(2) बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति के समक्ष सभी कार्यवाही

भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थ के भीतर न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी और ऐसी प्रत्येक अनुशासनात्मक समिति को दंड संहिता की धारा 480,482 और 485 के प्रयोजनों के लिए दीवानी अदालत माना जाएगा।

प्रक्रिया, 1898।

(3) उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के प्रयोजनों के लिए, एक अनुशासनात्मक समिति उन क्षेत्रों में किसी भी दीवानी अदालत को समिति या किसी आयोग के लिए भेज सकती है, जिसके लिए यह अधिनियम किसी भी समन या अन्य प्रक्रिया का विस्तार करता है।

जारी करने की इच्छा रखता है, और सिविल न्यायालय ऐसी प्रक्रिया को लागू करेगा या ऐसा आयोग जारी करेगा, जैसा भी मामला हो, और ऐसी किसी भी प्रक्रिया को लागू कर सकता है जैसे कि यह एक प्रक्रिया थी

उपस्थिति या उत्पादन स्वयं से पहले।

(4) अपने समक्ष किसी मामले की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि पर अनुशासनात्मक समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अनुपस्थिति के बावजूद, अनुशासनात्मक समिति, यदि वह उचित समझती है, तो इस प्रकार निर्धारित तिथि पर कार्यवाही कर सकती है या जारी रख सकती है और ऐसी कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है और ऐसी किसी भी कार्यवाही में अनुशासनात्मक समिति द्वारा दिया गया कोई भी आदेश केवल ऐसी किसी तारीख को उसके अध्यक्ष या सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अमान्य नहीं होगा: बशर्ते कि धारा 35 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट प्रकृति का कोई अंतिम आदेश किसी भी कार्यवाही में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि

अनुशासन समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्य

उपस्थित हैं।

(5) जहां धारा 35 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट प्रकृति का कोई अंतिम आदेश किसी भी कार्यवाही में अध्यक्ष और अनुशासनात्मक समिति के सदस्यों की राय के अनुसार या तो आपस में बहुमत की राय के अभाव में या अन्यथा नहीं किया जा सकता है, वहां मामला, उन पर उनकी राय के साथ रखा जाएगा।

संबंधित बार काउंसिल के अध्यक्ष के समक्ष या यदि

बार काउंसिल का अध्यक्ष अनुशासन समिति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य कर रहा है, जिसके समक्ष बार काउंसिल का उपाध्यक्ष, जो भी मामला हो, ऐसी सुनवाई के बाद, जो वह उचित समझे, अपनी राय देगा और अनुशासन समिति का अंतिम आदेश ऐसी राय का पालन करेगा।

50. अनुशासनात्मक समिति के समक्ष कार्यवाही की लागत का आदेश निष्पादन योग्य है जैसा कि धारा 43 में प्रदान किया गया है। धारा 44 अनुशासनात्मक समिति के आदेशों की समीक्षा से संबंधित है। धारा 43 और इसके नीचे निकाली गई धाराः

" 43. अनुशासनात्मक समिति के समक्ष कार्यवाही की लागत। - बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति ऐसा आदेश दे सकती है - उसके समक्ष किसी कार्यवाही की लागत के लिए जो वह उचित समझे और

ऐसा आदेश निष्पादन योग्य होगा जैसे कि यह एक आदेश हो।

(क) उच्चतम न्यायालय की बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति के आदेश के मामले में; (ख) उच्च न्यायालय की राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति के आदेश के मामले में।

44. अनुशासन समिति के आदेशों की समीक्षा। बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति उस आदेश के पारित होने की तारीख के साठ दिनों के भीतर अपने स्वयं के प्रस्ताव या अन्यथा किसी आदेश की समीक्षा कर सकती है।

इसके द्वारा इस अध्याय के अधीन। बशर्ते कि राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति की समीक्षा का ऐसा कोई आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि इसे मंजूरी नहीं दी गई हो।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा "।

51. यह उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है और हैट एडवोकेट्स एक्ट की योजना का इरादा कभी भी उच्च न्यायालय या इस न्यायालय को अनुशासनात्मक आरएस प्रदान करने का नहीं रहा है, सिवाय धारा 38 के तहत अपील के।

52. उच्च न्यायालय नियम, 1970 में संशोधन करके उच्च न्यायालय ने विवादित नियम 14 (ए) को 14 (डी) में जोड़ दिया है।

नियमों

में [2019] 1 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया है। अधिनियम की धारा 34 पेशेवर कदाचार के लिए वकील पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियम बनाने की ऐसी शक्ति प्रदान नहीं करती है। नियम 14 (ए) (vii) से (xii) प्रदान करके किया गया संशोधन अधिवक्ता अधिनियम के तहत अधिकृत नहीं है। उच्च न्यायालय के पास अनुशासनात्मक नियंत्रण का प्रयोग करने की कोई शक्ति नहीं है। यह अधिवक्ता अधिनियम के तहत प्रदत्त बार काउंसिल की शक्तियों को हड़पने के बराबर होगा। हालाँकि, उच्च न्यायालय दंडित कर सकता है

अवमानना के लिए वकालत करें और फिर उसे ऐसी निर्दिष्ट अवधि के लिए अभ्यास करने से रोकें जो कानून के अनुसार अनुमेय हो, लेकिन इसके बिना

अनुशासनात्मक नियंत्रण के माध्यम से अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने पर कोई सजा नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार के विवादित नियमों को धारा 34 के दायरे में नहीं बनाया जा सकता था। प्रावधान स्पष्ट रूप से बार की स्वतंत्रता को बाधित करते हैं और राज्य की बार काउंसिल और बार काउंसिल को प्रदत्त विशेष शक्ति का अतिक्रमण करते हैं। अधिवक्ता अधिनियम के तहत भारत का। नियम 14 (ए) से 14 (डी) में किए गए संशोधन को उच्च न्यायालय की शक्तियों से परे माना जाना चाहिए।

53. अब हम उपरोक्त पहलू से संबंधित विभिन्न निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रस्ताव का विश्लेषण करते हैं। संदर्भ में: विनय चंद्र मिश्रा, (1995) 2 एस. सी. सी. 584, इस न्यायालय ने तर्क को खारिज कर दिया।

कि अधिवक्ता को प्रैक्टिस से निलंबित करने और हटाने की शक्तियां विशेष रूप से राज्य बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति में निहित हैं और सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 129 और 142 दोनों के तहत ऐसी सजा देने की अपनी शक्ति से वंचित किया जाता है। द. न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय की शक्ति को अधिवक्ता अधिनियम या न्यायालय की अवमानना अधिनियम के प्रावधानों सहित किसी भी वैधानिक प्रावधान द्वारा किसी भी तरह से कुचला नहीं जा सकता है। इस अदालत ने बार काउंसिल के तत्कालीन अध्यक्ष को सजा सुनाई

छह सप्ताह की अवधि के लिए कारावास की निलंबित सजा। सजा को चार साल के लिए निलंबित कर दिया गया था जिसे उक्त अवधि के भीतर अवमानना करने वाले को अदालत की अवमानना के किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने की स्थिति में सक्रिय किया जा सकता है। अवमानकर्ता को भी निलंबित कर दिया गया था

तीन साल की अवधि के लिए एक वकील के रूप में कार्य करना जिसके परिणामस्वरूप सभी निर्वाचक और नामित कार्यालय/पद उनके पास अपनी क्षमता में हों।

एक अधिवक्ता के रूप में, वह तुरंत खाली हो जाएगा।

54. हालाँकि, निर्णय को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम द्वारा दायर एक रिट याचिका में एक अच्छा कानून निर्धारित नहीं किया गया था।

भारत संघ और दूसरा, (ऊपर)। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आर. मुथुकृष्णन बनाम

मद्रास में उच्च न्यायालय का सामान्य पंजीकरण [अरुण मिश्रा, जे.]

वी. सी. मिश्रा के मामले में दिए गए निर्देश से व्यथित होकर भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर की गई कि अवमानकर्ता खड़ा रहेगा।

संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा जारी तीन साल की अवधि के लिए एक वकील के रूप में अभ्यास करने से निलंबित। यह अभिनिर्धारित करने के लिए एक प्रार्थना की गई थी कि अधिवक्ता अधिनियम के तहत स्थापित बार परिषदों की अनुशासनात्मक समिति के पास ही किसी अधिवक्ता को पेशेवर या अन्य कदाचार के लिए कानून का अभ्यास करने से निलंबित करने या प्रतिबंधित करने का विशेष अधिकार क्षेत्र है। उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम में विचार के लिए प्रस्तुत प्रश्न। इस न्यायालय के समक्ष भारत संघ (उपर्युक्त) का उद्धरण नीचे दिया गया हैः

" 5. इस याचिका में एकमात्र सवाल जो हमें तय करने के लिए कहा गया है, वह यह है कि क्या किसी अधिवक्ता द्वारा की गई अदालत की स्थापित अवमानना के लिए सजा में अनुच्छेद के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, एक निर्दिष्ट अवधि के लिए उसका लाइसेंस (सनद) निलंबित करके संबंधित अधिवक्ताओं को अभ्यास करने से रोकने की सजा शामिल हो सकती है।

129 भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के साथ पढ़ें।

न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा हैः
37. सामान्य कानून के तहत स्थापित अवमानना के मामले में रिकॉर्ड की अदालत जो सजा दे सकती है, उसकी प्रकृति और प्रकार को अब विशेष रूप से अवमानना में शामिल किया गया है।

जहाँ तक उच्च न्यायालयों का संबंध है, न्यायालय अधिनियम, 1971 और इसलिए अदालतों की अवमानना अधिनियम, 1971 उन प्रकार के दंडों की प्रकृति की पहचान करता है जो निम्नलिखित में दिए जा सकते हैं -

स्थापित अवमानना के मामले में, यह अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों पर भी अतिक्रमण नहीं करता है। कोई नया प्रकार नहीं

दंड दिया जा सकता है या माना जा सकता है।

39. वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड एकाउंटेंट आदि जैसे किसी भी पेशेवर का प्रैक्टिस करने का लाइसेंस निलंबित करना। जब ऐसा पेशेवर किसी भी निर्दिष्ट अवधि के लिए अदालत की अवमानना करने का दोषी पाया जाता है, तो यह एक मान्यता प्राप्त या स्वीकृत सजा नहीं है जिसे रिकॉर्ड की अदालत या तो सामान्य कानून के तहत या वैधानिक कानून के तहत किसी अन्य के अलावा अवमानना करने वाले पर लागू कर सकती है।

मान्यता प्राप्त दंड।

40. एक अधिवक्ता का प्रैक्टिस से निलंबन और उसे अधिवक्ताओं की राज्य सूची से हटाना दोनों विशेष रूप से दंड हैं। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत साबित करने के लिए प्रावधान किया गया

" एक अधिवक्ता का पेशेवर कदाचार। अपने [2019] 1 एस. सी. आर. का अभ्यास करते हुए।

अनुच्छेद 129 के तहत अवमानना क्षेत्राधिकार, इस न्यायालय के समक्ष एकमात्र कारण या मामला न्यायालय की अवमानना के संबंध में है। न्यायालय के समक्ष उचित रूप से तथाकथित पेशेवर कदाचार का कोई कारण लंबित नहीं है। इसलिए, यह न्यायालय अनुच्छेद 129 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए राज्य की बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति के अधिकार क्षेत्र को किसी वकील को उसके लाइसेंस को निलंबित करके दंडित करने के लिए नहीं ले सकता है, जो सजा केवल अधिवक्ता अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित तरीके से 'पेशेवर कदाचार' के निष्कर्ष दर्ज होने के बाद ही दी जा सकती है।

41. जब इस न्यायालय द्वारा न्यायालय की अवमानना के मामले को जब्त कर लिया जाता है

एक अधिवक्ता, उसके "पेशेवर कदाचार" के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कोई "मामला, कारण या मामला" नहीं है, भले ही किसी दिए गए मामले में, एक अधिवक्ता द्वारा की गई अवमानना भी कानून का अभ्यास करने के लाइसेंस के आधार पर एक अधिवक्ता को दिए गए विशेषाधिकार का दुरुपयोग हो सकती है, लेकिन अभ्यास से उसके निलंबन से संबंधित कोई मुद्दा मामले का विषय नहीं है। इस न्यायालय की शक्तियाँ, अनुच्छेद 129 के तहत अनुच्छेद 142 के साथ पठित संविधान, पूरक शक्तियाँ होने के कारण इस न्यायालय द्वारा विचाराधीन मामले में "अपनी अधिकारिता के प्रयोग में उपयोग किया जाना है"। इसके अलावा, अदालत की अवमानना का मामला पक्षकारों के बीच एक कारण या एक मामला नहीं है। यह अदालत और अवमानकर्ता के बीच का मामला है। यह नहीं है, कड़ाई से बोलते हुए,

एक विरोधी मुकदमे के रूप में मुकदमा चलाया गया। पक्षकार, जो अवमानकर्ता के अपमानजनक आचरण को न्यायालय के ध्यान में लाता है, चाहे वह निजी व्यक्ति हो या अधीनस्थ न्यायालय, केवल एक

सूचना देने वाला और अवमानना में वादी का दर्जा नहीं रखता है

अदालती मामला। 42. न्यायालय की अवमानना एक विशेष अधिकार क्षेत्र है जिसका प्रयोग किया जाना चाहिए।

संयम और सावधानी के साथ, जब भी कोई कार्य न्याय के प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है या जो उसके पाठ्यक्रम में बाधा डालता है या न्यायिक संस्थानों में जनता के विश्वास को हिलाता है। इस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग तब भी किया जा सकता है जब अधिनियम कानून की महिमा या अदालतों की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की शिकायत करता है। अवमानना अधिकारिता का उद्देश्य न्यायालयों की महिमा और गरिमा को बनाए रखना है। यह "जूरी, न्यायाधीश और जल्लाद" को मिलाकर एक असामान्य प्रकार का अधिकार क्षेत्र है और ऐसा इसलिए है क्योंकि अदालत मुकदमेबाजी करने वाले पक्षों के बीच किसी भी दावे पर निर्णय नहीं ले रही है। आर. मुथुकृष्णन बनाम की रक्षा के लिए इस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है।

मद्रास में न्यायिक न्यायालय के जी. एच. जनरल [अरुण मिश्रा, जे.]

एक व्यक्तिगत न्यायाधीश की गरिमा लेकिन न्याय के प्रशासन को बदनाम होने से बचाने के लिए। समुदाय के सामान्य हित में, यह अनिवार्य है कि अदालतों के अधिकार को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए और न्याय के प्रशासन में कोई अनुचित हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यह अदालत और अवमानकर्ता के बीच का मामला है और तीसरा पक्ष हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसका प्रयोग न्याय प्रशासन की सहायता के लिए संक्षिप्त तरीके से किया जाता है,

कानून की महिमा और न्यायालयों की गरिमा। ऐसे किसी भी कार्य की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिसमें जनता को हिलाने की प्रवृत्ति हो।

न्याय प्रशासन की निष्पक्षता और निष्पक्षता में विश्वास।

अदालत, हालांकि काफी व्यापक है, अभी भी सीमित है और इसे यह निर्धारित करने की शक्ति को शामिल करने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है कि क्या कोई वकील भी संक्षिप्त तरीके से "पेशेवर कदाचार" का दोषी है या नहीं। अधिवक्ता अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया को अलविदा। अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने की शक्ति एक तरह से सुधारात्मक शक्ति है, जो कानून पर समानता को प्राथमिकता देती है, लेकिन इसका उपयोग किसी पेशेवर वकील को अदालत की अवमानना के मामले में संक्षिप्त तरीके से वकालत करने के लिए उसके लाइसेंस को निलंबित करके अधिवक्ता अधिनियम 1961 में निहित उचित प्रक्रिया से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

44. री, वी. सी. मिश्रा मामले में, निलंबित साधारण कारावास की सजा देते हुए, पीठ ने, जैसा कि पहले ही देखा गया है, अवमानकर्ता को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए एक वकील के रूप में वकालत करने के लिए उसके लाइसेंस को निलंबित करके दंडित किया। उस पहलू से निपटने वाली पीठ ने राय दीः (एससीसी p.624, पैरा 51)

सजाएँ। सजा की प्रकृति पर कोई प्रतिबंध या सीमा नहीं है जो यह न्यायालय अपने अवमानना अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए दे सकता है और उक्त दंड इस प्रकार हो सकते हैं - उक्त का प्रयोग करते समय न्यायालय द्वारा अधिरोपित दंड

अधिकार क्षेत्र "।

45. इस दृष्टिकोण को लेते हुए, पीठ ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 38 के अलावा संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 पर भरोसा किया। पीठ ने टिप्पणी कीः (एस. सी. सी पी. 624 , पैरा 49-50)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट " दूसरा, इसका यह भी अर्थ होगा कि न्यायालय की अवमानना के किसी भी कार्य के लिए, यदि यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियमों के तहत पेशेवर कदाचार का कार्य भी होता है, तो इस न्यायालय सहित अदालतों को कार्रवाई करने की कोई शक्ति नहीं होगी क्योंकि अधिवक्ता अधिनियम राज्य बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समितियों पर इस तरह के आचरण के लिए कार्रवाई करने के लिए विशेष शक्ति प्रदान करता है, जैसा भी मामला हो। इसके बावजूद कानून का ऐसा प्रस्ताव इस सरल कारण से अस्वीकृति का अवलोकन करता है कि राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार और

बार काउंसिल ऑफ इंडिया पेशेवरों के लिए कार्रवाई करेगी

अदालत की अवमानना के लिए अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अदालतों के अधिकार क्षेत्र से कदाचार अलग है। उक्त अधिकार क्षेत्र एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से मौजूद है। एक अधिकार क्षेत्र के तहत की गई कार्रवाई के तहत कार्रवाई पर रोक नहीं है।

अन्य अधिकार क्षेत्र "।

यह विवाद एक अन्य और समान रूप से, यदि अधिक नहीं, तो महत्वपूर्ण कारण के लिए भी गलत है। अधिवक्ता अधिनियम के तहत अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र के मामले में, इस न्यायालय का गठन अधिनियम की धारा 38 के तहत अंतिम अपीलीय प्राधिकरण के रूप में किया गया है जैसा कि पहले बताया गया है। उस क्षमता में, यह न्यायालय अधिनियम की धारा 35 (3) में उल्लिखित किसी भी दंड को लागू कर सकता है जिसमें राज्य सूची से अधिवक्ता का नाम हटाना और उसे प्रैक्टिस से निलंबित करना शामिल है। यदि ऐसा है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस अदालत ने अनुच्छेद 129 के साथ अनुच्छेद 142 के तहत अपने अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसा किया हो।

उक्त दंडों में से कोई भी नहीं लगाया जा सकता है। इस प्रकार लगाई गई सजा न केवल किसी कानून के प्रावधानों के खिलाफ होगी, बल्कि अधिवक्ता अधिनियम के मूल प्रावधानों के अनुरूप और ऐसे आचरण के लिए होगी जो एक पेशेवर कदाचार के साथ-साथ अदालत की अवमानना भी है। तर्क इसलिए इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए।

5. ये टिप्पणियां, जैसा कि हम वर्तमान में प्रदर्शित करेंगे और अत्यंत सम्मान के साथ कहेंगे, बहुत व्यापक रूप से कही गई हैं और नहीं।

और अधिक बारीकी से जाँच करें। यह स्वीकार करने के बाद कि अनुशासन

राज्य बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पेशेवर कदाचार के लिए कार्रवाई करने का अधिकार न्यायालय की अवमानना के लिए अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अदालतों के अधिकार क्षेत्र से अलग है, अदालत आर. मुथुकृष्णन बनाम के साथ खुद को कैसे निवेश कर सकती है।

मद्रास में न्यायिक न्यायालय के जी. एच. जनरल [अरुण मिश्रा, जे.]

न्यायालय की अवमानना करने के लिए कारावास की निलंबित सजा की सजा देने के अलावा "पेशेवर कदाचार" के लिए संबंधित अधिवक्ता को दंडित करने के लिए बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति की अधिकारिता।

57. किसी दिए गए मामले में, अदालत की अवमानना करने का दोषी पाया जाने वाला एक वकील अपनी गंभीरता या प्रकृति के आधार पर "पेशेवर कदाचार" करने का भी दोषी हो सकता है।

दूषित आचरण, लेकिन दोनों क्षेत्राधिकार अलग और अलग हैं और अलग-अलग और अलग-अलग प्रक्रियाओं का पालन करके अलग-अलग मंचों द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं। एक अधिवक्ता को दंडित करने की शक्ति, उसके लाइसेंस को निलंबित करके या राज्य बार काउंसिल की सूची से उसका नाम हटाकर, साबित पेशेवर कदाचार के लिए, विशेष रूप से अधिवक्ताओं के तहत बनाए गए वैधानिक प्राधिकरणों में निहित है। अधिनियम, 1961, जबकि न्यायालय की अवमानना करने के लिए उन्हें दंडित करने का अधिकार क्षेत्र विशेष रूप से न्यायालयों में निहित है।

58. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के लागू होने के बाद, "पेशेवर कदाचार" के लिए एक अधिवक्ता को दंडित करने के लिए विशेष शक्ति संबंधित राज्य बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रदान की गई है। उस अधिनियम में एक वकील के "पेशेवर कदाचार" के लिए उसके लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने के लिए एक विस्तृत और पूर्ण तंत्र शामिल है। चूँकि, एक अधिवक्ता के लाइसेंस के निलंबन या निरसन के न केवल नागरिक परिणाम होते हैं, बल्कि दंडात्मक परिणाम भी होते हैं, दंड की प्रकृति होने के कारण, प्रावधानों का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए। एक अधिवक्ता के लाइसेंस को निलंबित करने के रूप में सजा केवल सक्षम वैधानिक निकाय द्वारा अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से अधिवक्ता के खिलाफ आरोप स्थापित होने के बाद ही दी जा सकती है। 70. महाराष्ट्र बार काउंसिल बनाम। एम. वी. दाभोलकर और अन्य। , (1975) 2 एस. सी. सी. 702, इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने अधिवक्ता अधिनियम 1961 की योजना का विश्लेषण किया और अन्य बातों के साथ-साथ कहाः (एससीसी p.709, पैरा 24)

" 24. योजना और अधिनियम के प्रावधानों से संकेत मिलता है कि राज्य बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का संविधान यह देखने के लिए प्रमुख उद्देश्यों में से एक है कि भारतीय बार काउंसिल द्वारा निर्धारित पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों का पालन और संरक्षण किया जाए। बार काउंसिल, [2019] 1 एस. सी. आर.

इसलिए, अधिवक्ताओं के खिलाफ कदाचार के मामलों पर विचार करें। अधिवक्ता परिषदों को अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करनी है। बार काउंसिल एक निगम निकाय है। अनुशासनात्मक समितियों का गठन बार काउंसिल द्वारा किया जाता है। बार काउंसिल अपने अनुशासनात्मक निकाय के समान नहीं है।

अधिवक्ता पेशेवर या अन्य कदाचार का दोषी रहा है। किसी राज्य की बार काउंसिल उस तर्कपूर्ण विश्वास पर कार्य करती है। बार काउंसिल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, पहला शिकायतों को स्वीकार करने में, दूसरा, उचित विश्वास को सूचित करना। पेशेवर या अन्य दुराचार के अपराध और अंत में मामले को अपनी अनुशासनात्मक समिति को संदर्भित करने में। अनुशासनात्मक समिति के समक्ष कार्यवाही की शुरुआत राज्य की बार काउंसिल द्वारा की जाती है। एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कोई भी वादी और जनता का कोई भी सदस्य सीधे किसी अधिवक्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता है। यह राज्य की बार काउंसिल है जो अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करती है।

एक निर्दिष्ट अवधि के लिए उसके लाइसेंस को निलंबित करने या रद्द करने का अधिकार भी उसी निकाय में निहित है।2. चार्टर्ड उच्च न्यायालयों के साथ-साथ उनके उच्च न्यायालयों के लेटर पेटेंट ने पहले उन उच्च न्यायालयों में आर. मुथुकृष्णन बनाम को शक्ति निहित की थी।

मद्रास में न्यायिक न्यायालय के जी. एच. जनरल [अरुण मिश्रा, जे.]

एक वकील को अभ्यास करने के लिए स्वीकार करें। से निलंबित करने की शक्ति

अभ्यास को स्वीकार करने की प्रथा का आनुषंगिक होना भी उच्च न्यायालयों में निहित है। तथापि, धारा 50 के आधार पर अधिवक्ता अधिनियम, उस तारीख से प्रभावी जब अधिनियम के तहत एक राज्य बार काउंसिल का गठन किया जाता है, किसी भी उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के प्रावधान और "किसी अन्य कानून के" जहां तक वे किसी कानूनी व्यवसायी के प्रवेश और नामांकन से संबंधित हैं या कानूनी व्यवसायी को किसी भी अदालत में या किसी प्राधिकरण या किसी व्यक्ति के समक्ष वकालत करने का अधिकार प्रदान करते हैं और साथ ही इस अधिनियम के तहत राज्य बार काउंसिल के गठन से संबंधित प्रावधान भी।

" कानूनी व्यवसायियों का निलंबन या निष्कासन, चाहे वह किसी उच्च न्यायालय या किसी अन्य कानून के पेटेंट पत्र के तहत हो। निरस्त कर दिए गए हैं। ये शक्तियाँ अब विशेष रूप से अधिवक्ताओं के अधीन निहित हैं।

अधिनियम, संबंधित राज्य की बार काउंसिल में। इंग्लैंड में भी, न्याय की अदालतों को अब अधिवक्ताओं को अभ्यास से वंचित करने से मुक्त कर दिया गया है क्योंकि बार को बुलाने की शक्ति इनस ऑफ कोर्ट को सौंप दी गई है। अधिवक्ता को बर्खास्त करने की शक्ति भी अब विशेष रूप से न्यायालय में निहित है और इसके लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

76. यह न्यायालय वास्तव में अधिनियम की धारा 38 के तहत अंतिम अपीलीय प्राधिकरण है, लेकिन हम इस विचार से सहमत नहीं हैं कि यह न्यायालय अधिनियम की धारा 38 के तहत अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए निर्धारित दंडों में से एक को लागू कर सकता है।

उस अधिनियम के तहत, अवमानना मामले में अवमानना करने वाले अधिवक्ता को दंडित करते हुए। संबंधित अधिवक्ता का 'पेशेवर कदाचार' अदालत की अवमानना के मामले में सीधे तौर पर मुद्दा नहीं है। अदालत की अवमानना के मामले पर विचार करते समय, यह अदालत इस बात की जांच करने के लिए बाध्य है कि क्या शिकायत किया गया आचरण अदालत की अवमानना के बराबर है और यदि जवाब सकारात्मक है, तो अवमानना करने वाले को अदालत की अवमानना करने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त और स्वीकृत दंड को लागू करके अदालत की अवमानना के लिए सजा दी जाए। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत निर्धारित विस्तृत प्रक्रिया और उसके तहत बनाए गए नियमों को ध्यान में रखते हुए यह कहा गया है कि व्यावसायिक दुराचार की शिकायत का मुकदमा बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति द्वारा चलाया जाना आवश्यक है, जैसे कि अदालत द्वारा आपराधिक मामले का मुकदमा और एक वकील को सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति के समक्ष साक्ष्य के आधार पर दंडित किया जा सकता है।

अपराधी अधिवक्ता को [2019] 1 एस. सी. आर. के लिए प्रैक्टिस से निलंबित किया जा सकता है।

अधिनियम के तहत निर्दिष्ट अवधि या यहां तक कि अधिवक्ताओं की सूची से हटा दिया गया या कोई अन्य सजा दी गई। जाँच एक विस्तृत और विस्तृत है और सारांश की नहीं है।

प्रकृति। इसलिए, इस न्यायालय के लिए यह अनुमति नहीं है कि वह किसी अधिवक्ता को "मूल अधिकार क्षेत्र" का प्रयोग करने वाले वैधानिक निकाय के रूप में परिवर्तित करके अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में "पेशेवर कदाचार" के लिए दंडित करे। वास्तव में, यदि किसी दिए गए मामले में संबंधित बार काउंसिल को आपत्तिजनक और

उच्च न्यायालय या इस न्यायालय द्वारा अधिवक्ता का निंदनीय आचरण उक्त अधिवक्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है, इस न्यायालय के पास अधिनियम की धारा 38 के तहत अपनी अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार क्षेत्र हो सकता है।

संविधान स्वप्रेरणा से आगे बढ़ेगा और बार काउंसिल से रिकॉर्ड भेजेगा और संबंधित अधिवक्ता के खिलाफ उचित आदेश पारित करेगा। एक उपयुक्त मामले में, यह न्यायालय स्वतः संज्ञान लेते हुए भी अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग पर विचार कर सकता है बशर्ते कि संबंधित बार काउंसिल के समक्ष कुछ कारण लंबित हो, और बार काउंसिल उस कारण का रिकॉर्ड भेजकर और उचित आदेश पारित करके "कार्य नहीं करती" या कार्य करने में विफल रहती है।

77. हालाँकि, अवमानना अधिकार क्षेत्र के तहत शक्तियों के प्रयोग को अधिनियम की धारा 38 के तहत अपीलीय अधिकार क्षेत्र के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है। दोनों क्षेत्राधिकार अलग हैं और

विशिष्ट। इसलिए हम वी. सी. में पीठ द्वारा व्यक्त किए गए विपरीत विचार को स्वीकार करने के लिए खुद को राजी करने में असमर्थ हैं।

मिश्रा मामला क्योंकि उस मामले में, बार काउंसिल ने मामले से निपटने और संबंधित अधिवक्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई करने से इनकार नहीं किया था। चूंकि बार काउंसिल के समक्ष कोई कारण लंबित नहीं था, इसलिए यह अदालत किसी ऐसे मामले के संबंध में अपनी अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकती थी जो कभी भी बार काउंसिल के विचाराधीन नहीं था।

78. इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 129 के साथ पठित अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है, अदालत की अवमानना करने के लिए अवमानना करने वाले को दंडित करते हुए, वकालत करने के लिए उसके लाइसेंस को निलंबित करने की सजा भी नहीं दे सकता है, जहां अवमानना करने वाला एक अधिवक्ता होता है। अधिनियम की धारा 38 के तहत अपीलीय शक्तियों का सहारा लेकर भी ऐसी सजा नहीं दी जा सकती है। न्यायालय की अवमानना के मामले पर विचार करते हुए (और अपील नहीं आर. मुथुकृष्णन बनाम।

मद्रास में न्यायिक न्यायालय के जी. एच. जनरल [अरुण मिश्रा, जे.]

पेशेवर दुराचार से संबंधित)। उस हद तक, विनय चंद्र मिश्रा, रे में निर्धारित कानून अच्छा कानून नहीं है और हम इसे खारिज करते हैं।

79. एक अधिवक्ता जिसे न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है, हो सकता है

साथ ही, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, किसी दिए गए मामले में पेशेवर कदाचार का दोषी होना चाहिए, लेकिन यह राज्य की बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया का काम है कि वह उस अधिवक्ता को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में या तो उसे अभ्यास करने से रोककर या उसके लाइसेंस को निलंबित करके दंडित करे, जैसा कि आवश्यक हो। विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने हमें सूचित किया कि ऐसे मामले हैं जहां बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक वकील के अपमानजनक और आपत्तिजनक आचरण पर ध्यान देते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की थी

उनके खिलाफ और यहां तक कि उन्हें अवमानना करने का दोषी पाए जाने के आधार पर "पेशेवर कदाचार" के लिए दंडित किया गया।

अदालत से। हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि राज्य की बार काउंसिल या भारतीय बार काउंसिल, जैसा भी मामला हो, जब सूचित किया जाए।

द्वारा एक अधिवक्ता के स्थापित दूषित आचरण का उच्च न्यायालय या इस न्यायालय द्वारा इस अवसर पर उठ कर ऐसे अधिवक्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। अनुच्छेद 144 के तहत

संविधान के अनुसार "भारत के क्षेत्र में सभी नागरिक और न्यायिक प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे"। बार काउंसिल जो एक सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करती है और जिस पर पेशे की गरिमा की रक्षा करने और पेशेवर मानकों और शिष्टाचार को बनाए रखने का दायित्व है, वह भी "सर्वोच्च न्यायालय की सहायता" में कार्य करने के लिए बाध्य है। इसे, जब भी तथ्यों की आवश्यकता होती है, इस अवसर पर उठना चाहिए और अवमानना करने वाले अधिवक्ता की स्थिति से प्रभावित हुए बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। इसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करना चाहिए,

जब भी इस न्यायालय द्वारा किसी अधिवक्ता के अनुचित और अशोभनीय आचरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो न्याय के उचित प्रशासन में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है। यह संभव है कि

उच्च न्यायालय अवमानना करने वाले अधिवक्ता के पेशेवर कदाचार के मामले की ओर राज्य की बार काउंसिल का ध्यान आकर्षित करेंगे ताकि राज्य बार काउंसिल अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से आगे बढ़ सके। यह मानने का कोई औचित्य नहीं है कि बार काउंसिल नहीं उठेंगी अवसर, क्योंकि वे अदालतों की गरिमा और कानून की महिमा को बनाए रखने और न्याय के प्रशासन में किसी भी हस्तक्षेप को रोकने के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। पक्षों के लिए विद्वान वकील [2019] 1 एस. सी. आर.

हमारे सामने उपस्थित विवाद नहीं करते हैं और उचित है ताकि जब भी एक

अभिलेख न्यायालय, एक के आचरण के बारे में अपने निष्कर्षों को दर्ज करता है

अदालत की अवमानना करने का दोषी पाते हुए अधिवक्ता और बार काउंसिल द्वारा मामले पर विचार करने की इच्छा या संदर्भ देता है

बनाए रखने की दृष्टि से कानून के अनुसार संबंधित न्यायालयों की गरिमा और कानून की महिमा को बनाए रखना और

पेशेवर मानक और शिष्टाचार। इससे ज्यादा विनाशकारी कुछ नहीं है।

अभद्रता की तुलना में न्याय के प्रशासन में जनता का विश्वास,

एक वकील की ओर से अशिष्टता या अपमानजनक आचरण न्यायालय या न्यायालय द्वारा बार के विशेषाधिकारों की अवहेलना। में।

बार काउंसिल का मामला, 'संदर्भ' प्राप्त करने के बाद भी

न्यायालय, संबंधित अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहता है, यह

अदालत धारा 38 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करने पर विचार कर सकती है बार से कार्यवाही के रिकॉर्ड के लिए भेजकर कार्य करें

परिषद बनाएँ और उचित आदेश पारित करें। बेशक, अपील

धारा 38 के तहत शक्तियां केवल इस न्यायालय को उपलब्ध होंगी।

और उच्च न्यायालयों को नहीं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी स्थिति

नहीं उठेगा।

80. किसी मामले में इस न्यायालय या उच्च न्यायालय के लिए यह संभव हो सकता है। अदालत, अवमानना करने वाले वकील को तब तक उसके सामने पेश होने से रोकती है जब तक कि

वह खुद को अवमानना से मुक्त करता है लेकिन यह उससे बहुत अलग है

उसके लाइसेंस को निलंबित या रद्द करना या उसे इस रूप में अभ्यास करने से रोकना

एक वकील। तिरस्कारपूर्ण, अपमानजनक मामले में, अभिलेख पर एक अधिवक्ता का अशोभनीय या निंदनीय आचरण,

इस न्यायालय के पास सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के तहत अधिकार क्षेत्र है

स्वयं, एक अधिवक्ता के रूप में अभ्यास करने के अपने विशेषाधिकार को वापस लेने के लिए-एक रिकॉर्ड करें क्योंकि वह विशेषाधिकार इस न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया है और

विशेषाधिकार देने की शक्ति में रद्द करने की शक्ति शामिल है या

इसे स्थगित कर दें। हालाँकि, उस विशेषाधिकार को वापस लेने से ऐसा नहीं होता है

एक के रूप में अभ्यास करने के लिए उसके लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने के लिए राशि अन्य न्यायालयों या न्यायाधिकरणों में अधिवक्ता।

(जोर दिया गया)

न्यायालय ने कहा है कि एक मामले में एक अधिवक्ता ने पाया है कि

न्यायालय की अवमानना करने का एक ही समय में "पेशेवर कदाचार" करने का दोषी हो सकता है लेकिन दोनों क्षेत्राधिकार हैं

निम्नलिखित द्वारा विभिन्न मंचों द्वारा खाया, विशिष्ट और अभ्यास योग्य

किराया प्रक्रियाएँ। आर. मुथुकृष्णन बनाम के लिए एक अधिवक्ता को दंडित करने के लिए विशेष शक्ति।

मद्रास में उच्च न्यायालय का सामान्य पंजीकरण [अरुण मिश्रा, जे.]

बार काउंसिलों के साथ पेशेवर कदाचार होता है। अधिवक्ता के लाइसेंस को निलंबित करने के लिए सजा केवल एक सक्षम वैधानिक निकाय द्वारा दी जा सकती है। बार काउंसिल में सात-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा करना महाराष्ट्र का बनाम। एम. वी. दाभोलकर और अन्य। (ऊपर दिया गया है) कि अधिवक्ता अधिनियम के तहत लाइसेंस देने की शक्ति बार काउंसिल के पास है, लाइसेंस को निलंबित करने या उसे प्रतिबंधित करने का अधिकार क्षेत्र उसी निकाय में निहित है। हालाँकि धारा 38 के तहत इस न्यायालय में अपील की जाती है, लेकिन यह इसे "मूल अधिकार क्षेत्र" का प्रयोग करने वाले वैधानिक निकाय में परिवर्तित नहीं कर सकता है। यह न्यायालय, अनुच्छेद 142 और 129 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, अदालत की अवमानना में दंडित करते हुए, वकालत करने के लिए लाइसेंस को निलंबित नहीं कर सकता है। न्यायालय ने आगे कहा कि इस न्यायालय या उच्च न्यायालय के लिए इसे रोकना संभव है।

अवमानक अधिवक्ता को उसके समक्ष तब तक उपस्थित होना चाहिए जब तक कि वह खुद को अवमानना से मुक्त नहीं कर लेता है, लेकिन यह उसके आचरण के लिए लाइसेंस को निलंबित करने या रद्द करने या उसे कदाचार के लिए अभ्यास से प्रतिबंधित करने से अलग है। इस न्यायालय ने भी कहा कि

अभिलेख पर अधिवक्ता का मामला कि उच्चतम न्यायालय को अभिलेख पर अधिवक्ता के रूप में कार्य करने के विशेषाधिकार को वापस लेने के लिए अपने नियमों के तहत अधिकार क्षेत्र प्राप्त है क्योंकि वह विशेषाधिकार इस न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया है। द.

उस विशेषाधिकार को वापस लेना लाइसेंस को निलंबित करने या रद्द करने के समान नहीं है।

55. श्री मोहन परासरन को पता चला कि वरिष्ठ वकील ने प्रवीण सी. शाह बनाम के मामले पर भरोसा किया है। के. ए. मोहम्मद। अली और अन्र। (उपर्युक्त) जिसमें प्रश्न यह था कि क्या किसी अधिवक्ता को अवमानना का दोषी पाया गया है

अदालत तब तक अदालत में पेश हो सकती है जब तक कि वह खुद को अवमानना से मुक्त नहीं कर लेता है, अदालत ने माना कि अदालत की अवमानना के दोषी पाए गए वकील को पेश होने की अनुमति देने से पहले खुद को शुद्ध करना चाहिए। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 (1) के तहत केरल उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के नियम 11 में कहा गया हैः

" 11. न्यायालय की अवमानना का दोषी पाए गए किसी भी अधिवक्ता को किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने, कार्य करने या अभिवचन करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वह स्वयं को अवमानना से मुक्त नहीं कर लेता।

इस न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम में भरोसा किया है। प्रवीण सी. शाह बनाम में भारत संघ (ऊपर) के. ए. मोहम्मद। अली और अन्र।

(ऊपर) और इस प्रकार देखा गयाः

16. नियमों का नियम 11 भारतीय विधिज्ञ परिषद की राज्य विधिज्ञ परिषद की अनुशासनात्मक समिति के लिए अभिप्रेत प्रावधान नहीं है। यह पूरी तरह से गरिमा से संबंधित मामला है और

अभ्यास अपने पेशेवर कर्तव्यों के निर्वहन में उसके द्वारा किए जाने वाले कई कार्यों को शामिल करता है। अदालतों में पेश होने वाले प्रपत्र के अलावा उसके मुवक्किल उससे परामर्श कर सकते हैं, वह जब भी मांगे अपनी कानूनी राय दे सकता है, वह दस्तावेज, अभिवचन, शपथ पत्र या किसी अन्य दस्तावेज का मसौदा तैयार कर सकता है, वह किसी भी मामले में भाग ले सकता है।

कानूनी चर्चा आदि से संबंधित सम्मेलन। नियम 11 का किसी अधिवक्ता द्वारा अपने अभ्यास के दौरान किए गए सभी कार्यों से कोई लेना-देना नहीं है सिवाय इसके कि उसका प्रदर्शन कोर्ट के अंदर होता है। अदालत में आचरण अदालत से संबंधित मामला है और इसलिए बार काउंसिल यह दावा नहीं कर सकती है कि

अदालत के अंदर क्या होना चाहिए, इसे बार काउंसिल द्वारा अपनी अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करते हुए भी विनियमित किया जा सकता है। का अधिकार

प्रमुख पर्यवेक्षी शक्ति होनी चाहिए। अतः न्यायालय को केवल न्यायालय के नियंत्रण या पर्यवेक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इसमें एक अधिवक्ता का अधिकार शामिल हो सकता है।

17. जब नियम यह निर्धारित करते हैं कि अदालत की अवमानना करने वाले व्यक्ति को उपस्थित रहना जारी रखने का अनारक्षित अधिकार नहीं हो सकता है

और बिना किसी झिझक या पश्चाताप के अदालतों में वाद दायर करना और मामलों का संचालन करना, बार काउंसिल अदालत की कार्यवाही के व्यवस्थित संचालन से संबंधित ऐसे विनियमन को रद्द नहीं कर सकती है। कानून के न्यायालयों की संरचना इस तरह से की जाती है कि वे कानून और न्याय की महानता के प्रति सम्मान और सम्मान पैदा करें। कानून के अनुसार न्याय के वितरण के लिए तंत्र अदालत द्वारा संचालित किया जाता है। अदालतों के भीतर कार्यवाही हमेशा गरिमापूर्ण और व्यवस्थित तरीके से होने की उम्मीद की जाती है। एक वकील का, जिसे पिछले घंटे अदालत की अवमानना का दोषी पाया गया था, अदालत में खड़ा होना और उसी दिन एक मामले में बहस करना या एक गवाह से जिरह करना, अदालत में उसके द्वारा किए गए अवमाननापूर्ण व्यवहार से अप्रभावित होना, अदालत की गरिमा को नष्ट कर देगा और यहां तक कि अदालतों की संस्था की प्रभावशीलता में जनता के विश्वास को कम करने के अलावा इसकी महिमा को भी नष्ट कर देगा। इसके लिए उच्च न्यायालय को ऐसी कार्यवाहियों के दौरान अधिवक्ताओं के आचरण सहित न्यायालय के अंदर की कार्यवाहियों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता होती है। उस शक्ति को कानून का अभ्यास करने के अधिकार के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। जबकि बार काउंसिल उत्तरार्द्ध पर नियंत्रण का प्रयोग कर सकती है, उच्च न्यायालय को पूर्व के नियंत्रण में होना चाहिए।

18. उपरोक्त संदर्भ में, प्रयाग दास बनाम सिविल न्यायाधीश, बुलंदशहर और अन्य मामलों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों को उद्धृत करना उपयोगी है। ए. आई. आर. 1974 सभी 133: (एयर पी। 136, पैरा 9)

" उच्च न्यायालय के पास उपस्थिति को विनियमित करने की शक्ति है अदालतों में अधिवक्ता। अभ्यास करने का अधिकार और उपस्थित होने का अधिकार

अदालतों में समानार्थी नहीं होते हैं। एक वकील आगे बढ़ सकता है

कक्ष अभ्यास या यहां तक कि विभिन्न अन्य तरीकों से अदालतों में अभ्यास करें, जैसे कि वाद और वकालतनामा का मसौदा तैयार करना और दाखिल करना।

उन कार्यों को करने के लिए। उस उद्देश्य के लिए, उसके शारीरिक

अधिवक्ताओं की उपस्थिति को विनियमित करने के लिए नियम और अदालतों के भीतर कार्यवाही। जाहिर है, उच्च न्यायालय है

केवल उपयुक्त प्राधिकारी को यह कार्य सौंपा जाना है।

जिम्मेदारी "।

19. हमारे विचार में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त बयानों में कानूनी स्थिति को सही ढंग से चित्रित किया गया है। उन बयानों को देने का संदर्भ यह था कि एक वकील ने अदालतों में पेश होने के दौरान अधिवक्ताओं के लिए पोशाक नियम बनाने में उच्च न्यायालय की शक्तियों पर सवाल उठाया। 20. लॉर्ड डेनिंग ने हैडकिंसन बनाम हैडकिंसन 1952 (2) ऑल ई. आर. 567 में इस प्रकार देखा थाः (सभी ई. आर. पी. 575 बी-सी)

" ..... मेरा मानना है कि यह तथ्य कि किसी पक्ष ने अदालत के आदेश की अवज्ञा की है, अपने आप में उसकी सुनवाई पर रोक नहीं है, लेकिन अगर उसकी अवज्ञा ऐसी है कि जब तक यह जारी है, यह अदालत के लिए सच्चाई का पता लगाना या उसके द्वारा दिए गए आदेशों को लागू करना अधिक कठिन बनाकर न्याय के मार्ग में बाधा डालती है, तो अदालत अपने विवेकाधिकार पर उसे तब तक सुनने से इनकार कर सकती है जब तक कि बाधा दूर नहीं हो जाती या ठीक नहीं हो जाती। कारण दिखाया गया है कि इसे क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए।

21. ये टिप्पणियां भारत में अदालतों में बिना किसी संदेह के और साथ ही अधिवक्ता अधिनियम के तहत बार काउंसिल में निहित अनुशासनात्मक शक्तियों को बाधित किए बिना लागू हो सकती हैं।

19] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

35. यह अभी भी प्रतिवादी अधिवक्ता के लिए खुद को शुद्ध करने के लिए खुला है

ऊपर बताए गए तरीके से अवमानना। लेकिन उस प्रक्रिया तक

प्रतिवादी अधिवक्ता किसी भी अदालत में कार्य या अभिवचन नहीं कर सकता है

केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित, जिसमें शामिल हैं - इसके अधीन अधीनस्थ न्यायालय। उच्च न्यायालय के पंजीयक

केरल सरकार इस फैसले के बारे में सभी अदालतों को सूचित करेगी।

प्रतिवादी-अधिवक्ता "।

(जोर दिया गया)

56. प्रवीण सी. शाह (ऊपर) में निर्णय तब लागू होता है जब

अधिवक्ता को अदालत की अवमानना करने का दोषी पाया जाता है और फिर उसे अदालत में पेश होने से तब तक रोका जा सकता है जब तक कि वह उसमें निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार खुद को अवमानना से मुक्त नहीं कर लेता है, हालांकि, नामांकन को निलंबित करने और उपस्थिति से रोकने की शक्ति एक दूसरे से अलग है। प्रतिबंध के मामले में, नामांकन जारी रहता है लेकिन एक व्यक्ति

एक बार अदालत की अवमानना का दोषी होने के बाद अदालत में तब तक पेश नहीं हो सकता जब तक कि वह नियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार खुद को शुद्ध नहीं कर लेता। अदालत की अवमानना का दोषी पाए जाने के कारण बर्खास्तगी एक निर्दिष्ट अवधि के लिए लाइसेंस को निलंबित करने या उसे वकीलों की सूची से स्थायी रूप से हटाने की सजा नहीं है। अवमानना का दोषी होने के बावजूद उसका नाम अभी भी संबंधित बार काउंसिल की सूची में बना हुआ है जब तक कि बार काउंसिल द्वारा उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करके उसे हटा या निलंबित नहीं किया जाता है। टिप्पणियाँ

हैडकिंसन वी में लॉर्ड डेनिंग द्वारा बनाया गया। हैडकिन्डन (ऊपर) भी अदालती आदेश की अवज्ञा का मामला था और अदालत उसे तब तक सुनने से इनकार कर सकती है जब तक कि बाधा दूर नहीं हो जाती या बाधा को दूर करने का अच्छा कारण मौजूद नहीं होता।

57. पूर्व-कप्तान में। हरीश उप्पल बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. (ऊपर)

यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अधिवक्ताओं को 'हड़ताल' पर जाने का कोई अधिकार नहीं है, न्यायालय ने कहाः

" 20. इस प्रकार कानून पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित है। यह हर किसी का कर्तव्य है

अधिवक्ता जिन्होंने मुकदमे में भाग लेने के लिए एक संक्षिप्त जानकारी स्वीकार की है, भले ही यह दिन-प्रतिदिन और लंबे समय तक चल सकता है। यह भी है

अदालत में उपस्थित होने के लिए क्योंकि बार द्वारा बहिष्कार का आह्वान किया जाता है एसोसिएशन। यह तय किया गया कानून है कि यह गैर-पेशेवर होने के साथ-साथ

एक वकील के लिए अशोभनीय है जिसने इनकार करने के लिए एक संक्षिप्त स्वीकार किया है

द्वारा हड़ताल या बहिष्कार के आह्वान के अनुसरण में भी न्यायालय में उपस्थित होना

बार एसोसिएशन या बार काउंसिल। यह तय किया गया कानून है कि न्यायालय आर. मुथुकृष्णन बनाम।

मद्रास में न्यायिक न्यायालय के जी. एच. जनरल [अरुण मिश्रा, जे.]

वे अपने समक्ष लाए गए मामलों की सुनवाई और निर्णय करने के लिए बाध्य हैं और केवल इसलिए मामलों को स्थगित नहीं कर सकते क्योंकि वकील हड़ताल पर हैं। कानून यह है कि अदालतों का कर्तव्य और दायित्व है कि वे चले जाएं।

मामलों पर या अन्यथा यह हड़ताल के लिए गुप्त होने के समान होगा। यह भी तय कानून है कि यदि न्यायपालिका में विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला कोई प्रस्ताव बार एसोसिएशन द्वारा पारित किया जाता है अधिकारीगण, यह न्यायालयों को उसके अधिकार को कम करने के लिए बदनाम करने के बराबर होगा और इस तरह अधिवक्ताओं ने ऐसा किया होगा

न्यायालय की अवमानना। वकील कम से कम महाबीर के बाद से जानते हैं।

22. यह उम्मीद की जा रही थी कि सुव्यवस्थित कानून को जानने के बाद और यह देखने के बाद कि बार-बार हड़तालों और बहिष्कारों ने कानूनी पेशे में जनता के विश्वास को हिला दिया है और न्याय के प्रशासन को प्रभावित किया है, स्व-विनियमन होगा। उपर्युक्त अंतरिम आदेश इस उम्मीद में पारित किया गया था कि आत्म-संयम और आत्म-विनियमन के साथ वकील अपने पेशे को खोए हुए सामाजिक सम्मान से पुनः प्राप्त करेंगे। उम्मीद पूरी नहीं हुई है। बदकिस्मती से हड़ताल और बहिष्कार का आह्वान एक आम तमाशा बनता जा रहा है। हड़तालें, बहिष्कार के आह्वान और यहां तक कि अनियंत्रित और अशोभनीय आचरण भी अक्सर देखने को मिल रहा है। कम से कम दिखावटी हड़ताल और/या बहिष्कार के आह्वान का सहारा लिया जाता है। न्यायिक प्रणाली को फिरौती के लिए रखा जा रहा है। कानून और न्याय का प्रशासन खतरे में है। कानून के शासन को कमजोर किया जा रहा है।

33. ऊपर दिए गए सामान्य नियम का एकमात्र अपवाद मद (III) प्रतीत होता है। हम स्वीकार करते हैं कि ऐसे मामलों में कड़ा विरोध दर्ज कराया जाना चाहिए। हमारा विचार है कि हड़तालें अवैध हैं और अदालतों को अब हड़तालों और बहिष्कार के आह्वान पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। हालाँकि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, वकील न्याय के प्रशासन की प्रणाली का अभिन्न अंग हैं। बार और न्यायपालिका की गरिमा, अखंडता और स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दे पर विरोध, बशर्ते कि यह एक दिन से अधिक न हो, अदालतों द्वारा अनदेखा किया जा सकता है, जो उस एक दिन के लिए आंखें मूंद सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

34. एक अंतिम बात जिसका उल्लेख किया जाना चाहिए वह यह है कि अदालतों में उपस्थित होने का अधिकार अभी भी नियंत्रण और अधिकार क्षेत्र के भीतर है

अदालतें। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 को लागू नहीं किया गया है और यह सही भी है। न्यायालय में आचरण का नियंत्रण केवल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में ही हो सकता है। इस प्रकार भारत के संविधान का अनुच्छेद 145 सर्वोच्च न्यायालय को देता है और अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 उच्च न्यायालय को उन शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति देती है जिन पर एक व्यक्ति (एक अधिवक्ता सहित) सर्वोच्च न्यायालय और/या उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत कर सकता है। कई अदालतों ने इस संबंध में नियम बनाए हैं। ऐसा नियम सभी के लिए मान्य और बाध्यकारी होगा। बार इस बात पर ध्यान दे कि जब तक आत्म-संयम का प्रयोग नहीं किया जाता है, तब तक अदालतों को अब अवमानना और/या गैर-पेशेवर या अशोभनीय आचरण के दोषी अधिवक्ताओं को अदालतों के समक्ष उपस्थित होने से रोकने के लिए विशिष्ट नियम बनाने पर विचार करना पड़ सकता है। यदि ऐसा नियम बनाया जाता है तो इसका बार काउंसिलों के अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र से कोई लेना-देना नहीं होगा। यह.

अदालत में पेश होने और मामलों का संचालन करने का अधिकार एक विशिष्टता हो सकती है। लेकिन अदालत में पेश होने और मामलों का संचालन करने का अधिकार एक ऐसा मामला है जिस पर अदालत के पास प्रमुख पर्यवेक्षी और नियंत्रण शक्ति होनी चाहिए और होनी चाहिए। इसलिए अदालतों को अलग नहीं किया जा सकता और न ही किया जा सकता है। न्यायालय में आचरण का नियंत्रण या पर्यवेक्षण केवल इसलिए कि इसमें अधिवक्ता का अधिकार शामिल हो सकता है। एक नियम यह निर्धारित कर सकता है कि एक व्यक्ति जिसने अदालत की अवमानना की है या जिसने आर. मुथुकृष्णन बनाम का व्यवहार किया है।

मद्रास में न्यायिक न्यायालय के जी. एच. जनरल [अरुण मिश्रा, जे.]

गैर-पेशेवर रूप से और अनुचित तरीके से अदालतों में पेश होने और वाद करने और मामलों का संचालन जारी रखने का अधिकार नहीं होगा। बार काउंसिल इस तरह के विनियमन को रद्द नहीं कर सकती है। अदालती कार्यवाहियों का सुव्यवस्थित संचालन। इसके विपरीत, यह देखना उनका कर्तव्य होगा कि इस तरह के नियम का सख्ती से पालन किया जाए। कानून के न्यायालयों को इस तरह से संरचित किया जाता है कि वे सम्मान और सम्मान पैदा करें।

कानून और न्याय की महिमा के प्रति सम्मान। कानून के अनुसार न्याय के वितरण के लिए तंत्र अदालत द्वारा संचालित किया जाता है। अदालतों के भीतर कार्यवाही हमेशा गरिमापूर्ण और व्यवस्थित तरीके से होने की उम्मीद की जाती है। एक का दृश्य

अधिवक्ता, जो न्यायालय की अवमानना या अशोभनीय या अव्यावसायिक आचरण का दोषी है, न्यायालय में खड़े होने से अदालत का नुकसान होगा।

जिन शर्तों पर एक वकील को अदालतों में वकालत करने की अनुमति दी जाएगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 और अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि एक वकील को अदालत में पेश होने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। एक वकील अदालत में ऐसी शर्तों के अधीन उपस्थित होता है जो अदालत द्वारा निर्धारित की जाती हैं। यह याद रखना चाहिए कि धारा 30 को लागू नहीं किया गया है और यह यह भी दर्शाता है कि किसी मामले में उपस्थित होने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। अदालत। भले ही धारा 30 को लागू किया जाना था, अदालत में कार्यवाही का नियंत्रण हमेशा अदालत के पास रहेगा। इस प्रकार तब भी न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार न्यायालयों द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करने के अधीन होगा जैसा कि न्यायालयों [2019] 1 एस. सी. आर. के बाहर किया जाता है।

बार काउंसिल द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन होगा

भारत। इस प्रकार अन्य प्रावधानों के बीच कोई टकराव या टकराव नहीं है।

एक ओर अधिवक्ता अधिनियम और धारा 34 या अनुच्छेद

145 दूसरी ओर भारत का संविधान।

45. इसके अलावा, उचित नियम बनाए जाने की आवश्यकता है

अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 के तहत उच्च न्यायालयों ने इसे

स्पष्ट करें कि अधिवक्ताओं/अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल पर विचार किया जाएगा

न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप और अधिवक्ता /

संबंधित अधिवक्ताओं को अदालतों के समक्ष वकालत करने से रोका जा सकता है किसी जिले में या उच्च न्यायालय में।

(जोर दिया गया)

उपरोक्त मामले में शामिल प्रश्न हड़ताल करने के बारे में था और

वकीलों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार। उस संदर्भ में तर्क दिया गया था कि इस तरह का कार्य अदालत की अवमानना के समान है और अदालत को उस पक्ष को दंडित करना चाहिए जो दूसरों को भी उपस्थित होने से रोकने के लिए मजबूर करता है। न्यायालय को बहिष्कार या हड़ताल करने का अधिकार नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम में निर्णय। भारत संघ (ऊपर) को दोहराया गया है। न्यायालय ने कहा कि बार को इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि जब तक आत्मसंयम का प्रयोग नहीं किया जाता है, तब तक न्यायालय को अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 के तहत नियम बनाने पड़ सकते हैं जो अदालत की अवमानना/गैर-पेशेवर या अनुचित आचरण के दोषी अधिवक्ताओं को अदालतों में उपस्थित होने से रोकते हैं। अदालत ने कहा कि बार काउंसिल के कार्रवाई करने में विफल रहने की स्थिति में, अदालत को अधिनियम की धारा 34 के तहत उचित नियम बनाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। द.

न्यायालय ने उन नियमों के बारे में अवलोकन किया है जो बनाए जा सकते हैं लेकिन उन नियमों की वैधता पर नहीं जो वास्तव में बनाए गए हैं और बार काउंसिल के अनुशासनात्मक नियंत्रण को छीन लेते हैं। न्यायालय की अवमानना के कारण प्रतिबंध लगाने की शक्ति अनुशासनात्मक उपाय के माध्यम से नामांकन या प्रतिबंध के निलंबन से अलग है। इस न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम में उस निर्णय का अवलोकन नहीं किया। भारत संघ (उपर्युक्त) किसी भी कारण से कानून की दृष्टि से खराब है, उसी समय न्यायालय ने पूर्व-कप्तान में उसी पर भरोसा किया है। हरीश उप्पल (ऊपर), और निर्धारित किया कि बार काउंसिल अभ्यास करने के अधिकार पर नियंत्रण का प्रयोग कर सकती है। न्यायालय ने यह भी कहा कि न्यायालय के भीतर कार्यवाही को नियंत्रित करने की शक्ति धारा 30 के प्रवर्तन से प्रभावित नहीं हो सकती है।

58. हमारी राय में, एक्स-कैप्टन में निर्णय। हरीश उप्पल बनाम।

भारत संघ और ए. एन. आर. (उपर्युक्त) मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित नियम 14 ए से 14 डी के अधिकारों का समर्थन नहीं करता है।

निर्णय आर. मुथुकृष्णन बनाम। मद्रास में उच्च न्यायालय का सामान्य पंजीकरण [अरुण मिश्रा, जे.]

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम के तर्क का पालन करता है। यदि न्यायालय कक्ष के भीतर किया जाता है तो न्यायालय की अवमानना के रूप में भारत संघ पेशेवर कदाचार को शामिल कर सकता है और इसे न्यायालय में निषिद्ध उपस्थिति के संबंध में आगे ले जा सकता है, जो कि बार काउंसिल के पास नामांकन को निलंबित करने की शक्ति से अलग है जैसा कि पूर्व-कैप्टन में देखा गया है। हरीश उप्पल (ऊपर) ने भी उपरोक्त पैरा 34 में कहा है कि यह निर्णय विवादित नियमों के अधिकार को बनाए रखने के लिए कोई उपयोगी नहीं है। 59. बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम। केरल उच्च न्यायालय, (ऊपर) अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 (1) के तहत केरल उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के नियम 11 का अधिकार निहित हो गया, जिसने अधिवक्ता को अदालत की अवमानना का दोषी पाए जाने पर अदालत में उपस्थित होने, कार्य करने या याचिका दायर करने से तब तक प्रतिबंधित कर दिया जब तक कि वह खुद को अवमानना से मुक्त नहीं कर लेता। अदालत ने अदालत की अवमानना अधिनियम, अधिवक्ता अधिनियम, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और अदालत की अवमानना और एक अधिवक्ता द्वारा कदाचार के बीच महत्वपूर्ण अंतर पर विचार किया और कहाः

" 29. अवमानना और सजा के लिए सजा

दुराचार, पेशेवर या अन्य दुराचार के लिए, अलग-अलग आधार पर खड़े हैं। किसी व्यक्ति को किसी भी अदालत में वकालत करने का मौलिक अधिकार नहीं है। ऐसा अधिकार उसे अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रदान किया जाता है जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ होगा कि -

उसमें निर्धारित शर्तें उसके संबंध में लागू होंगी। अधिनियम की धारा 30 "के अधीन" अभिव्यक्तियों का उपयोग करती है, जो इसमें अधिनियम की धारा 34 शामिल होगी।

30. अशोक लेलैंड लिमिटेड बनाम। तमिलनाडु और अन्न राज्य। (2004) 3 एस. सी. सी. 1 इस न्यायालय ने नोट कियाः

" "के अधीन एक अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा सीमा व्यक्त की जाती है।

आदेश सभी उद्देश्यों के लिए निर्णायक है।

31. इस न्यायालय ने आगे शब्दकोश के अर्थ "विषय" पर ध्यान दिया।

"कहने के लिए (एस. सी. सी. पी. 38 , पैरा 92-93):

" 92. इसके अलावा, 'विषय' अभिव्यक्ति दी जानी चाहिए।

प्रभाव पड़ता है।

93. ब्लैक लॉ डिक्शनरी में, पृष्ठ 1278 पर पाँचवाँ संस्करण

अभिव्यक्ति "के अधीन" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

' उत्तरदायी, अधीनस्थ, अधीनस्थ, हीन, आज्ञाकारी; शासित या प्रभावित; बशर्ते कि; प्रदान किया गया, जवाबदेह [2019] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के लिए। (होमान वी। नियोक्ता पुनर्बीमा निगम। , 345 मो. 650,

136 एस. डब्ल्यू. 2 डी 289,302) ""

मामला-कानून

32. उच्चतम न्यायालय बार में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ

एसोसिएशन। , (1998) 4 इसमें कोई संदेह नहीं है कि एस. सी. सी. 409 ने अपने पहले के फैसले को खारिज कर दिया।

विनय चंद्र मिश्रा, री (1995) 2 एस. सी. सी. 584 ताकि यह माना जा सके कि इस न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए

भारत के संविधान को केवल स्वतः आगे बढ़ने का अधिकार है

एक वकील के खिलाफ उसके कदाचार के लिए और रिकॉर्ड के लिए भेजें

पेशेवर या अन्य कदाचार का संज्ञान और निर्देश बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ता के खिलाफ आगे बढ़ेगी लेकिन यह है

अपने दरबार में जब तक कि वह खुद को अवमानना से मुक्त नहीं करता। 34. हालांकि पेशेवर कदाचार के मामले में, यह न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता है

अनुच्छेद 129 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एक अधिवक्ता को दंडित करें।

भारत के संविधान का जो किसी निष्कर्ष पर थोपा जा सकता है निर्धारित तरीके से अभिलिखित पेशेवर दुराचार

अधिवक्ता अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम लेकिन जैसा है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में देखा गया। पेशेवर

संबंधित अधिवक्ता का कदाचार प्रत्यक्ष रूप से कोई मामला नहीं है।

अवमानना के मामले में मुद्दा "।

(जोर दिया गया)

न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय बार में टिप्पणी का उल्लेख किया

एसोसिएशन वी। भारत संघ, पूर्व-कैप्टन। हरीश उप्पल (ऊपर) ने कहा कि पेशेवर कदाचार के मामले में अदालत किसी वकील को अनुच्छेद 129 के तहत दंडित नहीं कर सकती है जो बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ता अधिनियम के तहत किया जाना है। अदालत की अवमानना अधिनियम में, कदाचार सीधे मुद्दे में नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने

उन्होंने कहा कि इसे बहुत आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है और नियम 11 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता है।

60. आर. के. आनंद बनाम पंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय (ऊपर) ने भरोसा जताया

प्रत्यर्थियों द्वारा, अपीलार्थी द्वारा गवाहों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। आर. मुथुकृष्णन बनाम के संबंध में टी. वी. चैनल द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था।

मद्रास में उच्च न्यायालय का सामान्य पंजीकरण [अरुण मिश्रा, जे.]

बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन केस। अधिवक्ता-आर. के. आनंद को न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया गया। उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए अदालत में पेश होने से रोक दिया गया था। अदालत ने अलग होने के लिए दायर एक प्रेरित आवेदन पर भी विचार किया। न्यायालय ने बार के सदस्यों की ऐसी प्रवृत्तियों और प्रथाओं पर चिंता और तीखी निंदा व्यक्त की और कहा कि अलग होने के लिए इस तरह के अनुरोध को सामान्य रूप से न्याय के नियत पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप के रूप में देखा जाना चाहिए जिससे दंडात्मक परिणाम हो सकते हैं। यह दलील दी गई कि पेशेवर कदाचार से अधिवक्ता अधिनियम के तहत निपटा जाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय के नियमों में यह प्रावधान नहीं है कि अदालत की अवमानना के लिए दोषी ठहराए जाने पर अधिवक्ता को अदालत में पेश होने से रोका जाएगा। इस न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम में निर्णयों को नोट किया। भारत संघ (उपरोक्त) ने उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और उच्च न्यायालयों को बिना किसी देरी के धारा 34 के तहत नियम बनाने का निर्देश दिया। इस न्यायालय ने टिप्पणी की हैः

" 237. दोनों में प्रवीण सी. शाहव। के. ए. मोहम्मद अली, (2001) 8 एस. सी. सी. 650 और पूर्व। कैप्टन। हरीश उप्पल बनाम। भारत संघ, (2003) 2 एस. सी. सी. 45, उच्चतम न्यायालय में पूर्ववर्ती संविधान पीठ का निर्णय कोर्ट बार एसोसिएशन। वी. भारत संघ, (1998) 4 एस. सी. सी. 409 पर व्यापक रूप से विचार किया गया। पूर्व में निर्णय। कैप्टन। हरीश उप्पल का बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में अनुसरण किया गया। केरल उच्च न्यायालय (2004) 6 एस. सी. सी. 311।

238. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में। एक अधिवक्ता को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अदालत में उपस्थित होने से प्रतिबंधित करने वाले निर्देश को कानून का अभ्यास करने के उसके अधिकार के पूर्ण और पूर्ण इनकार के रूप में देखा गया और बार को उस पर लगाए गए दंड के रूप में माना गया। पूर्व में। कैप्टन। हरीश उप्पल इसे पेशेवरों के लिए सजा के रूप में नहीं देखा गया था कदाचार लेकिन न्यायालय की कार्यवाही को विनियमित करने और न्यायालयों की गरिमा और व्यवस्थित कार्यप्रणाली को बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय के रूप में। हम सम्मानपूर्वक जोड़ सकते हैं कि किसी दिए गए मामले में एक निर्देश जो आपराधिक अवमानना के लिए दोषी ठहराए गए वकील को अनुमति नहीं देता है।

न्यायालय में उपस्थित होना न केवल न्यायालयों की गरिमा और व्यवस्थित कार्यप्रणाली को बनाए रखने का एक उपाय हो सकता है, बल्कि न्यायालय की आत्मरक्षा और न्यायालय की कार्यवाही की शुद्धता के संरक्षण के लिए भी आवश्यक हो सकता है। उदाहरण के लिए, आइए हम उस मामले को लें जहां एक वकील को न्यायाधीश के नाम पर या उसे प्रभावित करने के बहाने पैसे स्वीकार करते हुए दिखाया गया है; या जहां एक वकील अदालत के रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करता हुआ पाया जाता है; या जहां एक वकील सक्रिय रूप से अदालत के आदेशों को नकली बनाने में भाग लेता हुआ पाया जाता है (नकली [2019] 1 एस. सी. आर.

कई उच्च न्यायालयों में जमानत के आदेश अज्ञात नहीं हैं!) ; या जहाँ किसी अधिवक्ता ने न्यायाधीशों को धमकाने और गाली देने की प्रथा बना ली है और उस आधार पर मामला दायर करने के लिए प्रतिष्ठा अर्जित की है।

एक "असुविधाजनक" अदालत से स्थानांतरित; या जहां एक वकील को न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों के खिलाफ निराधार और अप्रमाणित आरोप याचिकाएं भेजने की आदत पाई जाती है उच्च न्यायालय। दुर्भाग्य से, ये उदाहरण नहीं हैं

239. हम यह भी जोड़ सकते हैं कि ये चित्रण संपूर्ण नहीं हैं, लेकिन ऐसे अन्य तरीके भी हो सकते हैं जिनसे एक अपराधी का आचरण और कार्य अदालत की कार्यवाही की शुद्धता के लिए एक वास्तविक और आसन्न खतरा पैदा कर सकते हैं, जो किसी भी अदालत के कामकाज के लिए कार्डिनल हो सकता है। एक ठोस अपराध और अदालत की अवमानना और पेशेवर कदाचार का गठन करना। ऐसी स्थिति में न्यायालय के पास न केवल अधिकार है, बल्कि यह दायित्व भी है कि वह अपनी रक्षा करे और अपनी कार्यवाही की शुद्धता को किसी भी तरह से प्रदूषित होने से बचाए और इस उद्देश्य के लिए अपराधी को इस अधिकार से वंचित करे।

उचित अवधि के लिए न्यायालयों के समक्ष उपस्थित होना।

240. यह पहले से ही एक्स में समझाया गया है। कैप्टन हरीश उप्पल ने कहा कि अदालत द्वारा इस तरह के निर्देश को पेशेवर कदाचार के लिए सजा के बराबर नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, अदालतों में उपस्थिति के खिलाफ निषेध संबंधित वकील के निर्णय में बताए गए अन्य तरीकों से अपनी कानूनी प्रैक्टिस जारी रखने के अधिकार को प्रभावित नहीं करता है। हम सम्मानपूर्वक पूर्व कप्तान के निर्णय को प्रस्तुत करते हैं। हरीश उप्पल बनाम। भारत संघ इस मुद्दे को सही परिप्रेक्ष्य में रखता है और हमारे सामने इस मुद्दे का जवाब देने के लिए इसका पालन किया जाना चाहिए।

242. आदर्श रूप से, प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास ऐसी संभावनाओं से निपटने के लिए अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 के तहत नियम बनाए जाने चाहिए, लेकिन नियमों के अभाव में भी, उच्च न्यायालय को ऐसी धमकियों के खिलाफ असहाय नहीं ठहराया जा सकता है। न्यायिक शुद्धता के संरक्षण के रूप में मौलिक और गंभीर मामले में

कार्यवाहियों में, उच्च न्यायालय अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा, इस तथ्य के बावजूद कि शक्ति के प्रयोग के तरीके को निर्धारित करने वाले नियम नहीं बनाए गए हैं। लेकिन इस तरह के पाठ्यक्रम के लिए प्रावधान करने वाले वैधानिक नियमों के अभाव में एक अधिवक्ता आर. मुथुकृष्णन बनाम के आरोप का सामना कर रहा है।

मद्रास में न्यायिक न्यायालय के जी. एच. जनरल [अरुण मिश्रा, जे.]

अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 12 के तहत। वह शायद नहीं यहाँ तक कि कल्पना कीजिए कि कार्यवाही के अंत में वह समाप्त हो सकता है

न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से वंचित किया जाना। के नियम

इसलिए प्राकृतिक न्याय यह माँग करता है कि आदेश पारित करने से पहले एक वकील को अदालतों में पेश होने से रोकने के लिए उसे स्पष्ट रूप से होना चाहिए

बताया कि उसका कथित आचरण या कार्य ऐसे हैं कि अगर वह दोषी पाया जाता है

जारी अवमानना के प्रारंभिक नोटिस में चेतावनी दी जा सकती है। धारा 14 या धारा 17 (जैसा भी मामला हो) के तहत

न्यायालय अवमानना अधिनियम। या ऐसी सूचना के बाद दी जा सकती है

कार्यवाही करने वाले को कार्यवाही करने से पहले आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया जाता है

सजा का सवाल।

243. भविष्य में ऐसे किसी भी विवाद से बचने के लिए, सभी

उच्च न्यायालय जिन्होंने अब तक धारा 34 के तहत नियम नहीं बनाए हैं

अधिवक्ता अधिनियम को बिना किसी प्रावधान के नियम बनाने का निर्देश दिया जाता है।

और देरी। यह पूरी उम्मीद की जाती है कि सभी उच्च न्यायालय

आज से चार महीने के भीतर नियम बनाएँ। उच्च न्यायालय अधिवक्ताओं को अभिलेख पर रखने के लिए नियम बनाने पर भी विचार किया जा सकता है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तर्ज पर "।

(जोर दिया गया)

61. आर. के. आनंद (ऊपर) में निर्णय इससे अलग नहीं है।

उन्होंने कहा कि अन्य निर्णय लेकिन उनकी पुष्टि करते हैं। यह एक मामला था

होने पर उपस्थिति से एक विशेष अवधि के लिए अंगूठी अधिवक्ता

1 अदालत की अवमानना का दोषी, न कि नामांकन के निलंबन का मामला

अनुशासनात्मक कार्यवाहियों की जो शक्ति बार काउंसिल के पास है।

62. उच्चतम न्यायालय के आदेश IV नियम 10 में निहित प्रावधान

टी नियमों को सेवा में लगाया गया है ताकि संशोधित को बनाए रखा जा सके

नियम 10 इस प्रकार हैः

" 10. जब, किसी व्यक्ति की शिकायत पर या अन्यथा,

अदालत की राय है कि एक वकील-ऑन रिकॉर्ड दोषी रहा है किसी अधिवक्ता के कदाचार या अनुपयुक्त आचरण का,

न्यायालय रजिस्टर से उसका नाम हटाने का आदेश दे सकता है।

स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए अभिलेख पर अधिवक्ताओं का

न्यायालय उचित समझ सकता है और पंजीयक उसके बाद रिपोर्ट करेगा

भारतीय विधिज्ञ परिषद और राज्य विधिज्ञ परिषद को उक्त तथ्य

चिंतित हैंः

19] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बशर्ते कि न्यायालय, ऐसा आदेश देने से पहले, ऐसे अधिवक्ता को न्यायालय के समक्ष या मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित की जाने वाली विशेष पीठ के समक्ष वापस करने योग्य समन-ऑन-रिकॉर्ड जारी करेगा, जिसमें अधिवक्ता से समन में कथित मामलों के खिलाफ कारण दिखाने की आवश्यकता होती है, और समन, यदि व्यवहार्य हो, तो व्यक्तिगत रूप से उसे किसी भी हलफनामे या बयान की प्रतियों के साथ न्यायालय के समक्ष जारी किया जाएगा।
समन करता है।

व्याख्याः - इन नियमों के प्रयोजन के लिए, अभिलेख पर एक अधिवक्ता के कदाचार या अनुचित आचरण में शामिल होंगे -

क) एक अधिवक्ता द्वारा बिना किसी रिकॉर्ड के केवल नाम उधार देना।

मामले की कार्यवाही में आगे की भागीदारी;

ख) जब मामला सुनवाई के लिए लिया जाता है तो बिना किसी उचित कारण के अदालत से अधिवक्ता की अनुपस्थिति-ऑन-रिकॉर्ड;

और;
ग) न्यायालय में वास्तविक उपस्थिति के अभिलेख पर अधिवक्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उपस्थिति पर्ची प्रस्तुत करने में विफलता।

उपरोक्त नियम पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम में विचार किया गया है। भारत संघ (ऊपर) और यह देखा गया है कि जैसा कि यह न्यायालय रिकॉर्ड पर अधिवक्ता का नामांकन करता है, उसके पास उसका नाम हटाने की शक्ति है

रिकॉर्ड पर अधिवक्ता के रजिस्टर से या तो स्थायी रूप से या

विशिष्ट अवधि। यह अधिवक्ता अधिनियम के तहत बार काउंसिल द्वारा किए गए नामांकन के निलंबन के समान नहीं है, जिसका आदेश केवल बार काउंसिल द्वारा दिया जा सकता है।

63. मोहित चौधरी, अधिवक्ता, आई. एन. आर. ई. में निर्णय (ऊपर)

इस पर भी भरोसा किया गया है जिसमें इस न्यायालय ने नियम 10 पर विचार किया और आदेश की तारीख से एक महीने की अवधि के लिए रिकॉर्ड पर अधिवक्ता के रूप में अभ्यास करने के लिए अधिवक्ता को प्रतिबंधित कर दिया। साथ ही, इस न्यायालय ने कहा है कि वकील ऐसा कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं है जिससे न्यायालय की गरिमा को नुकसान पहुंचे। अवमानना का अधिकार क्षेत्र इस उद्देश्य के लिए है कि

तीखी या अनुचित प्रथाओं से बचने के लिए न्यायालय के सम्मान या गरिमा को बनाए रखना। एक अधिवक्ता को अपने मुवक्किल के लिए राहत की अंधी खोज में नहीं डूबा जाना चाहिए। कानून व्यापार नहीं है, कोई माल नहीं है "। उसका कर्तव्य प्रशासन में सहायता के लिए मामले के अपने पक्ष को वैध रूप से प्रस्तुत करना है

न्याय। न्यायाधीशों का चयन बार से किया जाता है और बेंच की शुद्धता बार की शुद्धता पर निर्भर करती है। अवक्रमित बार परिणाम अवक्रमित बेंच।

आर. मुथुकृष्णन बनाम। मद्रास में न्यायिक न्यायालय के जी. एच. जनरल [अरुण मिश्रा, जे.]

टी ने जुलूस के आचरण के अनुच्छेदों और मानकों का उल्लेख किया है और

यह इस प्रकार हैः

20. वारवेल्स लीगल एथिक्स, 2nd Edn। पी पर। 182 निर्धारित करता है कि

एक वकील का दायित्वः

" एक वकील ऐसा कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं है जो अदालत की गरिमा को नुकसान पहुँचाए, जिसके लिए वह स्वयं एक शपथ लेने वाला अधिकारी और सहायक है। उसे हर समय न्यायाधीश को सम्मानजनक सम्मान देना चाहिए, और अदालत कक्ष की गरिमा का ईमानदारी से पालन करना चाहिए।

21. अवमानना का अधिकार क्षेत्र न केवल संबंधित न्यायाधीश की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए है ताकि वह निडरता और निष्पक्षता से न्याय कर सके, बल्कि "न्यायपालिका के उचित नाम" की रक्षा भी कर सके। बोलने के तरीके से सुरक्षा, रजिस्ट्री तक भी फैली हुई है

अपने कार्य के निष्पादन और झूठे और अनुचित आरोपों में

बर्दाश्त किया। ऐसी स्थिति में सम्मान बनाए रखने के लिए और संस्थान की गरिमा, न्यायालय को उन दर्दनाक कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है जिनका हम वर्तमान कार्यवाही में सामना कर रहे हैं। ऐसा न करें।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में पी. बी. सावंत, जे. के शब्दों में

प्रसारण, इन री, (1995) 3 एस. सी. सी. 619 होगाः (एससीसी p.635, पैरा 20) -

" 20 ..... वर्तमान प्रवृत्ति जब तक नियंत्रित नहीं की जाती है, तब तक एक ऐसे चरण की ओर ले जाने की संभावना है जब प्रणाली अंदर से बर्बाद पाई जाएगी।

इससे पहले कि यह बाहर से नष्ट हो जाए। यह पेशे के सदस्यों के लिए है कि वे आत्मनिरीक्षण करें और समय पर सुधारात्मक कदम उठाएं।

और अदालतों को अप्रिय कर्तव्य से भी बख्शा। हम और कुछ नहीं कहते। "

22. अब "व्यावसायिक आचरण के मानकों और भारतीय बार काउंसिल के नियमों का "शिष्टाचार" अध्याय II, भाग VI की धारा I में निहित है, जिसके प्रति एक अधिवक्ता के कर्तव्य

न्यायालय को निर्दिष्ट किया गया है। हम इस रूप में निर्धारित चौथे कर्तव्य को निकालते हैं

इसके अंतर्गतः

" 4. एक अधिवक्ता अपने मुवक्किल को तीखी या अनुचित प्रथाओं का सहारा लेने से रोकने और रोकने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा। न्यायालय के संबंध में कुछ भी करना, वकील या पक्षकारों का विरोध करना जो स्वयं अधिवक्ता को नहीं करना चाहिए।

उस ग्राहक का प्रतिनिधित्व करने से इनकार करेगा जो इस तरह के अनुचित आचरण में बना रहता है। वह खुद को केवल एक मुखपत्र नहीं मानेगा। मुवक्किल, और पत्राचार में संयमित भाषा के उपयोग, अभिवचनों में अपमानजनक हमलों से बचने और अदालत में बहस के दौरान असंयमित भाषा का उपयोग करने में अपने स्वयं के निर्णय का प्रयोग करेगा।

23. उपरोक्त संदर्भ में उपरोक्त सिद्धांत को अलग-अलग शब्दों में क्रैम्पटन, जे. द्वारा आर. वी. में निर्धारित किया गया था। ओ 'कोनेल, 7 आयरिश लॉ ने 313 की रिपोर्ट निम्नानुसार की हैः

" अधिवक्ता प्रतिनिधि होता है लेकिन प्रतिनिधि नहीं। वह देता है।

अपने मुवक्किल को उसकी शिक्षा, उसकी प्रतिभा और उसके निर्णय का लाभ; लेकिन पूरे समय वह कभी नहीं भूलता कि वह अपने और दूसरों के लिए क्या ऋणी है। वह जानबूझकर कानून को गलत नहीं बताएगा,

वह जानबूझकर तथ्यों को गलत नहीं बताएगा, हालांकि यह उसके मुवक्किल के लिए मामला हासिल करने के लिए होगा। वह हमेशा इस बात को ध्यान में रखेगा कि यदि वह किसी व्यक्ति का वकील है और मूल्यवान सेवाओं के लिए अक्सर अपर्याप्त रूप से बनाए रखा जाता है और उसे पारिश्रमिक दिया जाता है, तो भी उसके पास सच्चाई और न्याय की ओर से एक पूर्व और स्थायी अनुचर है और कोई क्राउन या अन्य लाइसेंस नहीं है जो किसी भी मामले में या किसी भी पक्ष के लिए या उद्देश्य उसे उस प्राथमिक और सर्वोपरि अनुचर से मुक्त कर सकता है।

24. इस प्रकार पेशे के मूल सिद्धांतों के लिए एक वकील को अपने मुवक्किल के लिए राहत की अंधी खोज में नहीं डूबा होना चाहिए। इस खोज में संस्था की गरिमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है क्योंकि "कानून कोई व्यापार नहीं है, कोई व्यापार नहीं है" कृष्ण अय्यर, जे महाराष्ट्र बार काउंसिल बनाम में। एम. वी. दाभोलकर (1976) 2 एससीसी 291। 25. इस बिंदु पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 557 में उच्चतम न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता 'जी' में न्यायमूर्ति विवियन बोस के प्रस्फुटित शब्द, जिन्होंने स्पष्ट कियाः

" 10. ..... सेना की भाषा का उपयोग करने के लिए, इस न्यायालय के एक अधिवक्ता से हर समय एक "अधिकारी और सज्जन" के रूप में अपनी स्थिति के अनुरूप व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है।

26. यह 1925 में है कि 'द लॉयर ऐज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट' शीर्षक वाला एक लेख वर्जीनिया लॉ रिव्यू, Vol.11, नंबर 4 (फरवरी 1925) पीपी। 263-77 वर्जीनिया लॉ रिव्यू में प्रकाशित, स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि वकील से क्या अपेक्षित है जो अपने शब्दों में सबसे अच्छा हैः

आर. मुथुकृष्णन बनाम मद्रास में न्यायिक न्यायालय के जी. एच. जनरल [अरुण मिश्रा, जे.]

" न्यायालय के प्रति वकील के कर्तव्य सीधे उस संबंध से उत्पन्न होते हैं जो वह न्यायालय में एक अधिकारी के रूप में रखता है।

न्याय का प्रशासन। कानून केवल एक निजी आह्वान नहीं है, बल्कि

यह एक ऐसा पेशा है जिसे राज्य की न्यायिक प्रणाली का एक अभिन्न अंग होने का गौरव प्राप्त है। न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में वकील, इसलिए, न्यायालय की गरिमा और अखंडता को बनाए रखने के लिए बाध्य है; दोनों शब्दों में न्यायालय के लिए हर समय सम्मान का प्रयोग करना और

अपने मुवक्किल के मामले से संबंधित सभी मामलों को खुले तौर पर प्रस्तुत करना, न्यायाधीश या जूरी पर निजी प्रभाव डालने के किसी भी प्रयास से बचने के लिए सावधान रहना और सभी मामलों में स्पष्ट और स्पष्ट होना।

न्यायालय के साथ व्यवहार, "किसी भी छल, अधिरोपण या चोरी का उपयोग नहीं करना", जैसा कि गवाहों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना या पूर्ववर्तियों को गलत तरीके से उद्धृत करना। दिसंबर, 1911 में मिल्वौकी काउंटी बार एसोसिएशन के समक्ष एक संबोधन में श्री क्रिश्चियन डोर्फलर कहते हैं, "यह हमेशा समझना चाहिए कि कानून का पेशा पुरुषों के बीच न्याय के प्रशासन में सहायता करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। न्याय के उचित प्रशासन का मतलब यह नहीं है कि एक वकील को मुकदमा जीतने में सफल होना चाहिए। इसका मतलब है कि उसे अपने मुवक्किल के मामले को ठीक से पेश करने के उद्देश्य से उपलब्ध और वैध तथ्य और कानून के माध्यम से अदालत के ध्यान में हर चीज को उचित रूप से लाना चाहिए।

जहाँ तक उनके मुवक्किल का संबंध है, उनका कर्तव्य केवल मामले में अपना पक्ष वैध रूप से प्रस्तुत करना है। जहाँ तक जनता की बात है, उसका कर्तव्य है संबंधित और जहाँ तक वह न्यायालय का अधिकारी है, न्याय के प्रशासन में सहायता और सहायता करना है।

इस संबंध में श्री वारवेल के सामयिक शब्दों को भी अच्छी तरह से याद किया जा सकता हैः

जिम्मेदारियाँ, और वह उन सभी की सख्ती से पूर्ति के लिए आयोजित किया जाता है इन बातों का अर्थ है। विशाल हितों की जिम्मेदारी उसे सौंपी जाती है; उस पर विश्वास लगाया जाता है; जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति।

उनकी देखभाल के लिए प्रतिबद्ध हैं। वह बराबर होना चाहिए

जिम्मेदारियाँ जो वे पैदा करते हैं, और यदि वह अपने विश्वास के साथ विश्वासघात करता है, अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, छल करता है, या बुराई को बढ़ावा देता है, तो सबसे कठोर दंड लगाया जाना चाहिए और उसका नाम लिया जाना चाहिए।

रोल से "। कि वकील का अपने पेशे और अपने

[2019] 1 एस. सी. आर. के प्रति उच्च कर्तव्य है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बार के साथी सदस्य एक स्पष्ट सत्य हैं। उसका पेशा उसका गौरव होना चाहिए, और उसके सम्मान को बनाए रखना उसकी मुख्य चिंताओं में से एक होना चाहिए। अधिवक्ता के आकलन में कुछ भी अधिक नहीं होना चाहिए ", श्री अलेक्जेंडर एच ने घोषणा की।

एक पेशा उस पेशे को एक निश्चित श्रेष्ठता देता है जिसके लिए नैतिकता के उच्च मानक के साथ-साथ बौद्धिक उपलब्धियों की आवश्यकता होती है। न्यायपालिका की अखंडता राष्ट्र की सुरक्षा है, लेकिन न्यायाधीशों का चरित्र व्यावहारिक रूप से वकीलों का चरित्र है। जैसे जन्म लेता है। एक अपमानित बार अनिवार्य रूप से एक अपमानित बेंच का निर्माण करेगा, और जैसा कि निश्चित रूप से हम एक प्रबुद्ध, विद्वान और नैतिक बार के रैंक से तैयार न्यायपालिका में उच्चतम उत्कृष्टता प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं। 27. उन्होंने अपने लेख को निम्नलिखित शब्दों में समाप्त कियाः

" कोई भी मुवक्किल, कॉर्पोरेट या व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, न ही कोई नागरिक या राजनीतिक कारण, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण हो, प्राप्त करने का हकदार है, न ही किसी वकील को ऐसी कोई सेवा या सलाह देनी चाहिए जिसमें कानून के प्रति बेवफाई हो, जिसके मंत्री हम हैं, या न्यायिक कार्यालय का अनादर, जिसे हम बनाए रखने के लिए बाध्य हैं, या किसी सार्वजनिक या निजी पद का प्रयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति का भ्रष्टाचार।

जनता का विश्वास, या धोखा या विश्वासघात। इस तरह की कोई अनुचित सेवा या सलाह देते समय, वकील कठोर और न्यायसंगत निंदा का आह्वान करता है और उसके योग्य होता है। तदनुसार, उन्होंने

अपने पेशे के सम्मान और अपने मुवक्किल के सर्वोत्तम हितों को बढ़ावा देता है जब वह आर. मुथुकृष्णन बनाम को सेवा प्रदान करता है या सलाह देता है।

मद्रास में न्यायिक न्यायालय के जी. एच. जनरल [अरुण मिश्रा, जे.]

मुवक्किल और उसके नैतिक कानून के सबसे सख्त सिद्धांतों के सटीक अनुपालन के उपक्रम पर प्रभाव डालें। उसे अपने मुवक्किल को क़ानून का पालन करने की सलाह भी देनी चाहिए, हालांकि जब तक किसी क़ानून का अर्थ और व्याख्या सक्षम लोगों द्वारा नहीं की जाती है।

न्यायनिर्णयन में, वह स्वतंत्र है और इसकी वैधता के बारे में और इस बारे में सलाह देने का हकदार है कि वह ईमानदारी से इसका उचित अर्थ और विस्तार क्या मानता है। लेकिन, सबसे बढ़कर, एक वकील को अपना सर्वोच्च सम्मान निजी विश्वास और जनता के प्रति निष्ठा के लिए एक योग्य प्रतिष्ठा में मिलेगा।

कर्तव्य, एक ईमानदार व्यक्ति और एक देशभक्त और वफादार नागरिक के रूप में।

कि इस तरह के दुस्साहस का यह पहला और आखिरी मौका होना चाहिए। लेकिन मामला केवल इतने पर ही सीमित नहीं रह सकता। 30. हमारा विचार है कि नियमों के तहत अभिलेख पर अधिवक्ता होने के विशेषाधिकार का स्पष्ट रूप से अवमानकर्ता द्वारा दुरुपयोग किया गया है। यह आचरण सर्वोच्च न्यायालय में एक वकील से बहुत कम रिकॉर्ड पर एक वकील नहीं बन रहा था।

32. उपरोक्त नियम यह स्पष्ट करता है कि चाहे वह किसी व्यक्ति की शिकायत पर हो या अन्यथा, कदाचार या आचरण के मामले में।

किसी भी राज्य बार काउंसिल की, जो किसी व्यक्ति द्वारा रिकॉर्ड पर अधिवक्ता की परीक्षा लेने से पहले एक आवश्यक आवश्यकता है। वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से ऐसा है जहाँ इस न्यायालय की राय है कि अवमानक का आचरण अभिलेख पर एक अधिवक्ता के लिए अशोभनीय है। परंतुक की पूर्व-अपेक्षाओं को मुख्य न्यायाधीश द्वारा स्वयं पीठ का गठन किए जाने के कारण पूरा किया जाता है, और अवमानकर्ता को इससे कहीं अधिक गंभीर परिणामों के बारे में पता होता है, जो उसके सामने आ सकते थे। विद्वान वरिष्ठ वकील

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करते हुए उसे अदालत की दया पर छोड़ दिया है। हमने अनुरोध को काफी हद तक स्वीकार कर लिया है लेकिन कम

अवमानकर्ता पर परिणाम लागू किए गए हैं। "

64. महिपाल सिंह राणा बनाम के निर्णय पर रिलायंस को रखा गया था। उत्तर प्रदेश राज्य, (ऊपर) उत्तरदाताओं द्वारा। इस न्यायालय ने उस प्रश्न पर विचार किया जब अधिवक्ता को आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था

अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत आपराधिक अवमानना के लिए लगाए जाने वाले दंड के अलावा लगाए जाने वाले प्रतिबंधों/दंड के बारे में अवमानना। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालयों में उपस्थित होने के अधिकार का विनियमन न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में है न कि बार काउंसिलों के, इस प्रकार, न्यायालय अवमानना के लिए दोषी ठहराए गए अधिवक्ता को उपस्थित होने से रोक सकता है /

किसी भी अदालत के समक्ष उचित अवधि के लिए अनुरोध करना, जब तक कि दोषी अधिवक्ता निलंबन के अभाव में भी खुद को अवमानना से मुक्त नहीं कर लेता है।

या नामांकन/अभ्यास करने का अधिकार/अभ्यास करने का लाइसेंस समाप्त करना। दूसरा, इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि यदि ऐसे नियम मौजूद हैं तो अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 के तहत बनाए गए उच्च न्यायालय के नियमों के संदर्भ में अदालत द्वारा किसी भी अदालत में उपस्थिति/अभिवचन पर रोक लगाई जा सकती है। हालांकि, भले ही उक्त धारा 34 के तहत ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है, जब तक कि दोषी अधिवक्ता खुद को अवमानना से मुक्त नहीं करता है या अदालत द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है, अदालत एक अधिवक्ता को प्रतिबंधित कर सकती है क्योंकि दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप ऐसे अधिवक्ता को अदालत में उपस्थित होने/अभिवचन करने से रोक दिया जाता है, यहां तक कि

निलंबन का अभाव या नामांकन की समाप्ति/अभ्यास करने का अधिकार/अभ्यास करने का लाइसेंस। इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

" 4.1 . (i) क्या उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को आपराधिक अवमानना के लिए दोषी ठहराते हुए पारित आदेश में हस्तक्षेप करने और उसे 2000 रुपये के जुर्माने के साथ दो महीने के लिए साधारण कारावास और दो सप्ताह के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा देने और उसे अदालतों में पेश होने से रोकने के लिए मामला बनाया गया है।

एटा में न्याय में; और

4.2 . ((ii) चाहे आपराधिक अवमानना के लिए दोषी ठहराए जाने पर, अपीलार्थी

अभ्यास करने की अनुमति दी जा सकती है।

32. प्रवीण सी. शाह बनाम के. ए. मोहम्मद। अली, (2001) 8 एस. सी. सी. 650, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक अधिवक्ता को अवमानना का दोषी नहीं पाया जा सकता है।

जब तक वह स्वयं को अवमानना से मुक्त नहीं कर लेता, तब तक उसे किसी भी न्यायालय में कार्य करने या अभिवचन करने की अनुमति दी जाएगी। यह निर्देश केरल उच्च न्यायालय द्वारा अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 (1) के तहत बनाए गए नियमों के नियम 11 के संबंध में जारी किया गया था और आर. मुथुकृष्णन बनाम में टिप्पणियों का भी उल्लेख किया गया था।

मद्रास में न्यायिक न्यायालय के जी. एच. जनरल [अरुण मिश्रा, जे.]

उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन में इस न्यायालय के निर्णय का पैरा 80। वी. भारत संघ, (1998) 4 एस. सी. सी. 409। यह समझाया गया कि किसी व्यक्ति को अदालत में पेश होने से रोकना अदालत के अधिकार क्षेत्र के दायरे में आता है और यह लाइसेंस को निलंबित करने या समाप्त करने से अलग है जो अदालत द्वारा किया जा सकता है।

इस न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करने में बार काउंसिल और बार काउंसिल की विफलता पर। अवलोकन इस प्रकार हैं: (प्रवीण सी. शाह मामला, एस. सी. सी. पीपी. 658-62 , पैरा 16-18,24 और 27-28)

" 16. नियमों का नियम 11 राज्य की बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति के लिए अभिप्रेत प्रावधान नहीं है। यह पूरी तरह से संबंधित मामला है

17. जब नियम यह निर्धारित करते हैं कि अदालत की अवमानना करने वाले व्यक्ति को बिना किसी हिचकिचाहट या पश्चाताप के अदालतों में पेश होने और वकालत करने और मामलों का संचालन करने का अनारक्षित अधिकार नहीं हो सकता है, तो बार काउंसिल इस तरह के प्रावधान को रद्द नहीं कर सकती है। अदालती कार्यवाहियों के सुव्यवस्थित संचालन से संबंधित विनियम। कानून के न्यायालयों की संरचना इस तरह से की जाती है कि वे कानून और न्याय की महानता के प्रति सम्मान और सम्मान पैदा करें। कानून के अनुसार न्याय के वितरण के लिए तंत्र [2019] 1 एस. सी. आर. द्वारा संचालित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट अदालत। अदालतों के भीतर कार्यवाही हमेशा गरिमापूर्ण और व्यवस्थित तरीके से होने की उम्मीद की जाती है। एक वकील का दृश्य, जिसे पिछले घंटे अदालत की अवमानना का दोषी पाया गया था, अदालत में खड़ा था और उसी दिन एक मामले में बहस कर रहा था या गवाह से जिरह कर रहा था।

अदालत में उनके द्वारा किया गया अवमाननापूर्ण व्यवहार अदालत की गरिमा को नष्ट कर देगा और यहां तक कि अदालतों की संस्था की प्रभावशीलता में जनता के विश्वास को कम करने के अलावा इसकी महिमा को भी नष्ट कर देगा। इसके लिए उच्च न्यायालय को ऐसी कार्यवाहियों के दौरान अधिवक्ताओं के आचरण सहित न्यायालय के अंदर की कार्यवाहियों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता होती है। उस शक्ति को कानून का अभ्यास करने के अधिकार के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। जबकि बार काउंसिल उत्तरार्द्ध पर नियंत्रण कर सकती है, उच्च न्यायालय को पूर्व के नियंत्रण में होना चाहिए।

18. उपरोक्त संदर्भ में निम्नलिखित को उद्धृत करना उपयोगी है।

प्रयाग दास बनाम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा की गई टिप्पणियां। सिविल जज, बुलंदशहर, ए. आई. आर. 1974 ऑल 133 (ए. आई. आर. पी. 136, पैरा 9)

अदालतों में इसकी आवश्यकता नहीं हो सकती है। अदालतों में उसकी उपस्थिति को विनियमित करने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय को होना चाहिए नियम बनाने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी और अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 (1) के उचित निर्माण पर यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय के पास अदालतों के अंदर अधिवक्ताओं की उपस्थिति और कार्यवाही को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति है। जाहिर है, उच्च न्यायालय ही एकमात्र उपयुक्त प्राधिकरण है जिसे यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।

*

*

*

24. शुद्धिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अवांछनीय तत्व या तो स्वयं से या समाज से निष्कासित। यह एक सफाई प्रक्रिया है। पर्ज एक ऐसा शब्द है जिसके निहितार्थ मुथुकृष्णन बनाम।

मद्रास में न्यायिक न्यायालय का सामान्य पंजीकरण [अरुण मिश्रा, जे।]

और वाक्यांश, स्थायी एडन। , खण्ड. 35 - ए, पी। 307) . ब्लैक लॉ डिक्शनरी में "पर्ज" शब्द निम्नलिखित दिया गया हैः अर्थः ' साफ करना; साफ करना। किसी आरोप या अपराध के आरोप या अवमानना से दोषमुक्त या दोषमुक्त करना। यह सुझाव देना बेतुका है कि यदि दोषी व्यक्ति को सजा दी जाती है या यदि वह उस पर लगाए गए जुर्माने की राशि देता है तो शुद्धिकरण पूरा हो जाएगा।

*

27. इसलिए हम इस विचार को स्वीकार नहीं कर सकते कि केवल अवमानकर्ता पर लगाए गए दंड से गुजरना अवमानना से खुद को मुक्त करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, विशेष रूप से ऐसे मामले में जहां अवमानकर्ता को दोषी ठहराया जाता है। आपराधिक अवमानना। पूर्वनिर्दिष्ट निर्णय में विद्वान एकल न्यायाधीश के उक्त दृष्टिकोण के अनुसार देने में खतरा यह है कि यदि किसी अवमानकर्ता को जुर्माने की सजा सुनाई जाती है तो वह तुरंत इसका भुगतान कर सकता है और उसी अदालत में अवमानना करना जारी रख सकता है, और फिर फिर से जुर्माना चुका सकता है और अपनी अवमानना जारी रख सकता है।

स्वयं को शुद्ध करने के किसी भी तरीके की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला नियम 11 में निहित हस्तक्षेप का पालन नहीं करने के कारण के रूप में किसी भी नियम में अपराधबोध। केवल इसलिए कि नियम नहीं थे

स्वयं को अपराध से मुक्त करने का तरीका निर्धारित करें इसका मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति अपराध को बिल्कुल भी शुद्ध नहीं कर सकता है। उस दिशा में किया जाने वाला पहला काम जब कोई अवमानकर्ता दोषी पाया जाता है आपराधिक अवमानना अपने आचरण के बारे में अपने मन में वास्तविक पश्चाताप पैदा करना है जिसे अदालत ने अदालत की अवमानना के बराबर पाया है। अगला कदम माफी मांगना है [2019] 1 एस. सी. आर.

उसने जो किया उसके लिए संबंधित अदालत से इस आधार पर कि उसने वास्तव में और वास्तव में पश्चाताप किया है और उसने नहीं करने का संकल्प लिया है

भविष्य में ऐसा कोई भी कार्य करना। यह पर्याप्त नहीं है कि वह माफी मांगे। क्षमा याचना अदालत को वास्तविक और ईमानदार होने के लिए प्रभावित करना चाहिए। यदि अदालत उनकी वास्तविकता से प्रभावित होकर माफी स्वीकार करती है तो यह कहा जा सकता है कि

अवमानकर्ता ने खुद को अपराध से मुक्त कर लिया है "।

33. बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम। केरल उच्च न्यायालय, (2004) 6

एस. सी. सी. 311, केरल उच्च न्यायालय द्वारा किसी वकील को किसी भी अदालत में उपस्थित होने से रोकने के लिए बनाए गए नियमों के नियम 11 की संवैधानिकता की जांच की गई, जब तक कि वह अदालत के उचित आदेश द्वारा खुद को अवमानना से मुक्त नहीं कर लेता। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) का उल्लंघन नहीं करता है और न ही बार काउंसिलों को प्रदत्त न्यायनिर्णयन और सजा की शक्ति का दुरूपयोग करता है।

नियम का अनुप्रयोग स्वचालित था। यह भी माना गया कि यह नियम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में निर्धारित कानून के विपरीत नहीं था। निर्णय। हरीश उप्पल बनाम में संविधान पीठ के फैसले का उल्लेख करते हुए। भारत संघ, (2003) 2 एस. सी. सी. 45, में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायालयों में उपस्थित होने के अधिकार का विनियमन न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में था। प्रवीण सी. शाह के बाद यह देखा गया कि अदालत के पास अदालत में उपस्थित होने और आचरण करने के अधिकार पर प्रमुख पर्यवेक्षी शक्ति होनी चाहिए। अवलोकन इस प्रकार हैंः (बार काउंसिल ऑफ इंडिया मामला, एस. सी. सी. पी. 323, पैरा 46)

" 46. अवमानना करने वाले को अवमानना के लिए दंडित करने से पहले, अदालत उसे सुनने का अवसर देने के लिए बाध्य है। यहाँ तक कि सुनवाई का ऐसा अवसर भी निम्नलिखित कार्यवाही में आवश्यक है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 345। लेकिन अगर कोई कानून जो अन्यथा वैध है, ऐसे निष्कर्ष के परिणामों के लिए प्रावधान करता है, तो वह अपने आप में भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होगा क्योंकि केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति को सुनवाई का एक और अवसर दिया गया है, जहां इसके तार्किक परिणाम के रूप में दंड का प्रावधान किया गया है। दंडात्मक कानूनों के तहत भी कुछ अपराध न्यूनतम होते हैं।

वाक्य। इस प्रकार, ऐसे अपराधों की गंभीरता को विधायिका द्वारा मान्यता दी जाती है। अदालतों की इसमें कोई भूमिका नहीं है।

एक बात "। आर. मुथुकृष्णन बनाम मद्रास में न्यायिक न्यायालय के जी. एच. जनरल [अरुण मिश्रा, जे.]

35. आर. के. आनंद बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय, (2009) 8 एस. सी. सी. 106 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भले ही अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 के तहत कोई नियम नहीं बनाया गया था, जो आपराधिक अवमानना के लिए दोषी ठहराए गए वकील को अनुमति नहीं देता है, यह न केवल अदालतों की गरिमा और व्यवस्थित कार्य को बनाए रखने का एक उपाय है, बल्कि यह अदालतों के लिए आवश्यक हो सकता है।

न्यायालय की सुरक्षा और न्यायालय की कार्यवाही की शुद्धता के संरक्षण के लिए। इस प्रकार, न्यायालय के पास न केवल अधिकार है, बल्कि संबंधित अधिवक्ता पर प्रतिबंध लगाकर अपनी रक्षा करने और अपनी कार्यवाही की शुद्धता को प्रदूषित होने से बचाने का दायित्व भी है।

उचित अवधि के लिए न्यायालयों के समक्ष उपस्थित होना। इस न्यायालय ने बार के नैतिक और व्यावसायिक मानकों में गिरावट और न्याय प्रशासन के हित में ऐसी प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता के बारे में टिप्पणियों पर ध्यान दिया। यह देखा गया कि बार में लोगों के अयोग्य विश्वास और विश्वास के अभाव में न्यायिक प्रणाली संतोषजनक रूप से काम नहीं कर सकती है। आगे की टिप्पणियाँ यह हैं कि बार काउंसिलों का प्रदर्शन पेशेवर मानकों को बनाए रखना और अनुशासन को लागू करना अन्य क्षेत्रों में इसकी उपलब्धियों से मेल नहीं खाता था। इस न्यायालय ने आशा व्यक्त की और उम्मीद की कि बार काउंसिल वकीलों के बीच उच्च पेशेवर मानकों की बहाली के लिए उचित कार्रवाई करेगी।

न्यायिक प्रणाली और समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कार्य करना।

42. हम इस विषय पर कुछ लेखों का भी उल्लेख कर सकते हैं। द हिंदू में प्रकाशित "राइजिंग द बार फॉर द लीगल प्रोफेशन" में

डॉ. एन. आर. माधव मेनन ने लिखाः

" ..... एक निजी एकाधिकार होने के नाते, इस पेशे को एक पिरामिड की तरह संगठित किया जाता है जिसमें शीर्ष 20 प्रतिशत के पास 80 प्रतिशत भुगतान कार्य होता है, मध्य 30 प्रतिशत मध्यम वर्ग और सरकार की जरूरतों को पूरा करके जीवित रहने का प्रबंधन करते हैं।

मुकदमेबाजी, जबकि निचले स्तर के 50 प्रतिशत कानूनी सहायता मामलों और अवांछनीय के माध्यम से प्रबंधित मामलों के साथ मुश्किल से जीवित रहते हैं और

शोषणकारी तरीके! अधिकांश तथाकथित लॉ कॉलेजों में कानूनी शिक्षा की खराब गुणवत्ता को देखते हुए (उनमें से एक हजार से अधिक छोटे शहरों और पंचायतों में काम कर रहे हैं।

बुनियादी ढाँचा और सक्षम संकाय), अनियंत्रित विस्तार के साथ जो हुआ वह था पेशे के निचले 50 प्रतिशत में अक्षम वकीलों की भीड़ जो केक के एक टुकड़े के लिए लड़ रहे थे। इस प्रक्रिया में, बहुत अधिक होने के कारण, मध्य और निचले वर्ग पेशेवर [2019] 1 एस. सी. आर. के लिए चुने गए।

निकाय जो पूरे प्रबंधन को नियंत्रित करते थे पेशा. पेशे के तथाकथित नेता जिनके पास है

भरपूर काम, असीमित धन, सम्मान और प्रभाव

यह देखने की जहमत न उठाएँ कि पेशे के साथ क्या हो रहा था

और इसे अक्षमता, हड़तालों, बहिष्कार के अपने रास्ते पर जाने दिया, और सार्वजनिक उपहास। यह आज इंडियन बार की त्रासदी है।

स्वतंत्रता संग्राम और कानून के शासन को बनाए रखना और कठिन समय में भी नागरिक स्वतंत्रता "।

54. इसके अलावा, धारा 38 के तहत अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए

अधिवक्ता अधिनियम के अनुसार, हम निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी का लाइसेंस पांच साल की और अवधि के लिए निलंबित रहेगा। वह करेगा।

पाँच साल के बाद भी जब तक कि वह खुद को अवमानना से मुक्त नहीं करता है भारतीय बार काउंसिल में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित तरीका और

उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आर. के. आनंदंद। प्रश्न (ii) खड़ा है

तदनुसार निर्णय लिया। ”

(जोर दिया गया)

65. महिपाल सिंह राणा (ऊपर) में अधिवक्ता पाया गया था।

आपराधिक अवमानना के दोषी के रूप में न्यायालय से प्रतिबंध लगाने के लिए ऐसी सजा पहले पारित की गई थी और उस उद्देश्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (ऊपर) में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा रखा गया है। इस प्रकार, निर्णय का मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित नियम 14 (ए) से 14 (डी) के अधिकारों को बनाए रखने के लिए कोई अनुप्रयोग नहीं है।

66. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन परासरन ने इसका समर्थन किया

नियम बताते हैं कि मद्रास उच्च न्यायालय के साथ-साथ इसकी मदुरै पीठ में गंभीर स्थिति पैदा की गई है, जिसने न्यायालय को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक पक्ष पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया है। उच्च न्यायालय को सी. आई. एस. एफ. द्वारा न्यायालय की सुरक्षा करने का आदेश देना पड़ा। इस संबंध में, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 2015 की सुओ मोटो रिट याचिका No.29197 में 14.9.2015,12.10.2015 और 30.10.2015 पर आदेश पारित किए गए थे। न्यायिक आदेशों में निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दिया गयाः

ii. नारे लगाते हुए और दरबार के गलियारों से आगे बढ़ते हुए।
iii. अदालती कार्यवाही को बाधित करने के लिए हाथ से पकड़े जाने वाले माइक्रोफोन का उपयोग।

iv. उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के कनिष्ठ न्यायाधीशों के कक्ष में प्रवेश करने का प्रयास और कुछ मामलों में सफलतापूर्वक प्रवेश करना।

वी. व्यवधान सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय के क्षेत्रों में टूटी हुई यांत्रिक घड़ियों के रूप में नकली बमों के दो उदाहरण रखे जा रहे हैं।

उच्च न्यायालय, हमारी राय में, उपरोक्त कदाचार के लिए न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई कर सकता था।

67. नियम 14 ए एक वकील को उच्च न्यायालय और अधीनस्थ अदालतों के समक्ष उपस्थित होने से रोकने की शक्ति प्रदान करता है, यदि एक वकील जो किसी न्यायाधीश के नाम पर या उसे प्रभावित करने के बहाने धन स्वीकार करता है; या एक वकील जो उच्च न्यायालय और अधीनस्थ अदालतों के समक्ष उपस्थित होने के लिए सक्षम नहीं है।

अदालत के रिकॉर्ड या अदालत के आदेश के साथ छेड़छाड़ की है; या एक वकील

जो किसी न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारी को गाली देता है और/या गाली देता है; या एक अधिवक्ता जिसने किसी न्यायिक अधिकारी या न्यायाधीश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में निराधार और अप्रमाणित आरोप/याचिकाएं भेजी हैं या फैलाई हैं; या एक अधिवक्ता जो अदालत परिसर के अंदर एक जुलूस में सक्रिय रूप से भाग लेता है और/या अदालत कक्ष के अंदर घेराव में शामिल होता है या अदालत कक्ष के अंदर तख्ती रखता है; या एक अधिवक्ता जो अदालत में उपस्थित होता है।

शराब के प्रभाव में अदालत को अदालत द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है। हालाँकि, यह प्रावधान नहीं है कि न्यायालय अवमानना का प्रयोग करते हुए ऐसा करेगा।

नियंत्रण, जिसकी अनुमति नहीं है। 68. नियम 14-बी, जैसा कि संशोधित किया गया है, कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करता है। नियम 14-बी (iv) में कहा गया है कि जहां नियम 14-ए के तहत निर्दिष्ट ऐसा कोई भी कदाचार उच्च न्यायालय के समक्ष एक अधिवक्ता द्वारा किया जाता है, वहां उच्च न्यायालय के पास अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की शक्ति होगी।

संबंधित और उसे उच्च न्यायालय और सभी अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष उपस्थित होने से रोकता है; या जहां प्रधान जिला न्यायाधीश के न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई कदाचार किया जाता है, प्रधान जिला न्यायाधीश को संबंधित अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की शक्ति होगी और

उसे ऐसे जिले के भीतर किसी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से रोकें; या जहां नियम 14-ए के तहत निर्दिष्ट ऐसा कोई कदाचार किसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किया जाता है, संबंधित न्यायालय प्रधान जिला न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और प्रधान जिला न्यायाधीश के पास संबंधित अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने और उसे ऐसे जिले के भीतर किसी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से रोकने की शक्ति होगी। नियम 14-सी पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करता है और नियम 14-डी [2019] 1 एस. सी. आर. को अधिकृत करता है।

उच्च न्यायालय या प्रधान जिला न्यायाधीश को एक अंतरिम आदेश पारित करने के लिए संबंधित अधिवक्ता को उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से प्रतिबंधित करना या

अधीनस्थ न्यायालय, जैसा भी मामला हो, जांच लंबित है।

69. उच्च न्यायालय अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधानों द्वारा ऐसे नियम बनाने के लिए अधिकृत नहीं है। धारा 34 अनुशासनात्मक तरीकों या अनुशासनात्मक जांच के माध्यम से प्रतिबंध की ऐसी शक्ति प्रदान नहीं करती है जैसा कि एक अधिवक्ता के खिलाफ बार काउंसिल द्वारा निपटा जाना है जैसा कि अधिनियम के एक अलग अध्याय में अन्य धाराओं में प्रदान किया गया है। यह केवल तभी होता है जब अधिवक्ता को न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है, जैसा कि इसमें प्रावधान किया गया है।

मद्रास उच्च न्यायालय नियम, 1970 में नियम 14 तब तक स्थिति का ध्यान रखता है जब तक कि अदालत की अवमानना करने वाला कोई वकील खुद को अवमानना से मुक्त नहीं कर लेता है, वह अदालत में उपस्थित होने या कार्य करने या वकालत करने का हकदार नहीं होगा।

नियम 14 यहाँ नीचे निकाला गया है:

" 14. न्यायालय की अवमानना का दोषी पाए गए किसी भी अधिवक्ता को किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने, कार्य करने या अभिवचन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वह

स्वयं को अवमानना से मुक्त कर लिया है। "

70. उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंध का आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि अधिवक्ता पर अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाता है। यह.

अनुशासनात्मक कार्यवाही करके सहारा नहीं लिया जा सकता है 2016 में संशोधित नियम 14-ए से 14-डी के तहत विचार किया गया। कि

बार काउंसिल की शक्ति का स्पष्ट दुरूपयोग है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए पूरी तरह से अस्वीकार्य है, जिसका बाद के सभी निर्णयों में पालन किया गया है, जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बताई गई घटनाएं गंभीर थीं और गलती करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता थी क्योंकि उन्होंने वकील के पेशे की पूरी कुलीनता को झुठलाया था।

71. यह भी सच है कि बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति, जैसा कि इस अदालत ने महिपाल सिंह राणा और मोहित के मामले में कहा था

चौधरी (ऊपर), अच्छा देने में विफल रहे हैं। यह देखा गया है कि बार काउंसिल का अनुशासनात्मक नियंत्रण उतना प्रभावी नहीं है जितना होना चाहिए। मामलों को लंबे समय तक लंबित रखा जाता है, फिर एक साल के बाद वे भारतीय बार काउंसिल को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, जैसा कि अधिवक्ता अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है और उसके बाद फिर से मामलों को वर्षों तक लंबित रखा जाता है। यह सही समय है कि बार काउंसिल, साथ ही साथ विभिन्न

राज्य बार काउंसिलों को स्थिति का जायजा लेना चाहिए और आर. मुथुकृष्णन बनाम में सुधार करना चाहिए।

अनुशासनात्मक पक्ष की कार्यप्रणाली। बार की स्वतंत्रता बनाए रखना नितांत आवश्यक है और यदि सफाई प्रक्रिया स्वयं बार द्वारा नहीं की जाती है, तो इसकी स्वतंत्रता खतरे में है। भ्रष्ट, अवांछित, अनैतिक तत्व का बार में कोई स्थान नहीं है। यदि पेशे की कुलीनता है नष्ट, बार कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकता है। स्वतंत्रता का गठन कुछ आदर्शों के पालन से होता है और यदि वे आदर्श खो जाते हैं, तो स्वतंत्रता केवल कागज पर ही रहेगी, वास्तविक अर्थों में नहीं।

72. स्थिति वास्तव में निराशाजनक है यदि बार में विश्वास का भंडार अपने वैधानिक कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में विफल रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बारे में कि इसकी निगरानी न्यायालयों द्वारा की जा सकती है और की जानी चाहिए। बार काउंसिल के अनिवार्य कर्तव्यों को अधिवक्ता अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों में वैधानिक अभिव्यक्ति मिली है -

अनुशासनात्मक नियंत्रण और वैधानिक उपहास बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, ऐसे गैर-प्रदर्शन या ऐसे कर्तव्यों के विलंबित प्रदर्शन

अस्वीकार्य। बार काउंसिल काले भेड़ों के खिलाफ कदम उठाकर बार की रक्षा करने के लिए बाध्य है और सामान्य रूप से बार से अपेक्षा नहीं कर सकती और इसकी छवि खराब नहीं कर सकती है। बार काउंसिल द्वारा अनुशासनात्मक नियंत्रण के उद्देश्य को ही निराश होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसी अनिवार्यता में, ऐसे मामले में जहां बार काउंसिल अधिवक्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं कर रही है, उच्च न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह रिट याचिका पर विचार करे और बार काउंसिल को कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए उचित निर्देश जारी करे। लेकिन साथ ही, उच्च न्यायालय और यहां तक कि यह न्यायालय भी अपने ऊपर अनुशासनात्मक नियंत्रण नहीं ले सकता है जैसा कि इसके तहत परिकल्पना की गई है।

अधिवक्ता अधिनियम। इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय का कर्तव्य है कि वह न्यायालय परिसर के भीतर अपनी गरिमा बनाए रखे, लेकिन यह कानून के अनुसार न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत उचित कदम उठाकर हासिल किया जा सकता है।

73. समय-समय पर यह देखा गया है कि न्यायिक प्रणाली पर विभिन्न हमले किए गए हैं। यह बहुत आम हो गया है बार के सदस्य व्यक्तिगत रूप से न्यायाधीशों की आलोचना करने के लिए प्रेस/मीडिया में जाएँ और निर्णयों को राजनीतिक रंग देकर सरासर अवमानना करें। यह सबसे गंभीर रूप की अवमानना के कार्य से कम नहीं है। जब भी कोई राजनीतिक मामला अदालत में आता है और निर्णय लिया जाता है, तो किसी भी तरह से, राजनीतिक आक्षेपों को बेईमान व्यक्तियों/[2019] 1 एस. सी. आर. द्वारा जिम्मेदार ठहराया जाता है।

74. अदालत की अवमानना एक ऐसा हथियार है जिसका उपयोग संयम से किया जाना चाहिए क्योंकि अधिक शक्ति है, उसी के लिए अधिक जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत को कार्रवाई करने और उसके नतीजों से डर लगता है। न्यायालय की विशिष्टता समान और समान रूप से न्याय प्रदान करना और प्रत्येक प्रणाली को यह सुनिश्चित करने का अवसर देना है कि इसमें सुधार हो। दुर्भाग्य से, कुछ अधिवक्ताओं को लगता है कि वे बार काउंसिल की निष्क्रियता के कारण उससे ऊपर हैं और वे कारणों के एकमात्र समर्थक हैं। सस्ते प्रचार की भूख बढ़ रही है जिसकी अनुमति बार के महान दिग्गजों द्वारा पोषित महान आदर्शों द्वारा नहीं दी जाती है, उन्होंने अपने आचरण से निर्धारित किया है कि वास्तव में पेशेवर शिष्टाचार और नैतिकता क्या होनी चाहिए जो एक संकीर्ण दिशा में परिभाषित होने में सक्षम नहीं हैं। वैधानिक नियम अधिवक्ताओं को विज्ञापन देने से रोकते हैं और वास्तव में प्रेस/मीडिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अदालती कार्यवाही के विकृत संस्करण सरासर कदाचार और अदालत की अवमानना है जो बहुत आम हो गया है। यह निष्पक्ष, निष्पक्ष और निडर तरीके से न्याय प्रदान करना और अधिक कठिन बना रहा है, हालांकि स्थिति निराशाजनक है कि बार की छवि को सुधारने के लिए सभी संबंधितों द्वारा कुछ किया जाना चाहिए। यह सार्वजनिक रूप से गंदे लिनन को धोने और आरोप/बहस में प्रवेश करने के लिए खुला नहीं है, जो निर्णयों को प्रभावित करने और यहां तक कि गलत उद्देश्यों के साथ न्याय से इनकार करने के लिए बेईमान तत्वों द्वारा अपनाई जा रही रणनीति है। यह बार काउंसिल और बार के वरिष्ठ सदस्यों के लिए है जो बार की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए इस अवसर पर खड़े होने की अपनी जिम्मेदारी को कभी नहीं भूले हैं जो कि सर्वोच्च है और इस देश और जीवंत लोकतंत्र के कल्याण के लिए बिल्कुल आवश्यक है। 75. संविधान बनाने वाले पूर्वजों द्वारा बनाई गई शक्तियों के पृथक्करण ने स्वतंत्र कार्यप्रणाली को सुनिश्चित किया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिना किसी तर्क के व्यवस्था की स्वतंत्रता को उन लोगों द्वारा संरक्षित करने की कोशिश की जा रही है जिन्हें इससे दूर रहना चाहिए। प्रत्येक प्रणाली की स्वतंत्रता भीतर से आनी है। यदि चीजों को निपटाने की अनुमति दी जाती है तो आर. मुथुकृष्णन बनाम।

मद्रास में उच्च न्यायालय का सामान्य पंजीकरण [अरुण मिश्रा, जे.]

अनैतिक साधनों का सहारा लेने और किसी भी प्रकार का दबाव बनाकर संस्था को बदनाम करने से व्यवस्था की स्वतंत्रता ही खतरे में पड़ जाएगी। मामलों का फैसला मीडिया ट्रायल द्वारा नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बार और बेंच के पास शिकायतों के निवारण के लिए अपनी खुद की अंतर्निहित मशीनरी है और उनसे केवल उसी के अनुसार अपनी शिकायतों का निपटान करने की अपेक्षा की जाती है। बाहरी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है। न्यायपालिका में कुलीनता, स्वतंत्रता, गरिमा और देश के आम आदमी द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास को ध्यान में रखते हुए, यह बिल्कुल आवश्यक है कि व्यवस्था की कोई बदनामी न हो। आपसी सम्मान और श्रद्धा ही एकमात्र रास्ता है। न्यायपालिका की सेवा के लिए बहुत सारे बलिदान दिए जाते हैं, जिसके लिए कोई पछतावा नहीं कर सकता क्योंकि यह एक उद्देश्य के साथ होता है और न्यायपालिका की सेवा करना किसी के आह्वान से कम नहीं है।

व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से हम इस महान देश के नागरिक को भलाई प्रदान कर सकते हैं और संवैधानिक दायित्व के अनुसार गरीबों और दलितों की आंखों के हर आँसू से निपट सकते हैं। 76. आत्मा की खोज बिल्कुल आवश्यक है और दोषारोपण और बदनाम करने का खेल तुरंत बंद होना चाहिए। आत्मविश्वास और श्रद्धा और सकारात्मक सोच ही एकमात्र रास्ता है। यह पवित्र आशा है कि बार काउंसिल अपनी अनुशासनात्मक समितियों के कार्य में सुधार करेगी ताकि

प्रणाली अधिक जवाबदेह है, विभिन्न बार परिषदों के अनुशासनात्मक पक्ष पर प्रदर्शन लेखा परीक्षा प्रकाशित करें। इसे भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। अपने पर्यवेक्षी नियंत्रण के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमेशा की तरह अच्छे विचारों को लागू कर सकती है और सफाई प्रक्रिया में पीछे नहीं रहेगी।

बुरी तरह से आवश्यक। यह पेशे को और अधिक महान बनाने के लिए है और काले भेड़ को संरक्षित करने के लिए पेशे से हटाना बिल्कुल आवश्यक है।

बार के समृद्ध आदर्श और जिन पर उन्होंने स्वतंत्रता के मूल्यों के लिए संघर्ष किया। यह मूल रूप से बार को नियंत्रित करने के लिए न्यायालय के लिए नहीं है। यह बार का वैधानिक कर्तव्य है कि वह इसे और अधिक महान बनाए और न्यायाधीशों और कानूनी प्रणाली की रक्षा करे, न कि निष्क्रियता और उस प्रणाली को नष्ट करने के लिए जो बार है।

लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ।

77. हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि उच्च न्यायालय ने उस स्थिति में भी अपनी शक्ति को बढ़ा दिया है जो [2019] 1 एस. सी. आर. थी।

इतना गंभीर जिसने इसे ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर किया प्रतीत होता है। वास्तव में, अदालत की अवमानना अधिनियम से निपटने के लिए इसकी शक्तियां बहुत अधिक हैं।

ऐसी स्थिति में अदालत को कार्रवाई करने के लिए बार काउंसिल की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्रवाई कर सकता है, अदालत की अवमानना अधिनियम के लिए दंडित कर सकता है यदि इसमें अदालत/कार्यवाही में किया गया कदाचार शामिल है। परिस्थितियाँ गंभीर हो सकती हैं, लेकिन अनुशासनात्मक मामलों में बार की स्वायत्तता अदालतों द्वारा नहीं ली जा सकती है। न्यायालय की गरिमा को बनाए रखने के लिए इसमें अन्य अधिक कुशल उपकरण हैं। यदि न्यायालय को शक्ति दी जाती है, भले ही किसी वकील द्वारा न्यायाधीशों के व्यवहार के बारे में उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को दर्ज की गई शिकायतें सही हों, तो भी उसे अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करके दंडित किया जा सकता है जैसा कि विवादित नियम 14 ए से डी में करने की अनुमति दी गई है जो बार को बहुत चापलूसी और डरावना बना देगा जो न्याय के निष्पक्ष प्रशासन के लिए अनुकूल नहीं होगा। निर्णय की निष्पक्ष आलोचना और उसके विश्लेषण की अनुमति है। अदालत में वकीलों की निडरता, स्वतंत्रता, ईमानदारी, ईमानदारी, समानता ऐसे गुण हैं जिनका त्याग नहीं किया जा सकता है। उचित शिकायत दर्ज कराना वकील का कर्तव्य है। विनय चंद्र मिश्रा (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा देखी गई संबंधित अधिकारियों को शिकायत, जिसके अधिकार को पूरी तरह से कम नहीं किया जा सकता है, हालांकि, सार्वजनिक रूप से इस तरह के आरोप लगाना अदालत की अवमानना के समान है और यह एक पेशेवर कदाचार भी हो सकता है जिसे अधिवक्ता अधिनियम के तहत बार काउंसिल और अदालत द्वारा अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत देखा जा सकता है। नियम 14-ए में निर्दिष्ट कदाचार उचित मामलों में भी अवमानना के समान हो सकता है -

न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अपने अवमानना अधिकार क्षेत्र में देखभाल की जा सकती है।

78. परिणामस्वरूप, हमें मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा मई, 2016 में बनाए गए विवादित नियम 14-ए से 14-डी को निरस्त करने में कोई संकोच नहीं है क्योंकि वे अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं और हैं

एतद्द्वारा निरस्त किया गया। रिट याचिका की अनुमति है। कोई लागत नहीं।

लिखित

याचिका की अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी